

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2016 ⁄पौष 18, 1937	
No. 15]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2016/ PAUSA 18, 1937	

शहरी विकास मंत्रालय

(मुद्रण निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

सा.का.नि. १५(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार मुद्रणालय (समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पद)(**औद्योगिक पद**) (भर्ती नियम, 2003, को, जहां तक उनका संबंध सेक्शन होल्डर (जिल्दसाजी)/ टाइम चैंकर (जिल्दसाजी), जिल्दसाज, सहायक जिल्दसाज, रीडर, कॉपी होल्डर, प्रधान मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी), मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी), सहायक मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी), बिजली मिस्त्री, वायरमैन, वेल्डर, बढ़ई, ट्रक चालक (भारी वाहन), चालक (हल्का वाहन), डार्क रुम **असिस्टेन्ट**, ऑफसैट प्लेट मेकर, सहायक प्लेट मेकर (ऑफसैट), ऑफसैट मशीन परिचर, सहायक निरीक्षक (नियंत्रण), इलेक्ट्रॉनिक डिप्लिकेटिंग मशीन प्रचालक/रेजोग्राफर, सिल्क स्क्रीन **आपरेटर**, सहायक सिल्क स्क्रीन प्रचालक और श्रमिक के पद से है. उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय के अधीन भारत सरकार मुद्रणालयों तथा शाखाओं में समूह 'ग' अननुसचिवीय औद्यागिक पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार मुद्रणालय तथा शाखाएं समूह 'ग' (औद्यौगिक) पद भर्ती नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

124 GI/2016 (1)

- 2. **लागू होना** : ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन-बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** -- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन-बैंड **और** ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि -- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. **निरर्हता** -- वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकारों के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति -- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति -- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए विनिश्चयों आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1) 1. सेक्शन होल्डर (जिल्दसाजी)	(2) छियानवें (96)* (2016) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (पर्यवेक्षी) अराजपत्रित अननुसचिवीय	ग्रेड वेतन या वेतनमान (4) वेतन— बैंड—1 (5200—20200रू)+ ग्रेड वेतन 2800 रू0	अचयन पद (5) अचयन पद	(6) 18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1 :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में	(7) आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य। वांछनीय: किसी विधिक अस्तित्व वाले मुद्रणालय या संस्था में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि	जिसके अन्तर्गत किसी मुद्रणालय के जिल्दसाजी अनुभाग में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव हो ।

	वह अंतिम तारीख जो असम,	टिप्पण 1 :– अर्हताएं, अन्यथा
	मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,	सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में
	मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,	उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध
	त्रिपुरा, सिक्किम,	किए जायें कर्मचारी चयन
	जम्मू-कश्मीर राज्य के	आयोग / सक्षम अधिकारी के
	लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश	विवेकानुसार शिथिल की जा
	के लाहौल और स्पीति जिले	सकती हैं।
	तथा चम्बा जिले के पांगी	
		(अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो
	उपखण्ड, अण्डमान और	
	निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के	लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी
	अभ्यर्थियों के लिए विहित की	च्यन आयोग / सक्षम अधिकारी
	गईं हैं।	के विवेकानुसार अनुसूचित
		जातियों या अनुसूचित
	टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालयों	जनजातियों के अभ्यर्थियों की
	के माध्यम से की जाने वाली	दशा में तब शिथिल की जा
	भर्ती की दशा में आयु सीमा	सकती हैं जब चयन के किसी
	अवधारित के लिए निर्णायक	प्रक्रम पर उन कारणों के लिए
	तारीख वह अंतिम तारीख	जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी
	होगी जिस तक रोजगार	चयन आयोग/सक्षम अधिकारी
	कार्यालयों से नाम भेजने के	की यह राय है कि उनके लिए
	लिए कहा गया है।	आरक्षित रिक्तियों को भरने के
	ाराड्र परहा गया है।	
		लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले
		उन समुदायों के अभ्यर्थियों के
		पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की
		सम्भावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न्त व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	मर्ती की पद्धति, मर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8) नहीं	(9) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(10) शत-प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्निः वेतन बैंड — 1 (5200—20200 रू) + ग्रेड वेतन 2400 रू. में ऐसे जिल्दसाज जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न होने सकने पर वेतन बैंड—1 (5200—20200 रू) + ग्रेड वेतन 1900 रू में ऐसे सहायक जिल्दसाज जिन्होंने उस श्रेणी में तेरह वर्ष नियमित सेवा की है। टिपणी—1: जहां ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । टिपणी—2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित	(12) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार पुद्रणालय / भारत सरकार पाद्य पुस्तक मुद्रणालय — अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी — सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) — सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार पाद्य पुस्तक मुद्रणालय — अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रवंधक भारत सरकार पाद्य पुस्तक मुद्रणालय — अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रवंधक या सहायक प्रवंधक (प्रशासनिक) — सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासनिक) — सदस्य टिष्णण— यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है,	(13) लागू नहीं होता ।

पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया तो उसी पदनाम तथा हैसियत गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा का ऐसा पदधारी जो समीप के को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर किसी अन्य मुद्रणालय नियमित आधार पर उसी हैसियत आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी। से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी -शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो (i) जो वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रू) + प्रोन्नति पर विचार कर रहे ग्रेड वेतन 2800 रू. में नियमित आधार पर मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या स्थित हैं। (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रू) + ग्रेड वेतन 2400 रू. में उस श्रेणी में पाँच नियमित सेवा की है। <u>टिप्पणी −1:</u> पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनिक्ति पर नियुक्ति कि लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी -2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। <u>टिप्पणी −3:</u> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिपपी -4: प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती के लिए
			ग्रेड वेतन या	अचयन पद	व्यक्तियों के लिए आयु	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य
			वेतनमान		सीमा	अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. जिल्दसाज	चार सौ	साधारण केन्द्रीय	वेतन— बैंड— 1	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यक :
	इक्यासी	सेवा, समूह 'ग'	(5200-20200		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी	किसी मान्यता प्राप्त
	(481)*	(अति कुशल)	रू.) + ग्रेड वेतन		किये गये अनुदेशों या	विश्वविद्यालय या संस्था
	, ,	अराजपत्रित,	2400 र ू .		आदेशों के अनुसार सरकारी	से मुद्रण प्रौद्योगिकी
	(2016)	अननुसचिवीय			सेवकों के लिए शिथिल	
	* (कार्यभार के	टिप्पण : वित्त			करके 40 वर्ष तक की जा	
	आधार पर	मंत्रालय की			सकती है।)	वांछनीय :
	परिवर्तन किया	अधिसूचना सं0				विधिक अस्तित्व वाले
	जा सकता है)	1/1/2008			टिप्पण 1 :- आयु सीमा	किसी मुद्रणालय या
	on diameter	–आईसी, तारीख			अवधारित करने के लिए	
		28 जुलाई, 2009			निर्णायक तारीख भारत में	अनुभाग में कार्य करने
		के अनुसार			अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	का १ वर्ष का अनुभव।

	अतिकुशल पद अवधारित किया जायेगा, जहां अति कुशल कर्मचारियों का काडर 50:50 के अनुपात में बराबर विभाजित है वहाँ अति कुशल कर्मकार श्रेणी ।। (वेतन बैंड—1+ ग्रेड वेतन 2400 रू.) और अतिकुशल कर्मकार श्रेणी ग्रेड—1 (वेतन बैंड—1 में ग्रेड वेतन 2800 रू.) के रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है।			करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकांबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं। टिप्पण 2 — रोजगार कार्यालयों के लिए विणियक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जाजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर
--	---	--	--	---	---

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रोत्तिनयुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तयों की प्रतिशतता		यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8) लागू नहीं होता	(9) सीधे भर्ती किए	(10) (i) 75 प्रतिशत	(11) <u>प्रोन्नतिः</u>	(12) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति	
	जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नित द्वारा। (समरूप श्रेणी में अधिशेष घोषित कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी जिन्हें पुनः अमिनियोजित / पुनः पदामिहित किए जाने की आवश्यकता है।)	वेतन बैंड — 1 (5200—20200 रू) + ग्रेड वेतन 1900 रू. में ऐसे सहायक जिल्दसाज जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है। टिपणी—1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में मी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय मुदर्य उ. ज्येष्ठतम प्रवंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष	

टिप्पणी-2: प्रोन्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।

प्रतिनियुक्तः-

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी —

- (i) जो वेतन बैंड 1 (5200–20200 रू) + ग्रेड वेतन 2400 रू. में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या
- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 1
 (5200-20200 रू) + ग्रेड वेतन 1900 रू, में उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

िट्पणी —1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनिवित पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित हारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी —2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्नय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी —3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी -4: प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेंड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड हैं उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।

2. ज्येष्टतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी

—सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासनिक)

िप्पण- यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नित समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नित पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दरी पर स्थित हैं।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित
			ग्रेड वेतन या	अचयन पद	व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
			वेतनमान			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) 3. सहायक जिल्द साज	(2) एक हजार पच्चासी (1085)* (2016) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल) अराजपत्रित अननुसचिवीय	(4) वेतन— बैंड— 1 (5200—20200 रू) + ग्रेड वेतन 1900 रू.	(5) अचयन पद	(६) 18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1 :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्म्-कश्मीर राज्य के लद्वाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं। टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(7) आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं पास) या समतुल्य और (ii) किसी सुसंगत व्यवसाय में शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अधीन शिक्षुता सफलता— पूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र; या (iii) किसी जिल्दसाजी व्यवसाय में मुद्रण प्रौद्योगिकी में + 2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र। टिष्ण 1 :— अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिष्ण 2:— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अधिकारी के विवेकानुसार अप्रमूचित जातियों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम अधिकारी की वरशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की

सीघे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्तित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा	द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं		भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता			जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 16 प्रतिशत प्रोन्निति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 5 प्रतिशत उस व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए वेतन बैंड—I (5200—20200	(औद्योगिक परिचर) जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अईता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए जिल्दसाजी अनुभाग में काम करने के लिए	सरकार मुद्रणालय/ भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय	लागू नहीं होता।

	रू0) + ग्रेड वेतन 1800	पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा	प्रभारी	
	रू0 में उस मुद्रण में		-सदस्य	
	श्रेणी 'ग' अनौद्योगिक	प्रा ह टिप्पणी—1 :		
			=	
	कर्मचारियों से प्रोन्नति	जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध	(प्रशासन)	
	द्वारा	में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता	–सदस्य	
	(iii) 79 प्रतिशत सीधी	सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए		
	भर्ती द्वारा जिसके न हो	विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति	
	सकने पर प्रोन्नति द्वारा।	ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी	जिसमें निम्नलिखित होंगे :	
		विचार किया जायेगा परन्तु यह तब	1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत	
		जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक	सरकार मुद्रणालय / भारत	
		या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या	सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय	
		पात्रता सेवा के आधे से अधिक से	—अध्यक्ष	
		या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम	2. ज्येष्टतम उप प्रबंधक या	
		हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे	सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या	
		कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने	कार्यालय प्रभारी	
		ऐसी अईक या पात्रता सेवा पहले ही	–सदस्य	
		पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी	3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक	
		में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा	(प्रशासन)	
		की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर	–सदस्य	
		ली हो।	(14(1	
		ि ए जी −2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम	टिपप- यदि किसी मुद्रणालय का	
		अर्हक सेवा की संगणना करने के	पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है,	
		प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी	तो उसी पदनाम तथा हैसियत का	
		द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या	ऐसा पदधारी जो समीप के किसी	
		उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय	अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार	
		वेतन आयोग की सिफारिशों पर	पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा	
		आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना को	है को मुद्रण निदेशालय के किसी	
		विस्तारित किया गया है, नियमित	निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति	
		आधार पर की गई सेवा को उक्त	समिति में शामिल किया जा सकता	
		वेतन आयोग की सिफारिशों पर	है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं	
		आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड	जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे	
		वेतन या वेतनमान में की गई सेवा	मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर	
		समझी जायेगी।	स्थित हैं।	
L	I		l .	

पद का	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित
नाम			ग्रेड वेतन या	अचयन पद	व्यक्तियों के लिए आयु	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
			वेतनमान		सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
117 4. रीडर	एक सौ छियत्तर (176)* (2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण कंन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल) अराजपत्रित अननुसचिवीय टिपण : वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं0 1/1/2008 —आईसी, तारीख 28 जुलाई, 2009 के अनुसार अतिकुशल पद अवधारित किया जायेगा, जहां अति कुशल कर्मचारियों का काडर 50:50 के अनुपात में बराबर विभाजित है वहाँ अति कुशल कर्मकार श्रेणी II (वेतन बैंड–1 + ग्रेड वेतन 2400 रू.) और अतिकुशल कर्मकार	वितन- बैंड- 1 (5200-20200 रू.) + ग्रेड वेतन 2400 रू.	(४) अचयन पद	ति से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1 - आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य; (ii) किसी विधिक अस्तित्व वाले मुद्रणालय में प्रूफ रीडिंग का ज्ञान; (iii) अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा तथा मुद्रणालय में प्र्योग की जा रही एक क्षेत्रीय भाषा में प्रवीणता; और (iv) कानूनी इकाई वाले ऑफसेट मुद्रणालय के रीडिंग अनुभाग में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। टिष्ण 1 :— अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिष्ण 2 :— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मवारी
		5/17			·	जा लखबद्ध ।कए जाय

श्रेणी ग्रेड—1 (वेतन		विहित की गईं हैं।	कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम
बैंड−1 + ग्रेड		•	अधिकारी के विवेकानुसार
वेतन 2800 रू0) के		टिप्पण 2 :- रोजगार	अनुसूचित जातियों या
रूप में पुनः		कार्यालयों के माध्यम से की	अनुसूचित जनजातियों के
पदाभिहित किया		जाने वाली भर्ती की दशा	
गया है।		में आयु सीमा अवधारित के	
		लिए निर्णायक तारीख वह	
		अंतिम तारीख होगी जिस	कारणों के लिए जो लेखबद्ध
		तक रोजगार कार्यालयों से	किए जायें कर्मचारी चयन
		नाम भेजने के लिए कहा	आयोग / सक्षम अधिकारी की
		गया है।	यह राय है कि उनके लिए
			आरक्षित रिक्तियों को भरने के
			लिए अपेक्षित अनुभव रखने
			वाले उन समुदायों के
			अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
			उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं
			है

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्त व्यक्तियों के वशा सं लाग् होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8) नहीं	(9) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(10) (i) 67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा; (iii) 16 प्रतिशत मुद्रण निदेशालय द्वारा संचालित की जाने वाली विभागीय प्रतियोगी रीडरशिप परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नित द्वारा।	प्रोनिति (i) वेतन बैंड-1 (5200-20200 रू०)+ ग्रेड वेतन 1900 रू० में ऐसे कॉपी होल्डर जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है। (ii) उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा करने वाला कॉपी होल्डर विभागीय प्रतियोगी रीडरिशप परीक्षा के लिए पात्र होगा। टिपणी-1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जायेगा। परन्तु यह तब जविक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली है। टिप्पणी-2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षत वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त	(12) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति जिसमें निम्निलेखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाढ्य पुस्तक मुद्रणालय — अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम जार्यालय प्रवंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी — सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) — सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्निलेखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाढ्य पुस्तक मुद्रणालय — अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रवंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी—सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रवंधक (प्रशासन) — सदस्य विष्ण पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी	(13) लागू नहीं होता।

वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित	arm manners di Cardia	
	अन्य मुद्रणालय में नियमित	
विस्तार तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में	आधार पर उसी हैसियत से	
की गई सेवा समझी जायेगी।	कार्य कर रहा है को मुद्रण	
<u>प्रतिनियुक्तः—</u>	निदेशालय के किसी निबंधनों	
केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी —	के बिना विभागीय प्रोन्नति	
(i) जो वेतन बैंड — 1 (5200—20200 रू) +	समिति में शामिल किया जा	
ग्रेड वेतन २४०० रू. में नियमित आधार पर	सकता है तथा समीप के	
सदृश पद धारण किए हुए हैं।	मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति	
टिप्पणी —1: पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय	पर विचार कर रहे मुद्रणालय	
अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं	से सबसे कम दूरी पर स्थित	
प्रतिनुक्ति पर नियुक्ति कि लिए विचार किए	हैं।	
जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार		
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के		
लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		
<u>टिप्पणी —2:</u> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके		
अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी		
अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से		
ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्रय		
पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया		
तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
<u>टिप्पणी –3:</u> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए		
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की		
अंतिम तारीख को छपपन वर्ष से अधिक नही		
होगी।		
<u>टिप्पणी -4:</u> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार		
पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी		
अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले		
(उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन		
आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित		
वेतन संरचना का विस्तार किया गया है.		
नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय		
उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व		
पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या		
3		
वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया		
गया है और वहाँ यह काम के उस पद (उन		
पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड		
वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का		
साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड विस्तारित तत्स्थायी		
ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी		
जायेगी।		

पद का	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित
नाम	. ,		ग्रेड वेतन या	अथवा	व्यक्तियों के लिए आयु	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
			वेतनमान	अचयन पद	सीमा	- ,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. कॉपी	एक सौ	साधारण केन्द्रीय	वेतन— बैंड— 1	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यकः
होल्डर	छियत्तर	सेवा, समूह 'ग'	(5200—20200 रु.)		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी	
	(176)*	(कुशल),	+ ग्रेड वेतन		किये गये अनुदेशों या	(1) किसी मान्यताप्राप्त
	(2016)	अराजपत्रित	1900 ক.		आदेशों के अनुसार सरकारी	विश्वविद्यालय से डिग्री या
	*(कार्यभार के	अननुसचिवीय			सेवकों के लिए शिथिल	समतुल्य;
	आधार पर				करके 40 वर्ष तक की जा	(2) अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा तथा
	परिवर्तन				सकती है।)	मुद्रणालय में प्रयोग की जा रही
	किया जा					एक क्षेत्रीय भाषा में प्रवीणता; और
	सकता है)				टिप्पण 1 : – ्आयु सीमा	(iii) किसी विधिक अस्तित्व वाले
					अवधारित करने के लिए	किसी मुद्रणालय में प्रूफ रीडर के
					निर्णायक तारीख भारत में	रूप में एक वर्ष का अनुभव।
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	
					करने के लिए नियत की	टिप्पण 1 : – अर्हताएं, अन्यथा
					गई अंतिम तारीख होगी (न	सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में
					कि वह अंतिम तारीख जो	उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध
					असम, मेघालय, अरूणाचल	किए जायें कर्मचारी चयन
					प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	आयोग / सक्षम अधिकारी के
					नागालैण्ड, त्रिपुरा,	विवेकानुसार शिथिल की जा
					सिक्किम, जम्मू–कश्मीर	सकती हैं।
					राज्य के लद्दाख खंड,	टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता

		हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गईं हैं। टिष्ण 2 :- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी

सीघे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	मर्ती की पद्धति, मर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य टिष्ण यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नित समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नित पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	लागू नहीं होता ।

पद का	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन अथवा		सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक
नाम			ग्रेड वेतन या	अचयन पद	व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	और अन्य अर्हताएं
			वेतनमान			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. प्रधान	तेरह	साधारण केन्द्रीय	वेतन— बैंड— 1	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यकः
मैकेनिक	(13)*	सेवा, समूह 'ग'	(5200—20200		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी	(i) किसी मान्यताप्राप्त
(मुद्रण एवं	(2016)	(पर्यवेक्ष)	रू०) + ग्रेड		किये गये अनुदेशों या आदेशों	विश्वविद्यालय या संस्था से यांत्रिक
जिल्द—	*(कार्यभार	अराजपत्रित	वेतन 2800 रू.		के अनुसार सरकारी सेवकों	या विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक
साजी)	के आधार	अननुसचिवीय			के लिए शिथिल करके 40	इंजीनियरी में तीन वर्ष का
	पर				वर्ष तक की जा सकती है।)	डिप्लोमा;
	परिवर्तन					(ii) किसी विधिक अस्तित्व वाली
	किया जा				टिप्पण 1 :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए	संस्था / मुद्रणालय में मुद्रण तथा
	सकता है)					उससे सहबद्ध उपस्करों के
					निर्णायक तारीख भारत में	रख–रखाव/मरम्मत करने का तीन
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	वर्ष का अनुभव।
					करने के लिए नियत की गई	· ·
					अंतिम तारीख होगी (न कि	<u>वांछनीय :</u>
					वह अंतिम तारीख जो असम,	(i) मुद्रण तथा जिल्दसाजी
					मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,	उपस्करों में प्रयोग होने वाले विद्युत
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,	या इलेक्ट्रॉनिक संघटकों का ज्ञान।

	त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गईं हैं। टिष्ण 2:— रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख	कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो
	टिप्पण २ :- रोत्नगार कार्यालयों	
	के माध्यम से की जाने वाली	अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों
	ताराख वह आतम ताराख होगी जिस तक रोजगार	प्रक्रम पर उन कारणा क ।लए जा लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन
	कार्यालयों से नाम भेजने के	आयोग / सक्षम अधिकारी की यह
	लिए कहा गया है।	राय है कि उनके लिए आरक्षित
		रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित
		अनुभव रखने वाले उन समुदायों के
		अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
		उपलब्ध होने की सम्भावना नही है

किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
होता	(9) सीर्घ किए जाने व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(10) (i) प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	(11) प्रोलि:— वेतन बैंड — 1 (5200—20200 रू) + ग्रेड वेतन 2400 रू. में ऐसे मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाज) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है । टिणणी—1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि मफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। टिणणी—2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी। प्रितिन्युक्ति:— केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी — (i) जो वेतन बैंड — 1 (5200—20200 रू) + ग्रेड वेतन 2400 रू. में नियमित आधार पर सदृश	(12) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्तित समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य 4. उपेष्ठतम सहायक प्रवंधक प्रवंधक (प्रशासन) -सदस्य 5. ज्येष्ठतम सहायक प्रवंधक (प्रशासन) -सदस्य 6. ज्येष्ठतम सहायक प्रवंधक (प्रशासन) -सदस्य 6. ज्येष्ठतम सहायक प्रवंधक (प्रशासन)	(13) लागू नहीं होता।

पदधारण किए हुए हैं ; या (ii) वेतन बैंड — 1 (5200—20200 रू) + ग्रंड वेतन 2400 रू. में ऐसे मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच नियमित सेवा की है। टिपणी—1: पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनिवित पर नियुक्ति कि लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिपणी—2: प्रतिनयुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिपणी—3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिपणी—4: प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन कि लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की	का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नित समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नित पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	
या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण		

पद का	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित
नाम			ग्रेड वेतन या	अचयन पद	वाले व्यक्तियों के लिए	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
			वेतनमान		आयु सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. मैकेनिक	तिरसट (63)*	साधारण	वेतन— बैंड—	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यक :
(मुद्रण एवं	(2016)	केन्द्रीय सेवा,	1		(केन्द्रीय सरकार द्वारा	(i) किसी मान्यताप्राप्त
जिल्दसाजी)	*(कार्य	समूह 'ग' (अति	(5200—20200		जारी किये गये अनुदेशों	विश्वविद्यालय या संस्था से
	भार के आधार	कुशल)	रू.) + ग्रेड		या आदेशों के अनुसार	यांत्रिक या विद्युत या
	पर परिवर्तन	अराजपत्रित,	वेतन 2400 रू.		सरकारी सेवकों के लिए	इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी में तीन
	किया जा	अननुसचिवीय			शिथिल करके 40 वर्ष	वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य;
	सकता है)	टिप्पण ः वित्त			तक की जा सकती है।)	(ii) किसी विधिक अस्तित्व
	,	मंत्रालय की				वाली संस्था या मुद्रणालय में
		अधिसूचना सं0			टिप्पण 1 : — आयु सीमा	मुद्रण तथा उससे सहबद्ध
		1/1/2008			अवधारित करने के लिए	उपस्करों के रख–रखाव या
		–आईसी,			निर्णायक तारीख भारत में	मरम्मत करने का एक वर्ष का
		तारीख 28			अभ्यर्थियों से आवेदन	अनुभव।
		जुलाई, 2009 के अनुसार			प्राप्त करने के लिए	टिप्पण 1 :– अर्हताएं, अन्यथा
					नियत की गई अंतिम	सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में
		अतिकुशल पद			तारीख होगी (न कि वह	उन कारणों के लिए जो
		अवधारित किया			अंतिम तारीख जो असम,	लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी
		जायेगा, जहां			मेघालय, अरूणाचल	चयन आयोग / सक्षम अधिकारी
		अति कुशल			प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	के विवेकानुसार शिथिल की जा
		कर्मचारियों का			नागालैण्ड, त्रिपुरा,	सकती है।
		काडर 50:50 के			सिक्किम, जम्मू–कश्मीर	टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी
		अनुपात में			राज्य के लद्दांख खंड,	अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के
		बराबर			हिमाचल प्रदेश के लाहौल	लिए जो लेखबद्ध किए जायें
		विभाजित है			और स्पीति जिले तथा	कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम
	I	वहाँ अति	I	l	चम्बा जिले के पांगी	

कुशल कर्मकार श्रेणी ।। (वेतन बेंड–1+ ग्रेड वेतन 2400 रू०) और अतिकुशल कर्मकार श्रेणी ग्रेड–1 (वेतन बेंड–1+ ग्रेड वेन 2800 रू.) के रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है।	उपखण्ड, अण्डमान औ निकोबार द्वीप या लक्षद्वी के अभ्यर्थियों के लि विहित की गईं हैं। टिप्पण 2 :- रोजगा कार्यालयों के माध्यम क की जाने वाली भर्ती कं दशा में आयु सीम अवधारित के लि निर्णायक तारीख व अंतिम तारीख होगी जिज तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लि कहा गया है।	अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के
	कहा गया ह।	है

किये जाने अव	रेवीक्षा की विधि, यदि हिं	मर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
होता जा व्यर्ग	धे भर्ती किए ाने वाले क्तियों के ाए दो वर्ष	(i) 33 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नित द्वारा।	प्रोनितिः वेतन बैंड — 1 (5200—20200 रू) + ग्रेड वेतन वैंड — 1 (5200—20200 रू) + ग्रेड वेतन 2400 रू. में ऐसे जिन्दसाज जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न होने सकने पर वेतन बैंड—1 (5200—20200 रू.) + ग्रेड वेतन 1900 रू. में ऐसे सहायक जिल्दसाज जिन्होंने उस श्रेणी में तेरह वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति जिसमें निम्निलिखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय — अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी — सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) — सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्निलिखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय — अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी — सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी — सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासनिक) — सदस्य टिषण यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण से स्वायत से कार्य कर रहा है को मुद्रण से स्वायत से कार्य कर रहा है को मुद्रण से स्वायत से से कार्य कर रहा है को मुद्रण से स्वायत से से कार्य कर रहा है को मुद्रण से स्वायत से से कार्य कर रहा है को मुद्रण से स्वायत से से कार्य कर रहा है को मुद्रण से स्वायत से से कार्य कर रहा है को मुद्रण से स्वायत से से कार्य कर रहा है को मुद्रण से	लागू नहीं होता

	प्रतिनियुक्तिः-	निदेशालय के किसी निबंधनों के	
	केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी –	बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में	
	(i) जो वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रू) +	शामिल किया जा सकता है तथा	
	ग्रेड वेतन 2800 रू० में नियमित आधार पर	समीप के मुद्रणालय वह हैं जो	
	सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या	प्रोन्नति पर विचार कर रहे	
		मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर	
	(ii) जिन्होंने वेतन बैंड – 1 (5200–20200	स्थित है।	
	रू.) + ग्रेड वेतन 2400 रू. में उस श्रेणी में		
	पाँच नियमित सेवा की है।		
	टिप्पणी —1: पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय		
	अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं		
	प्रतिनुक्ति पर नियुक्ति कि लिए विचार किए		
	जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार		
	प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के		
	लिए विचार किए जाने कि पात्र नहीं होंगे।		
	<u>टिप्पणी –2</u> : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी		
	अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से		
	अन्य संगठन या विमाग में इस नियुक्ति स ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्नय		
	पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
	िट्या तान पर्व से आवर्क नहीं होगा। टिप्पणी –3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए		
	अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की		
	अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं		
	होगी।		
	<u>टिप्पणी –4:</u> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार		
	पर नियुक्ति के प्रयोजन कि लिए किसी		
	अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले		
	(उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन		
	आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित		
	वेतन संरचना का विस्तार किया गया है)		
	नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय		
	उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व		
	पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या		
	वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया		
	गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद		
	(उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए		
	ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन		
	का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन		
	आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित		
	तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई		
	सेवा समझी जायेगी।		
 1	1		1

पद का	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बेंड और	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक
नाम			ग्रेड वेतन या	अचयन पद	व्यक्तियों के लिए आयु	और अन्य अर्हताएं
			वेतनमान		सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. सहायक	तिरसट (63)*	साधारण	वेतन— बैंड— 1	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यक :
मैकेनिक	(2016)	केन्द्रीय सेवा,	(5200—20200		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी	
(मुद्रण एवं	*(कार्यभार के	समूह 'ग'	रू.)+ ग्रेड वेतन		किये गये अनुदेशों या	(i) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
जिल्दसाजी)	आधार पर	(কুখল),	1900 ক.		आदेशों के अनुसार सरकारी	से मैकेनिक में राष्ट्रीय व्यवसाय
	परिवर्तन किया	अराजपत्रित,			सेवकों के लिए शिथिल	प्रमाण पत्र तथा साथ में किसी
	जा सकता है)	अननुसचिवीय			करके 40 वर्ष तक की जा	विधिक अस्तित्व वाले मुद्रणालय में
	,				सकती है।)	ऑफसेट मुद्रण के व्यवसाय में एक
						वर्ष का अनुभव।
					टिप्पण 1 :- आयु सीमा	
					अवधारित करने के लिए	वांछनीय :
					निर्णायक तारीख भारत में	किसी विधिक अस्तित्व वाली संस्था
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	या मुद्रणालय में मुद्रण तथा उससे
					करने के लिए नियत की	सहबद्धं उपस्करों के रख–रखाव या
					गई अंतिम तारीख होगी (न्	मरम्मत करने का एक वर्ष का
					कि वह अंतिम तारीख जो	अनुभव।
					असम, मेघालय, अरूणाचल	
					प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	टिप्पण 1 :– अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित
					नागालैण्ड, त्रिपुरा,	अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के

	सिविकम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गईं हैं। टिषण 2 — रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	चयन आयोग / सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपक्षित अनुभव
--	--	--

विहित आयुं और शैक्षिक अमेलन द्वारा तथा विभिन्न प्रतिनेयुवित अमेलन द्वारा तथा विभिन्न प्रतिनेयुवित प्रतिनेयुवित प्रतिनेयुवित तथी विभिन्न प्रतिनेयुवित प्रतिनेयुवित प्रतिनेयुवित प्रतिनेयुवित तथी विभिन्न प्रतिनेयुवित प्रतिन्युवित प्रतिनेयुवित प्रतिनेयुवित्य प्रविचा प्रतिनेयुवित प्रतिनेयुवित प्रतिनेयुवित प्रतिनेयुवित प्रतिनेयुवित प्रतिनेयुवित्य प्रविचा प्रविचा प्रतिन्युवित प्रतिनेयुवित प्रतिनेयुवित प्रतिनेयुवित्य प्रविचा प्रविचा प्रतिनेयुवित्य प्रविचा प्रविचा प्रविचा प्रतिनेयुवित्य प्रविचा प्रवि						
वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अमेलन द्वारा तथा प्रितिन्युक्ति अमेलन हिरा तथा विभिन्न पद्धियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रितिश्वा की प्रितिश्वा की प्रितिश्वा की प्रित्तियों की प्रितिश्वा की प्रित्तियों की प्रतिशा वाले सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हों से व्यवित्यों के लिए दो वर्ष में भर्ती किए जाने वाले व्यव्वत्यों के लिए दो वर्ष में भर्ती किए जाने वाले व्यव्वत्यों के लिए दो वर्ष में भर्ती हारा। जिसके न हों सकने पर प्रोन्निति हारा। जिसके न हों सकने पर प्रोन्निति हारा। जिसके न हों सकने पर प्रोन्निति हारा। जिसके न हों तथा जो व्यवस्था के अनुस्थाण संस्थान का प्रमाण पत्र धारी हो लथा जो व्यवस्था के अधि रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के प्रथा प्रमाण पुरा करने हों। हिष्णी—1: जहाँ ऐसे किनेष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अधेट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे उचेट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जा प्रश्न हों में भी विचार किया जा प्रस्त चे प्रस्ति के प्रस्ति के प्रस्ति के प्रस्ति के प्रस्ति के प्रस्ति किया जा प्रस्त में भी विचार किया जा प्रस्त में भी विचार किया जा प्रस्ति किया जा प्रस्ति के यहा के प्रस्ति के यह प्रस्ति किया जा प्रस्ति के विचार किया जा प्रस्ति के विचार किया जा प्रस्ति किया ज			भर्ती की पद्धति,	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन		
के लिए विहित आयु अभिनत द्वारा तथा प्रितिनयुक्ति अभिनत द्वारा तथा विभिन्न पहितयों हो तथा में लागू होगी या नहीं शिवितयों की प्रतिवाद वाले तथा जाएगा। शिवितयों की प्रतिवाद तथा निर्मत वाले वाले व्यवितयों के लिए तो वर्ष में लागू वाले व्यवितयों के लिए तो वर्ष पर प्रोन्ति होरा। जिसके न हो सकने पर प्रोन्ति होरा। जिसके न हो होरा। जिसके न हो सकने पर प्रोन्ति होरा। जिसके न हो होरा। जिसके न हो सकने पर प्रोन्ति होरा। जिसके न हो होरा। जिसके न होरा होरा होरा होरा होरा होरा होरा होरा					उसकी संरचना	
प्रितिनयुक्ति / आमेलन हारा तथा विभिन्न वारा तथा विभिन्न पद्धियों होरा भरी जाने वाली रिक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं जो प्रतिशाल पाने वाले त्यालेंग के लिए तो वर्ष मंत्री किए जाने वाले त्यालेंग के लिए तो वर्ष मंत्री हारा। (8) (9) (10) (11) (11) (12) (12) (13) (13) लागू नहीं होता। (8) (9) (10) (11) (11) (12) (12) (13) (13) (14) (14) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15		है	या प्रोन्नति द्वारा			
अतेर शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्त व्यवित्तयों की दशा मंत्री वाली रिक्तयों को प्रतिशतता (8) लागू नहीं होता लीध भर्ती किए जाने वालो त्यक्तियों को प्रतिशतता (8) लागू नहीं वालो वालो व्यक्तियों के लिए तो वर्ष योक्तयों के लिए तो वर्ष योक्तयों के लिए तो वर्ष प्रेन्निति द्वारा। जिसके न हो सकने पर प्रोन्निति द्वारा। जिसके न हो सकने पर प्रोन्नित द्वारा। जिसके न हो सकने पर प्रोन्निति द्वारा। जिसके न हो सकने पर प्रोन्नित क्वारा नित्र विकार करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण प्रा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण प्रा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण प्रा करने के पश्चात् मारत सरकार मुद्रणालय मं कार्य कर रहा हो। तिष्णिन: जहाँ ऐसे किनण्ड व्यक्तियों के संबंध में, जिन्मी निन्नितिखत होंगे: जहाँ ऐसे किनण्ड व्यक्तियों के संबंध में, जिन्मी निन्नितिखत होंगे: जहाँ ऐसे किनण्ड व्यक्तियों के संबंध में, जिन्मी निन्नितिखत होंगे: जहाँ ऐसे किनण्ड व्यक्तियों के संबंध में, जिन्मी निन्नितिखत होंगे: जहाँ ऐसे किनण्ड व्यक्तियों के संबंध में, जिन्मी निन्नितिखत होंगे: जिसमें निन्नितिखत होंगे: जिसमें निन्नितिखत होंगे: अधिकार निवार सितिति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जा रहा हो का अबिक उनके ।				आमेलन किया जाएगा।		सेवा आयोग
अर्हताएं प्रोन्त व्यवितयों की दशा में लागू होगी या नहीं (a) (9) (10) (11) (12) (12) (13) लागू नहीं होता जाने वाले तथि मतीं किए जाने वाले तथि मतीं हारा। जिसके न हो ते वर्ष प्रोन्ति हारा। जिसके न हो तथे प्राप्तिक परिचर) (समूह 'ग') जिन्हें मुद्रण मशीनों के अनुश्रकाण का तीन वर्ष का नियमित अनुभव हो, यांत्रिक में औद्योगिक प्रशिक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण प्रमुख्यालय में कार्य कर रहा हो। हिण्णी-1: जहाँ ऐसे किनष्ट व्यवितयों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा प्री कर ली है, प्रोन्ति के लिए विवार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे उपेष्ट व्यवितयों के संबंध में भी विचार किया जायेगा। परन्तु यह तब जबकि उनके (12) (12) (13) लागू नहीं होता। (13) लागू नहीं होता। श्रम्ह 'ग' विभागीय प्राप्त सरकार प्रसदस्य उ. ज्येष्टतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखत होंगे: 1. महा प्रबंधक प्रशासन) —सदस्य उ. ज्येष्टतम सहायक प्रबंधक भारत समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महा प्रबंधक प्रशासन —अध्यक्ष पहार पर्य विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महा प्रबंधक प्रशासन —सदस्य उ. ज्येष्टतम सहायक प्रबंधक भारत समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निमालिखत होंगे: 1. महा प्रबंधक प्रशासन —सदस्य उ. ज्येष्टतम सहायक प्रवंधक भारत समुह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निमालिखत होंगे: 1. महा प्रबंधक प्राप्ति समिति जिसमें निमालिखत होंगे: 1. महा प्रबंधक प्राप्ति समिति जिसमें निमालिखत होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार प्रवंधक प्राप्ति समिति जिसमें निमालिखत होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रवंधक विश्व समुक्ति होता।			प्रतिनियुक्ति /			
खिनतयों की दशा में लागू होगी या नहीं पितित्यों जो प्रतिशतता (8) (9) (10) (11) (12) (13) लागू नहीं लोता वाले पितित्यों के लिए होता वाले पिति वहारा (जिसके न हो सकने पर प्रेमेलित होगी वार्ण परेपे प्रेम्नित होरा। (जिसके न हो सकने पर प्रेमेलित होगी के अनुरक्षण का तीन वर्ष का नियमित अनुभव हो, यांत्रिक में औद्योगिक प्रशिक्षण मंरखान का प्रमाण पत्र धारी हो तथा जो व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् भारत सरकार मुद्रणालय में कार्य कर रहा हो। (त्रिम्मी व्यावसायिक प्रतिक्षण में अर्हता प्राप्त करने के प्रथात भारत सरकार मुद्रणालय में कार्य कर रहा हो। (त्रिम्मी विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ट व्यवित्यों के संबंध में, जिन्हों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ती है, प्रोन्ति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ट व्यवित्यों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्त यह तब जबिक उनके विचार का प्रकारक या प्रबंधक या सहायक या सहायक या अध्या सहायक या नियमित अध्या नियमित का मुद्राणालय वा भारत सरकार पात्र युस्तक मुद्राणालय वा सरवाक यो सहायक विवार विवार विवार सरकार मुद्राणालय विवार सरकार पात्र युस्तक मुद्राणालय विवार विवार सरकार मुद्राणालय विवार वि						
स्था में लागू होगी या नहीं (8) (9) लागू नहीं लोता वाले वाले प्रिवित्यों की प्रतिशतता (10) लागू नहीं लोता वाले वाले वाले वाले वाले वाले वाले वाले						जायेगा।
होगी या नहीं (ह) (श) (श) (श) (श) (श) (श) (श)			-, -,			
(8) (9) (10) (11) (12) (13) लागू नहीं होता जाने वाले व्यक्तियों के लिए होता जाने वाले व्यक्तियों के लिए तो होता जाने वाले व्यक्तियों के लिए तो होता जाने वाले व्यक्तियों के लिए तो होते हिम्मीन होते होता । जाने वाले व्यक्तियों के लिए तो होते हिम्मीन होते हिम्मीन होते होता । जाने वाले व्यक्तियों के लिए तो होते होते होते होते होते होते होते ह						
(8) (9) (10) (11) (12) (13) लागू नहीं सीधे मर्ती किए होता जाने वाले सीधी मर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नित द्वारा। जिसके न हो स्वर्ण परिचर) (समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित सिमित जिसमें निन्नितिखत होंगे: 1. महा प्रबंधक पारत सरकार पाट्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष परिक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् भारत सरकार मुद्रणालय में कार्य कर रहा हो। हिण्णी—1: जहाँ ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जाबिक उनके ज्येष्टतम उप प्रबंधक या सहायक प्रवंधक या सहायक पाट्य पुस्तक मुद्रणालय या भारत सरकार पाट्य पुस्तक मुद्रणालय वा भारत सरकार पाट्य पुस्तक मुद्रणालय वा भारत सरकार पाट्य पुस्तक मुद्रणालय या भारत सरकार पाट्य पुस्तक मुद्रणालय या भारत सरकार पाट्य पुस्तक मुद्रणालय या भारत सरकार पाट्य पुस्तक मुद्रणालय जायेगा परन्तु यह तब जाबिक उनके ज्येष्ट त्वानित्यों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जाबिक उनके ज्येष्ट ता उपेष्टतम उप प्रबंधक या सहायक	होगी या नहीं		_			
लागू नहीं सीध मर्ती किए जाने वाले सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो तेवर्ष जिसके न हो सकने पर प्रोन्नित द्वारा। जिसके अनुरक्षण का तीन वर्ष का नियमित अनुभव हो, यांत्रिक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करने के अधीन एहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के अधीन एहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के अधीन एहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के अधीन एहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के अधीन एहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के अधीन एहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के अधीन एहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के अधीन एहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के अधीन एहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के अधीन एहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने हो। हिण्णी—1: जहाँ ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिसमें निम्मिलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक प्राप्ति प्रमारी प्रमूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्मिलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार पुर्वणालय प्रवंधक या भारत सरकार पुर्वणालय प्रवंधक प्राप्ति जिसमें निम्मिलिखित होंगे : 2. ज्येष्ट्रतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) प्रवंधक या भारत सरकार पुर्वणालय प्रवंधक या भारत सरकार पुर्वणालय ज्यों में प्रवंधक या भारत सरकार पुर्वणालय ज्यों में भी विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके 2. ज्येष्टित उपवंधक या सहायक		,			()	, ,
होता जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष जिसके न हो सकने पर प्रोन्नित द्वारा। जिसके न हो सकने पर प्रोन्नित द्वारा। जिसके न हो सकने पर प्रोन्नित द्वारा। जिसके न हो अधि। ते अनुरक्षण का तीन वर्ष का नियमित अनुभव हो, यांत्रिक में अधि। ते अनुरक्षण मंख्यान का प्रमाण पत्र धारी हो तथा जो व्यवसायिक परीक्षण मंख्यान के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण प्रा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण प्रा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण प्रा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण प्रा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण प्रा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण प्रा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण प्रा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण प्रा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण प्रा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण प्रा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण प्रा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण प्रा सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य मुद्रणालय मं कार्य कर रहा हो। हिण्णी—1: जहाँ ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा प्री कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबिक उनके उपेष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रवंधक या सहायक विया प्रवंधक या सहायक प्रवंधक या सहायक न्या सहायक न्या प्रवंधक या सहायक न्या प्रवंधक या सहायक न्या प्रवंधक या सहायक न्या				` '		
व्यक्तियों के लिए दो वर्ष जिसके न हो सकने पर प्रोन्नित द्वारा। जिसके न हो सकने पर प्रोन्नित द्वारा। जिसके परिचर) (समूह 'ग') जिन्हें मुद्रण मशीनों के अनुरक्षण का तीन वर्ष का नियमित अनुभव हो, यांत्रिक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र धारी हो तथा जो व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् भारत सरकार मुद्रणालय जिसमें जिप कर रहा हो। हिण्णी-1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाया परन्तु यह तब जबिक उनके उप प्रबंधक या सहायक या सहायक विचार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय — अध्यक्ष (उथेष्ठतम उप प्रबंधक भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय — अध्यक्ष (उथेष्ठतम उप प्रबंधक या प्रवंधक भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबिक उनके उथेष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक विचार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय — अध्यक्ष (उथेष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक विचार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय — अध्यक्ष (उथेष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक विचार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय — अध्यक्ष (उथेष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक विचार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय — अध्यक्ष (उथेष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक विचार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय — अध्यक्ष (उथेष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक विचार विच						
दो वर्ष पर प्रोन्नित द्वारा। (औद्योगिक परिचर) (समूह 'ग') जिन्हें मुद्रण मशीनों के अनुरक्षण का तीन वर्ष का नियमित अनुभव हो, यांत्रिक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र धारी हो तथा जो व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् भारत सरकार मुद्रणालय में कार्य कर रहा हो। हिप्पणी-1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्त यह तब जबिक उनके 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रवंधक या सहायक प्रवंधक या सहायक प्रवंधक था पात्र सरकार पाट्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रवंधक था पात्र सरकार पाट्य पुस्तक मुद्रणालय या भारत सरकार पाट्य पुस्तक मुद्रणालय व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्त यह तब जबिक उनके 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक	हाता					हाता ।
प्रोन्नित द्वारा। पुद्रण मशीनों के अनुरक्षण का तीन वर्ष का नियमित अनुभव हो, यांत्रिक में आँद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र धारी हो तथा जो व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् भारत सरकार मुद्रणालय में कार्य कर रहा हो। िट्रणणी—1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जा या प्रत्य पुरत्वक मुद्रणालय —अध्यक्ष जायेगा परन्त यह तब जबिक उनके 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक						
का नियमित अनुभव हो, यांत्रिक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र धारी हो तथा जो व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् भारत सरकार मुद्रणालय में कार्य कर रहा हो। टिप्पणी-1: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्त यह तब जबिक उनके 2. ज्येष्टतम उप प्रबंधक /प्रशासन प्रसंघ प्रवंधक प्रशासन प्रमूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्निलखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाट्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष उ. ज्येष्टतम उप प्रबंधक या सहायक		दा वष				
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र धारी हो तथा जो व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् भारत सरकार मुद्रणालय में कार्य कर रहा हो । िट्यणी─1: जहाँ ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्निति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबिक उनके 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक या सहायक प्रवंधक वा सहायक विचार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक			ואופ חודיוג		` 5 5	
पत्र धारी हो तथा जो व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् भारत सरकार मुद्रणालय में कार्य कर रहा हो। टिप्पणी-1: जहाँ ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्त यह तब जबिक उनके उन्थेष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रशंपलय प्राप्त सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष				का नियामत अनुभव हा, यात्रिक म		
परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् भारत सरकार मुद्रणालय में कार्य कर रहा हो। टिप्पणी-1: जहाँ ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके -सदस्य 3. ज्येष्टतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य 4. ज्येष्टतम सहायक प्रवंधक (प्रशासन) -सदस्य						
रहते हुए छ मास के प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् भारत सरकार मुद्रणालय में कार्य कर रहा हो। िट्रणणी—1: जहाँ ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्त यह तब जबकि उनके 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्निलिखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष उत्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्त यह तब जबकि उनके 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक				=		
करने के पश्चात् भारत सरकार मुद्रणालय में कार्य कर रहा हो। िटपणी—1: जहाँ ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक						
मुद्रणालय में कार्य कर रहा हो। िट्रणणी—1: जहाँ ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक						
हिंसणी—1: जहाँ ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक					(14(1	
जहाँ ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अईक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक					समह 'ग' विभागीय पष्टि समिति	
जिन्होंने अपनी अईक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक						
पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष जायेगा परन्त यह तब जबकि उनके 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक						
किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया —अध्यक्ष जायेगा परन्त यह तब जबकि उनके 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक						
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया —अध्यक्ष जायेगा परन्त यह तब जबकि उनके 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक						
जायेगा परन्तु यह तब जबिक उनके 2. ज्येष्टतम उप प्रबंधक या सहायक						
				जायेगा परन्त यह तब जबकि उनके	2. ज्येष्टतम उप प्रबंधक या सहायक	
द्वारा की गई अईक या पात्रता सेवा प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी					प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी	
अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे -सदस्य				अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे	–सदस्य	
से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से 3. ज्येष्टतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)				से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से	 ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) 	
जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने -सदस्य				जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने		
अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, टिपपण- यदि किसी मुद्रणालय का					टिप्पण- यदि किसी मुद्रणालय का	
जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो						
पहले ही पूरी कर ली है अगली उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा						
उच्चतर श्रेणीं में प्रोन्नित के लिए पदधारी जो समीप के किसी अन्य						
अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी						
पूर्वक पूरी कर ली हो। हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण						
<u>टिप्पणी—2:</u> प्रोन्ति के लिए न्यूनतम निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना						
अर्हक सेवा की संगणना करने के विभागीय प्रोन्नित समिति में शामिल				= -	l	
प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है तथा समीप के 01 जनवरी 2006 से पहले या जस मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नित पर विचार	1					
01 11111/ 2000 11 1011 10					. #CANWA OZ Z /M ANTONIO AS 1921S 1	
तारीख से जिससे छटे केन्द्रीय वेतन कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी				l	कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी	

	आयोग की सिफारिशों पर आधारित	पर स्थित है।	
	पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित		
	किया गया है, नियमित आधार पर की		
	गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की		
	सिफारिशों पर आधारित विस्तारित		
	तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की		
	गई सेवा समझी जायेगी।		

पद का	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित
नाम			ग्रेड वेतन या	अचयन पद	व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
			वेतनमान			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. बिजली	पच्चीस	साधारण केन्द्रीय	वेतन— बैंड— 1	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यकः
मिस्त्री	(25)*	सेवा, समूह 'ग'	(5200—20200		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी	
	(2016)	(अति कुशल)	रू.)+ ग्रेड वेतन		किये गये अनुदेशों या आदेशों	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था
	*(कार्यभार	अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2400 रू.		के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40	या विश्वविद्यालय से विद्युत या
	के आधार पर परिवर्तन	टिप्पण ः वित्त			वर्ष तक की जा सकती है।)	इलेक्ट्रॉनिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य; या
	किया जा	मंत्रालय की			11 (12 41 41 (12 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14	ाङस्यामा या समपुरुप, या
	सकता है)	अधिसूचना सं0			टिप्पण 1 :– आयु सीमा	(ii) भूमिगत केबल प्रणाली
	(Iq/(II Q)	1/1/2008			अवधारित करने के लिए	सहित विभिन्न प्रकार के उच्च
		–आईसी, तारीख			निर्णायक तारीख भारत में	दाब तथा निम्न दाब वाले दोना
		28 जुलाई, 2009			अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	विद्युत प्रतिष्ठान को चलाने या
		के अनुसार			करने के लिए नियत की गई	उनके अनुरक्षण के पांच वर्ष के
		अतिकुशल पद			अंतिम तारीख होगी (न कि	अनुभव के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रमाणपत्र
		अवधारित किया जायेगा, जहां			वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,	प्रारक्षण संस्था प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या विद्युत सक्षमता
		अति कुशल			मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,	प्रमाण पत्र।
		कर्मचारियों का			त्रिपुरा, सार्गपुर, सामालण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम,	2
		कांडर 50:50 के			जम्मू—कश्मीर राज्य के	
		अनुपात में बराबर			लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश	टिप्पण 1 : – अर्हताएं, अन्यथा
		विभाजित है वहाँ			के लाहौल और स्पीति जिले	सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में
		अति कुशल			तथा चम्बा जिले के पांगी	उन कारणों के लिए जो
		कर्मकार श्रेणी			उपखण्ड, अण्दमान और	लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी
		।। (वेतन बैंड—1			निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के	चयन आयोग / सक्षम अधिकारी
		+ ग्रेड वेतन			अभ्यर्थियों के लिए विहित की	के विवेकानुसार शिथिल की जा
		2400 रू.) और			गईं हैं।	सकती है।
		अतिकुशल कर्मकार श्रेणी			टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालयों	टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता
		ग्रेड—१ (वेतन			के माध्यम से की जाने वाली	(अर्हताएं) उन कारणों के लिए
		। बैंड-1+ ग्रेड			भर्ती की दशा में आयु सीमा	जो लेखबद्ध किए जायें
		वेतन 2800 रू.)			अवधारित के लिए निर्णायक	कर्मचारी चयन आयोग् / सक्षम
		के रूप में पुनः			तारीख वह अंतिम तारीख	अधिकारी के विवेकानुसार
		पदाभिहित किया			होगी जिस तक रोजगार	अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के
		गया है।			कार्यालयों से नाम भेजने के	अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब
					लिए कहा गया है।	शिथिल की जा सकती है जब
						चयन के किसी प्रक्रम पर उन
						कारणों के लिए जो लेखबद्ध
						किए जायें कर्मचारी चयन
						आयोग / सक्षम अधिकारी की
						यह राय है कि उनके लिए
						आरक्षित रिक्तियों को भरने के
						लिए अपेक्षित अनुभव _् रखने
						वाले उन समुदायों के
						अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
						उपलब्ध होने की सम्भावना नही है
						Б

सीधे भर्ती किये जाने	परिवीक्षा की अवधि, यदि	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में
वाले व्यक्तियों के लिए विहित	कोई है	या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/	प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
आयु और शैक्षिक अर्हताएं		आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा			जायेगा
प्रोन्न्त व्यक्तियों		भरी जाने वाली रिक्तियों की			
की दशा में लागू होगी या नहीं		प्रतिशतता			
(8) लागू नहीं	(9) सीधे भर्ती	(10)	(11) प्रोन्नति	(12) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	(13) लागू नहीं होता
होता	किए जाने वाले	(i) 33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो	(i) वेतन बैंड—1 (5200—20200 रू.)+ ग्रेड वेतन 1900 रू. में ऐसे वायरमैन जिन्होंने	जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत	ભા ન મકા કાલા
	व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सकने पर प्रतिनियुक्ति	व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित	सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय	
	प्रोन्नत प्रोन्नत	द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती	सेवा की है। टिप्पणी—1 :	—अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय	
	व्यक्तियों के लिए लागू	द्वारा	जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	प्रभारी —सदस्य	
	नहीं होता।	(ii) 67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो	प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार	3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	
		सकने पर पदोन्नति द्वारा।	किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अईक या पात्रता सेवा अपेक्षित अईक	–सदस्य	
			या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत	
			जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति	सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय	
			के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	—अध्यक्ष 2. ज्येष्टतम उप प्रबंधक या	
			टिपणी-2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अईक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी	सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी	
			अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन	—सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	
			संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग	—सदस्य टिप्पण— यदि किसी मुद्रणालय का	
			की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी	पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी	
			जायेगी।	अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा	
			प्रतिनियुक्ति:— केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी —	है को मुद्रण निदेशालय के किसी	
			(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुये हैं; या	निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता	
			(ii) जिन्होंने वेतन बैंड — 1 (5200—20200 रू.) + ग्रेड वेतन 1900 रू० में वायरमैन की श्रेणी में	है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे	
			आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पणी —1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय	मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	
			अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनुक्ति पर नियुक्ति कि लिए विचार किए		
			जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार		
			किए जाने कि पात्र नहीं होंगे। <u>टिप्पणी –2:</u> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके		
			अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्नय पद पर		
			प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
			िट्यणी −3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की		

अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं	
होगी।	
<u>टिप्पणी −4ः</u> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार	
पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी	
द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख	
से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की	
सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना	
का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर	
की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ	
एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का	
साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक	
श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह	
काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित	
होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना	
किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है	
उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित	
विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में	
की गई सेवा समझी जायेगी।	

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित
			ग्रेड वेतन या	अचयन पद	व्यक्तियों के लिए आयु	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
			वेतनमान		सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. वायर मैन	पच्चीस	साधारण	वेतन— बैंड— 1	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यक :
	(25)*	केन्द्रीय सेवा,	(5200—20200		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी	
	(2016)	समूह 'ग'	रू.) + ग्रेड		किये गये अनुदेशों या	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से
	* (कार्यभार	(कुशल),	वेतन 1900 रू.		आदेशों के अनुसार सरकारी	मैट्रिकुलेशन (दसवीं उत्तीर्ण) या
	के आधार पर	अराजपत्रित,			सेवकों के लिए शिथिल	समतुल्य; तथा विद्युत व्यवसाय में
	परिवर्तन	अननुसचिवीय			करके 40 वर्ष तक की जा	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का
	किया जा				सकती है।)	प्रमाण पत्र सहित सुसंगत क्षेत्र में
	सकता है)					दो वर्ष का अनुभव; या
					टिप्पण 1 : — आयु सीमा	(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था या
					अवधारित करने के लिए	विश्वविद्यालय से विद्युत या
					निर्णायक तारीख भारत में	इलेक्ट्रॉनिक में तीन वर्ष का
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	डिप्लोमा सहित सुसंगत क्षेत्र में
					करने के लिए नियत की	एक वर्ष का अनुभव।
					गई अंतिम तारीख होगी (न	टिप्पण 1 :- अर्हताएं, अन्यथा
					कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल	सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में
						उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध
						किए जायें कर्मचारी चयन
					नागालैण्ड,	आयोग / सक्षम अधिकारी के
					राज्य के लद्दाख खंड,	विवेकानुसार शिथिल की जा
					हिमाचल प्रदेश के लाहौल	सकती है।
					और स्पीति जिले तथा	टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता
					चम्बा जिले के पांगी	(अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो
					उपखण्ड, अण्डमान और	लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी
					निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप	चयन आयोग / सक्षम अधिकारी के विवेकानसार अनसचित
					के अभ्यर्थियों के लिए	3 36
					विहित की गईं हैं।	जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की
						दशा में तब शिथिल की जा
					टिप्पण 2 :- रोजगार	सकती है जब चयन के किसी
					कार्यालयों के माध्यम से की	प्रक्रम पर उन कारणों के लिए
					जाने वाली भर्ती की दशा	जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी
					में आयु सीमा अवधारित के	चयन आयोग/सक्षम अधिकारी
					लिए निर्णायक तारीख वह	की यह राय है कि उनके लिए
					अंतिम तारीख होगी जिस	आरक्षित रिक्तियों को भरने के
					तक रोजगार कार्यालयों से	लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले
					नाम भेजने के लिए कहा	उन समुदायों के अभ्यर्थियों के
					गया है।	पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की
						सम्भावना नहीं है
<u> </u>	1	l	1	l	1	

सीधं भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, ः कोई है	की यदि	मर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रितिनयुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नित समिति हैं, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	दो वर्ष		शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय /भारत सरकार पाउ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य विष्ण— यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	लागू नहीं होता ।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित
			ग्रेड वेतन या	अचयन पद	वाले व्यक्तियों के लिए	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
			वेतनमान		आयु सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. वेल्डर	ग्यारह (11)*	साधारण	वेतन— बैंड— 1	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यक :
	(2016)	केन्द्रीय सेवा,	(5200-20200	होता।	(केन्द्रीय सरकार द्वारा	
	* (कार्यभार के	समूह 'ग'	रू.) + ग्रेड वेतन		जारी किये गये अनुदेशों	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से
	आधार पर	(कुशल),	1900 ক.		या आदेशों के अनुसार	मैट्रिकुलेशन (दसवीं पास) या
	परिवर्तन किया	अराजपत्रित,			सरकारी सेवकों के लिए	समतुल्य;
	जा सकता है)	अननुसचिवीय			शिथिल करके 40 वर्ष	(ii) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक
					तक की जा सकती है।)	प्रशिक्षण संस्थान से वेल्डर
						व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण
					टिप्पण 1 :– आयु सीमा	संस्थान प्रमाणपत्र।
					अवधारित करने के लिए	(iii) विधि के अनुसार स्थापित
					निर्णायक तारीख भारत में	किसी उद्योग या कार्यशाला में
					अभ्यर्थियों से आवेदन	वेल्डर के रूप में कम से कम
					प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम	तीन वर्ष का अनुभव हो।
					तारीख होगी (न कि वह	•
					अंतिम तारीख जो असम,	टिप्पण 1 :– अर्हताएं, अन्यथा
					मेघालय, अरूणाचल	सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में
					प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध
					नागालैण्ड, त्रिपुरा,	किए जाए कर्मचारी चयन
					सिक्किम, जम्मू–कश्मीर	आयोग / सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा
					राज्य के लद्दांख खंड,	ापपपगनुसार ।साथल का जा

	हिमाचल प्रदेश के लाहौल	सकती है।
	और स्पीति जिले तथा	टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता
	चम्बा जिले के पांगी	(अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो
	उपखण्ड, अण्दमान और	लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी
	निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप	
	के अभ्यर्थियों के लिए	
	विहित की गईं हैं।	पर्वापपागुसार अगुसूचित
	।वाहत का गई ह।	जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की
	टिप्पण 2 :- रोजगार	दशा में तब शिथिल की जा
	कार्यालयों के माध्यम से	सकती है जब चयन के किसी
	की जाने वाली भर्ती की	
	दशा में आयु सीमा	जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी
	अवधारित के लिए	चयन आयोग/सक्षम अधिकारी
	निर्णायक तारीख वह	की यह राय है कि उनके लिए
	अंतिम तारीख होगी जिस	आरक्षित रिक्तियों को भरने के
	तक रोजगार कार्यालयों	लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले
	से नाम भेजने के लिए	उन समुदायों के अभ्यर्थियों के
	कहा गया है।	पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की
		सम्भावना नहीं है
		All the light Q

जाने वाले ३	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
7	(9) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(10) शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	(11) लागू नहीं होता	(12) समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्निलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य टिप्पण— यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पद्मित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नित समित में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नित पर विचार कर रहे मुद्रणालय कर सबसे कम दरी पर स्थित है।	(13) लागू नहीं होता।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	सीमा (6)	(7)
12. बढ़ई	ग्यारह (11)* (2016) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन— बैंड— 1 (5200—20200 रू0)+ ग्रेड वेतन 1900 रू0	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं पास) या समतुल्य; (ii) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से

अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आयेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणुप, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिविकम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौंल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्यमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी उपखण्ड, अण्यमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी उपखण्ड, अण्यमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी उपखण्ड, अण्यमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के अभ्यर्थियों के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अध्यर्थ के नाम करानी ते वे कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में तब	सव	कता है)		टिप्पण 1 :- आयु सीमा	बढ़ईगिरी में औद्योगिक प्रशिक्षण
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणायल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिविकम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमायल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्यमान और निकांबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी उपखण्ड, अण्यमान और निकांबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी उपखण्ड, अण्यमान और निकांबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी उपखण्ड, अण्यमान और निकांबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार क्षम्वारी चयन आयोग / सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में तब जाने वाली भर्ती की दशा में तब हि।				अवधारित करने के लिए	संस्थान प्रमाणपत्र।
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणायल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिविकम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमायल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्यमान और निकांबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी उपखण्ड, अण्यमान और निकांबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी उपखण्ड, अण्यमान और निकांबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी उपखण्ड, अण्यमान और निकांबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार क्षम्वारी चयन आयोग / सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में तब जाने वाली भर्ती की दशा में तब हि।				निर्णायक तारीख भारत में	(iii) विधि के अनसार स्थापित
करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिकिकम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के विविकानुसार विश्व जायें कर्मचारी विहित की गई हैं। दिष्ण 2:- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में तब जाने वाली या सकती है जब अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के विविकानुसार विश्व जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम प्रिक्त की गई हैं।				अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	किसी उद्योग या दकान में
गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिकिकम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लददाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अम्थर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी उपखण्ड, अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी उपखण्ड, अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम विहित की गई हैं। हिष्ण 2 :— रोजगार कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथल की जा सकर्ती है जब स्वर्धीयों के नियं जातियों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब जाने वाली भर्ती की दशा में तब शिथल की जा सकर्ती है जब				करने के लिए नियत की	बढर्ड के रूप में कम से कम
कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लददाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्यमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वा किए जायें कर्मचारी उपखण्ड, अण्यमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वा किए जायें के लिए निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के लिए जो लेखबद्ध किए जायें के लिए निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अन्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें के अन्यर्थियों के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जातियों के कार्यालयों के माध्यम से की जा सकती है जब					
असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जोयें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम अधिकारी निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जोयें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। हिम्मण 2:— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जोयें के अभ्यर्थियों के लिए जोयें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम के विवेकानुसार कार्यालयों के माध्यम से की जम्स्यर्थियों की दशा में तब जाने वाली भर्ती की दशा हिथल की जा सकती है जब				कि वह अंतिम तारीख जो	
प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जोयें के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। हिप्पण 2:— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जोयें के अभ्यर्थियों के लिए जोयें के अभ्यर्थियों के लिए जोयें के विवेकानुसार विहित की गई हैं। अधिकारी के विवेकानुसार विवेकानुसार कार्यालयों के माध्यम से की जम्यर्थियों की दशा में तब जाने वाली भर्ती की दशा में तब जाने वाली भर्ती की दशा में तब जाने वाली है जब				असम, मेघालय, अरूणाचल	टिप्पण 1 :- अर्हताएं. अन्यथा
नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी उपखण्ड, अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम के विवेकानुसार शिथल की जा सक्ती या क्ष्मचारी चयन आयोग / सक्षम के विवेकानुसार कार्यालयों के माध्यम से की जम्म्यर्थियों की दशा में तब जाने वाली भर्ती की दशा शिथल की जा सकती है जब				प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	
सिक्कम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लददाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जोयें के अभ्यर्थियों के लिए जोयें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम विहित की गई हैं। अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:— रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में तब जाने वाली भर्ती की दशा शिथल की जा सकती है जब				नागालैण्ड, त्रिपुरा,	
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं। अधिकारी के विवेकानुसार विवेकानुसार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में तब जाने वाली भर्ती की दशा में तब				सिक्किम, जम्मू–कश्मीर	लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी
और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप जो लेखबद्ध किए जायें के अभ्यर्थियों के लिए विदित्त की गई हैं। अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या क्षार्यालयों के माध्यम से की जामे वाली भर्ती की दशा शिथल की जा सकती है जब				राज्य के लद्दाख खंड,	
और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्दमान और (अईताएं) उन कारणों के लिए नेकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जोयें कम्बारी चयन आयोग / सक्षम विहित की गई हैं। अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या क्षय्यां के माध्यम से की अभ्यर्थियों की दशा में तब जाने वाली भर्ती की दशा शिथल की जा सकती है जब					के विवेकानुसार शिथिल की जा
उपखण्ड, अण्दमान और (अर्हताएं) उन कारणों के लिए निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप जो लेखबद्ध किए जायें के अभ्यर्थियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम विहित की गईं हैं। अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या टिप्पण 2 :- रोजगार अनुसूचित जनजातियों के कार्यालयों के माध्यम से की अभ्यर्थियों की दशा में तब जाने वाली भर्ती की दशा शिथल की जा सकती है जब					सकती है।
निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप जो लेखबद्ध किए जायें के अभ्यर्थियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम विहित की गईं हैं। अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या टिप्पण 2 :— रोजगार अनुसूचित जनजातियों के कार्यालयों के माध्यम से की अभ्यर्थियों की दशा में तब जाने वाली भर्ती की दशा शिथल की जा सकती है जब					टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता
निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप जो लेखबद्ध किए जायें के अभ्यर्थियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम विहित की गई हैं। अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या टिप्पण 2 :— रोजगार अनुसूचित जनजातियों के कार्यालयों के माध्यम से की अभ्यर्थियों की दशा में तब जाने वाली भर्ती की दशा शिथल की जा सकती है जब					(अईताएं) उन कारणों के लिए
विहित की गईं हैं। अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या टिप्पण 2 :– रोजगार अनुसूचित जनजातियों के कार्यालयों के माध्यम से की अभ्यर्थियों की दशा में तब जाने वाली भर्ती की दशा शिथिल की जा सकती है जब				निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप	
विहित की गईं हैं। अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या टिप्पण 2 :— रोजगार अनुसूचित जनजातियों के कार्यालयों के माध्यम से की अभ्यर्थियों की दशा में तब जाने वाली भर्ती की दशा शिथिल की जा सकती है जब					कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम
अनुसूचित जातियों या टिप्पण 2 :— रोजगार अनुसूचित जनजातियों के कार्यालयों के माध्यम से की अभ्यर्थियों की दशा में तब जाने वाली भर्ती की दशा शिथल की जा सकती है जब				विहित की गईं हैं।	अधिकारी के विवेकानुसार
टिप्पण 2 :- रोजगार अनुसूचित जनजातियों के कार्यालयों के माध्यम से की अभ्यर्थियों की दशा में तब जाने वाली भर्ती की दशा शिथल की जा सकती है जब					अनुसूचित जातियों या
कार्यालयों के माध्यम से की अभ्यर्थियों की दशा में तब जाने वाली भर्ती की दशा शिथल की जा सकती है जब					अनुसूचित जनजातियों के
					अभ्यर्थियों की दशा में तब
					शिथिल की जा सकती है जब
में आयु सीमा अवधारित के विचयन के किसी प्रक्रम पर उन					चयन के किसी प्रक्रम पर उन
लिए निर्णायक तारीख वह कारणों के लिए जो लेखबद्ध					कारणों के लिए जो लेखबद्ध
अंतिम तारीख होगी जिस किए जायें कर्मचारी चयन					किए जायें कर्मचारी चयन
तक रोजगार कार्यालयों से आयोग / सक्षम अधिकारी की					
					यह राय है कि उनके लिए
गया है। आरक्षित रिक्तियों को भरने के				गया है।	आरक्षित रिक्तियों को भरने के
लिए अपेक्षित अनुभव रखने					लिए अपेक्षित अनुभव रखने
वाले उन समुदायों के					वाले उन समुदायों के
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में					अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं					
					最

सीधं भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	मर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8) लागू नहीं होता	(9) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(10) शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	(11) लागू नहीं होता	(12) समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्निलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय/भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य विष्ण यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नित समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नित पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	(13) लागू नहीं होता।

पद का	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक
नाम			ग्रेड वेतन या	अचयन पद	व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	और अन्य अर्हताएं
			वेतनमान		_	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
१३. ड्राइवर	ਾ (06)*	साधारण	वेतन— बैंड— 1	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यक :
(भारी यान)	(2016)	केन्द्रीय सेवा,	(5200—20200		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या
	* (कार्यभार	समूह 'ग'	रू0)+ ग्रेड वेतन		किये गये अनुदेशों या आदेशों	विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा
	के आधार	(कुशल),	1900 रू0		के अनुसार सरकारी सेवकों के	उत्तीर्ण;
	पर परिवर्तन	अराजपत्रित,			लिए शिथिल करके 40 वर्ष	(ii) भारी यान चलाने का पांच वर्ष
	किया जा	अननुसचिवीय			तक की जा सकती है।)	का अनुभव;
	सकता है)					(iii) भारी मोटर यान चलाने के
					टिप्पण 1 :- आयु सीमा	लिए अपेक्षित विधिमान्य चालन
					अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में	अनुज्ञप्ति हो।
					निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	<u>वांछनीय :</u>
					करने के लिए नियत की गई	(i) ऑटोमोबाइल मरम्मत का ज्ञान।
					अंतिम तारीख होगी (न कि वह	टिप्पण 1 :– अर्हताएं, अन्यथा
					अंतिम तारीख जो असम,	सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन
					मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,	कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,	जायें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम
					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर	अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल
					राज्य के लद्दाखं खंड,	की जा सकती है।
					हिमाचल प्रदेश के लाहौल और	टिष्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो
					स्पीति जिले तथा चम्बा जिले	लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन
					के पांगी उपखण्ड, अण्दमान	आयोग / सक्षम अधिकारी के
					और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप	विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या
					के अभ्यर्थियों के लिए विहित	अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों
					की गईं हैं।	की दशा में तब शिथिल की जा
					<u> </u>	सकती है जब चयन के किसी
					टिप्पण 2 :— रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली	प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो
					क माध्यम स का जान वाला भर्ती की दशा में आयु सीमा	लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन
					अवधारित के लिए निर्णायक	आयोग / सक्षम अधिकारी की यह
					तारीख वह अंतिम तारीख होगी	राय है कि उनके लिए आरक्षित
					जिस तक रोजगार कार्यालयों	रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित
					से नाम भेजने के लिए कहा	अनुभव रखने वाले उन समुदायों के
					गया है।	अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
					- '	उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8) लागू नहीं होता	(9) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(10) (i) 83 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नित द्वारा; (ii) 17 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	(11) प्रोनित वैतन बैंड—1 (रू० 5200—20200)+ ग्रेड वेतन 1900 रू० में ऐसे ड्राइवर जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास भारी यान के लिए चालन अनुज्ञप्ति है। टिप्पणी—1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब	(12) समूह 'ग' भर्ती पुष्टि समित जिसमें निम्निलिखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य	(13) लागू नहीं होता।

जबिक उनके द्वारा की गई अईक या पात्रता सेवा अपेक्षित अईक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अईक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पणी-2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरिक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तित्था गया है सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।

प्रतिनियुक्तः-

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी –

- (i) जो वेतन बैंड 1 (5200– 20200 रू) + ग्रेड वेतन 1900 रू० में नियमित रूप से ड्राइवर का पद धारण किए हुए है।;
- (ii) वेतन बैंड 1 (5200—20200 रू) + ग्रेड वेतन 1900 रू0 में ऐसे ड्राइवर (हल्के यान) जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास भारी यान के लिए अनुज्ञप्ति है।

टिषणी —1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनिकित पर नियुक्ति कि लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने कि पात्र नहीं होंगे।

हिषणी —2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्न्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणत्या तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिष्पणी –3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी —4: प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन कि लिए किसी समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति जिसमें निम्निलेखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या

- महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय
- —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी

—सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)

—सदस्य **टिप्पण**– यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दुरी पर स्थित है।

	अधिकारी द्वारा 01 जनवरी,	
	2006 से पहले (उस तारीख से	
	जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग	
	की सिफारिशों पर आधारित	
	पुनरीक्षित वेतन संरचना का	
	विस्तार किया गया है) नियमित	
	आधार पर की गई सेवा को,	
	सिवाय उस दशा के, जहाँ एक	
	से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान	
	का साधारण ग्रेड वेतन या	
	वेतनमान सहित एक श्रेणी में	
	विलय कर दिया गया है और	
	वहाँ यह काम केवल उस पद	
	(उन पदों) पर विस्तारित होगा	
	जिसके लिए ग्रेड वेतन या	
	वेतनमान बिना किसी उन्नयन का	
	साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त	
	वेतन आयोग की सिफारिशों पर	
	आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड	
	वेतन या वेतनमान में की गई	
	सेवा समझी जायेगी।	

पद का	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित
नाम	१५ राज्या	41147(*)	ग्रेड वेतन या	अचयन पद	व्यक्तियों के लिए आयु	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
गान			वेतनमान	अववर्ग पद	सीमा	शाबक आर अन्य अहसार
(4)	(0)	(0)		(5)		(7)
(1)	(2)	(3)	(4) वेतन— बैंड— 1	(5)	(6) 18 से 27 वर्ष के बीच।	(7)
१४. ड्राइवर	पन्द्रह् (15)*	साधारण केन्द्रीय		अचयन पद		आवश्यक :
(हल्का	(2016)	सेवा, समूह 'ग'	(5200—20200		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी	
यान)	* (कार्यभार	(कुशल),	रू0) + ग्रेड		किये गये अनुदेशों या	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या
	के आधार पर	अराजपत्रित,	वेतन 1900 रू0		आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल	विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा
	परिवर्तन	अननुसचिवीय			करके 40 वर्ष तक की जा	उत्तीर्ण या समतुल्य;
	किया जा सकता है)				सकती है।)	(ii) हल्का मोटर यान चलाने का पांच वर्ष का अनुभव;
	,				टिप्पण 1 ≔ आयु सीमा	(iii) हल्का मोटर यान चलाने के
					अवधारित करने के लिए	लिए अपेक्षित विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो।
					निर्णायक तारीख भारत में	अनुशास्त हा। वांछनीय :
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	(i) ऑटोमोबाइल मरम्मत का
					करने के लिए नियत की	
					गई अंतिम तारीख होगी (न	ज्ञान।
					कि वह अंतिम तारीख जो	(ii) यातायात नियमों का ज्ञान।
					असम, मेघालय, अरूणाचल	टिप्पण 1 :– अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में
					प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध
					नागालैण्ड, त्रिपुरा,	किए जायें कर्मचारी चयन
					सिक्किम, जम्मू—कश्मीर	आयोग / सक्षम अधिकारी के
					राज्य के लद्दाख खंड,	विवेकानुसार शिथिल की जा
					हिमाचल प्रदेश के लाहौल	सकती है।
					और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी	टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता
					l .	(अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो
					उपखण्ड, अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप	लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी
					के अभ्यर्थियों के लिए	चयन आयोग / सक्षम अधिकारी
					विहित की गईं हैं।	के विवेकानुसार अनुसूचित
					।वाद्या यम गई है।	जातियों या अनुसूचित
					टिप्पण 2 :- रोजगार	जनजातियों के अभ्यर्थियों की
					कार्यालयों के माध्यम से की	दशा में तब शिथिल की जा
					जाने वाली भर्ती की दशा	सकती है जब चयन के किसी
					में आयु सीमा अवधारित के	प्रक्रम पर उन कारणों के लिए
					लिए निर्णायक तारीख वह	जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी
					अंतिम तारीख होगी जिस	चयन आयोग/सक्षम अधिकारी
					तक रोजगार कार्यालयों से	की यह राय है कि उनके लिए
					नाम भेजने के लिए कहा	आरक्षित रिक्तियों को भरने के
					गया है।	लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले
					01	उन समुदायों के अभ्यर्थियों के
						पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की
						सम्भावना नहीं है

सीधं भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न्त व्यक्तियों की	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनयुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
दशा में लागू होगी या नहीं		रिक्तियों की प्रतिशतता			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नित द्वारा; (ii) 25 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोनिते वेतन बैंड—1 (क. 5200—20200) + ग्रेड पे 1800 क. में ऐसे क्लीनर झाइवर जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास हल्के या भारी यान के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है। Curvilla	समूह 'ग' भर्ती पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार पाट्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय अपेष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार पाट्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य 3. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रवंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रवंधक / सहायक प्रवंधक (प्रशासन) —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रवंधक / सहायक प्रवंधक (प्रशासन) —सदस्य देषण— यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य पुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नित समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नित पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	लागू नहीं होता।

आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया	
गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को,	
सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व	
पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या	
वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया	
है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर	
विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान	
बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है	
उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित	
विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की	
गई सेवा समझी जायेगी।	
14 (14) (14) (14)	

पद का	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित
नाम			वेतन या वेतनमान	अचयन पद	वाले व्यक्तियों के	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
					लिए आयु सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. डार्क	इकतीस	साधारण केन्द्रीय	वेतन— बैंड— 1	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के	आवश्यक :
रूम	(31)*	सेवा, समूह 'ग'	(5200-20200 रू.)		बीच।	
सहायक	(2016)	(अति कुशल)	+ ग्रेड वेतन 2400		(केन्द्रीय सरकार द्वारा	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था
	* (कार्यभार	अराजपत्रित,	रू.		जारी किये गये	से मुद्रण प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष
	के आधार पर	अननुसचिवीय टिप्पण : वित्त			अनुदेशों या आदेशों	का डिप्लोमा या समतुल्य तथा
	परिवर्तन				के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए	प्रोसेस कैमरा के प्रचालन का
	किया जा	मंत्रालय की अधिसूचना सं.			सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष	एक वर्ष का अनुभव; या
	सकता है)	1/1/2008			तक की जा सकती	(ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से
		–आईसी, तारीख			है।)	१२वीं कक्षा उर्त्तीण या
		28 जुलाई, 2009			C 1/	समतुल्य तथा शिक्षु अधिनियम
		के अनुसार			टिप्पण 1 :- आयु सीमा	1961 (1961 का 52) के अधीन प्रोसेस कैमरा में प्रशिक्षुता
		अतिकुशल पद			अवधारित करने के	सफलता पूर्वक पूरा करने का
		अवधारित किया			लिए निर्णायक तारीख	प्रमाणपत्र के साथ में प्रोसेस
		जायेगा, जहां अति			भारत में अभ्यर्थियों से	कैमरा के प्रचालन का तीन वर्ष
		कुशल कर्मचारियों			आवेदन प्राप्त करने	का व्यावहारिक अनुभव।
		का काडर 50:50 के			के लिए नियत की	टिप्पण : रसायन के साथ 12वीं
		अनुपात में बराबर			गई अंतिम तारीख	कक्षा उत्तीर्ण करने वाले
		विभाजित है वहाँ			होगी (न कि वह	अभ्यर्थियों को वरीयता दी
		अति कुशल कर्मकार श्रेणी II			अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,	जाएगी।
		(वेतन बैंड—1+ ग्रेड			अरुगाचल प्रदेश,	टिप्पण 1 :– अर्हताएं, अन्यथा
		वितन ४४०० रू.)			मिजोरम, मणिपुर,	सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में
		और अतिकुशल			नागालैण्ड, त्रिपुरा,	उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी
		कर्मकार श्रेणी			सिक्किम,	चयन आयोग / सक्षम अधिकारी
		ग्रेड—1 (वेतन			जम्मू—कश्मीर राज्य	के विवेकानुसार शिथिल की जा
		बैंड−1 + ग्रेड			के लद्दाख खंड,	सकती है।
		वेतन 2800 रू.) के			हिमाचल प्रदेश के	टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी
		रूप में पुनः			लाहौल और स्पीति	अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के
		पदाभिहित किया			जिले तथा चम्बा	लिए जो लेखबद्ध किए जायें
		गया है।			जिले के पांगी	कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम
					उपखण्ड, अण्दमान	अधिकारी के विवेकानुसार
					और निकोबार द्वीप	अनुसूचित जातियों या
					या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए	अनुसूचित जनजातियों के
					विहित की गईं हैं।	अभ्यर्थियों की दशा में तब
					टिप्पण 2 :– रोजगार	शिथिल की जा सकती है जब
					कार्यालयों के माध्यम	चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध
					से की जाने वाली	कारणा क ।लए जा लखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन
					भर्ती की दशा में आयु	आयोग / सक्षम अधिकारी की
					सीमा अवधारित के	यह राय है कि उनके लिए
					लिए निर्णायक तारीख	आरक्षित रिक्तियों को भरने के
					वह अंतिम तारीख	लिए अपेक्षित अनुभव रखने
					होगी जिस तक	वाले उन समदायों के
					रोजगार कार्यालयों से	अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
					नाम भेजने के लिए	उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं
					कहा गया है।	है ।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	समूह 'ग' भर्ती पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : (i) महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय — अध्यक्ष (ii) ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी — सदस्य (iii) ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) — सदस्य टिष्ण — यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर	लागू नहीं होता ।

नाम ग्रेड वेतन या वेतनमान अचयन पद वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 16. प्लेट उनहत्तर (69)* साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (5200—20200 (केन्द्रीय सरकार द्वारा	र्हिताएं
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 16. प्लेट उनहत्तर (69)* साधारण केन्द्रीय वेतन— बैंड— 1 अचयन पद 18 से 27 वर्ष के बीच। मेकर (2016) सेवा, समूह 'ग' (5200—20200 (केन्द्रीय सरकार द्वारा	
16. प्लेट उनहत्तर (69)* साधारण केन्द्रीय वेतन— बैंड— 1 अचयन पद 18 से 27 वर्ष के बीच। आवश्यक : मेकर (2016) सेवा, समूह 'ग' (5200—20200 (केन्द्रीय सरकार द्वारा	
मेकर (2016) सेवा, समूह 'ग' (5200—20200 (केन्द्रीय सरकार द्वारा	
जा सकता है) टिप्पण : वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/1/2008 — आईसी, तारीख 28 जुलाई, 2009 के अनुसार अतिकुशल पद अवधारित किया जायेगा, जहां अति कुशल कर्मचारियों का काडर 50:50 के अनुपात में बराबर विभाजित है वहाँ अति कुशल कर्मकार श्रेणी (वेतन बँड—1 + ग्रेड वेतन 2400 क.) और अतिकुशल कर्म— कार श्रेणी ग्रेड—1 (वेतन बँड—1 + वितन बँड—1 + वितन बँड—1 + वितन बँड—1 + वितन बँड—1 (वेतन बँड—1 + वितन बँड—1 (वेतन बँड—1 क्रांट्र) के वितन बँड—1 (वेतन बंड—1 (वेतन बंवन वेतन वेतन वेतन वेतन वेतन वेतन वेतन वे	त दो वर्ष का फ्लेट मेकर अौद्योगिक माण पत्र या स व्यवसाय में ; या प्राप्त बोर्ड से मतुल्य; और नियम 1961 : अधीन प्लेट सफलता पूर्वक ण पत्र सहित मुद्रणालय में तीन वर्ष का अभ्यर्थियों को ो जिन्होंने 12 क्या है जिसमें क विषय के ताएं, अन्यथा की दशा में

पुनः पदाभिहित		की जाने वाली भर्ती की	विवेकानुसार शिथिल की जा
किया गया है।		दशा में आयु सीमा	सकती है।
		अवधारित के लिए	टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता
		निर्णायक तारीख वह	(अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो
		अंतिम तारीख होगी जिस	लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी
		तक रोजगार कार्यालयों	
		से नाम भेजने के लिए	
		कहा गया है।	जातियों या अनुसूचित
			जनजातियों के अभ्यर्थियों की
			दशा में तब शिथिल की जा
			सकती है जब चयन के किसी
			प्रक्रम पर उन कारणों के लिए
			जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी
			चयन आयोग/सक्षम अधिकारी
			की यह राय है कि उनके लिए
			आरक्षित रिक्तियों को भरने के
			लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले
			उन समुदायों के अभ्यर्थियों के
			पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की
			सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना (12)	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
लागू नहीं होता	सीधे मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) 15 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (ii) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नित द्वारा।	प्रोन्मि (i) वेतन बँड-1 (5200-20200 रू०)+ ग्रेड पे 1900 रू० में ऐसे सहायक प्लेट मेकर जिन्होंने व्यावसियक परीक्षण में अईता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तेरह वर्ष सेवा की है। टिपणि-1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अईक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अईक या पात्रता सेवा अपेक्षित अईक या पात्रता सेवा अपेक्षित अईक या पात्रता सेवा अपेक्षित अईक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अईक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। टिपणी-2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अईक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति जिसमें निम्निलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)—सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्निलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रवंधक (तकनीकी) या कार्यालय पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)—सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)—सदस्य	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित
			ग्रेड वेतन या	अचयन पद	वाले व्यक्तियों के लिए	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
			वेतनमान		आयु सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. सहायक	बत्तीस (32)*	साधारण केन्द्रीय	वेतन— बैंड— 1	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यकताः
प्लेट मेकर	(2016)	सेवा, समूह 'ग'	(5200-20200		(केन्द्रीय सरकार द्वारा	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से
	*(कार्यभार के	(কুগল),	रू.)+ ग्रेड वेतन		जारी किये गये	मेट्रीकुलेशन (१०वीं कक्षा
	आधार पर	अराजपत्रित	1900 ক.		अनुदेशों या आदेशों के	उत्तीर्ण) या समतुल्य; और
	परिवर्तन	अननुसचिवय			अनुसार सरकारी सेवकों	(ii) शिक्षु अधिनियम 1961
	किया जा				के लिए शिथिल करके	(1961 का 52) के अधीन प्लेट
	सकता है)				40 वर्ष तक की जा	भेकिंग में शिक्षुता सफलतापूर्वक
	,				सकती है।)	पूरा करने का प्रमाणपत्र सहित
					टिप्पण 1 : - आयु सीमा	प्लेट मेकिंग का तीन वर्ष का
					अवधारित करने के	व्यावहारिक अनुभव; या
					लिए निर्णायक तारीख	(iii) प्लेट मेकिंग व्यवसाय में
					भारत में अभ्यर्थियों से	्रों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से
					आवेदन प्राप्त करने के	प्रमाणपत्र और प्लेट मेकिंग
					लिए नियत की गई	अनुभाग में विभिन्न प्रकार की
					अंतिम तारीख होगी (न	प्लेट तैयार करने का पांच वर्ष
					कि वह अंतिम तारीख	का अनुभव।
					जो असम, मेघालय,	-
					अरूणाचल प्रदेश,	

		मिजोरम, मणिपुर,	वांछनीय :
		नागालैण्ड, त्रिपुरा,	मुद्रण प्रौद्योगिकी (ऑफ–सेट) में
		सिक्किम, जम्मू–कश्मीर	डि प्लोमा।
		राज्य के लद्दांख खंड,	टिप्पण 1 :- अर्हताएं, अन्यथा
		हिमाचल प्रदेश के	सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में
		लाहौल और स्पीति	उन कारणों के लिए जो
		जिले तथा चम्बा जिले	लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी
		के पांगी उपखण्ड,	चयन आयोग/सक्षम अधिकारी
		अण्दमान और निकोबार	के विवेकानुसार शिथिल की जा
		द्वीप या लक्षद्वीप के	सकती है।
		अभ्यर्थियों के लिए	टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी
		विहित की गईं हैं।	अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के
		टिप्पण 2 :- रोजगार	लिए जो लेखबद्ध किए जायें
		कार्यालयों के माध्यम से	कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम
		की जाने वाली भर्ती की	अधिकारी के विवेकानुसार
		दशा में आयु सीमा	अनुसूचित जातियों या
		अवधारित करने के	अनुसूचित जनजातियों के
		लिए निर्णायक तारीख	अभ्यर्थियों की दशा में तब
		वह अंतिम तारीख होगी	शिथिल की जा सकती है जब
		जिस तक रोजगार	चयन् के किसी प्रक्रम पर उन
		कार्यालयों से नाम	कारणों के लिए जो लेखबद्ध
		भेजने के लिए कहा	किए जायें कर्मचारी चयन
		गया है।	आयोग / सक्षम अधिकारी की
			यह राय है कि उनके लिए
			आरक्षित रिक्तियों को भरने के
			लिए अपेक्षित अनुभव् रखने
			वाले उन समुदायों के
			अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
			उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं
			है

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या	अवधि, यदि कोई है	मर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनयुक्त / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली प्रिक्तयों की	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(8) लाग् नहीं	(9) सीधे भर्ती	(10) (i) 16 प्रतिशत	(11) <u>प्रोन्नति</u>	(12) समूह 'ग' विभागीय	(13) लागू नहीं
होता	किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नित द्वारा; (ii) 84 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	(i) वेतन बैंड—1 (5200—20200 रू.)+ ग्रेड वेतन 1900 रू. में ऐसे परिचर जिनके पास व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए प्लैट मेकिंग में तीन वर्ष का व्यावसायिक अनुभव है। टिप्पणी—1: जहाँ ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आंधे से अधिक से या वो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी—2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग	प्रोन्नित समिति जिसमें निम्निलेखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय — अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी — सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) — सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्निलेखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय / भारत	होता ।

की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन सरकार पाठ्य पुस्तक या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी। मुद्रणालय –अध्यक्ष प्रतिनियक्तः-2. ज्येष्ठतम उप केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी -प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या (i) जो वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रू.) + ग्रेड वेतन कार्यालय प्रभारी 1900 रू. में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं ; या 3. ज्येष्टतम सहायक (ii) वेतन बैंड - 1 (5200-20200 रू.) + ग्रेड वेतन प्रबंधक (प्रशासन) 1900 रू. में ऐसे परिचर (ऑफ-सेट) जिनके पास –सदस्य व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हए प्लैट मेकिंग में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव है। टिप्पण- यदि किसी टिप्पणी -1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो मुद्रणालय का पूर्वीक्त प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के पदधारी उपलब्ध नहीं लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार है, तो उसी पदनाम प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार तथा हैसियत का किए जाने कि पात्र नहीं होंगे। ऐसा पदधारी जो टिप्पणी -2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय समीप के किसी अन्य सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस मुद्रणालय नियक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य नियमित आधार पर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन उसी हैसियत से कार्य वर्ष से अधिक नहीं होगी। कर रहा है को मुद्रण **टिप्पणी −3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम निदेशालय के किसी आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को निबंधनों के बिना छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। विभागीय प्रोन्नति टिपपी -4: प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति समिति में शामिल के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, किया जा सकता है 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन तथा समीप के आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन मुद्रणालय वह हैं जो संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की प्रोन्नति पर विचार गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक कर रहे मुद्रणालय से पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या सबसे कम दूरी पर वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है स्थित है। और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।

	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1) 18. मशीन त परिचर 3 (ऑफ—सेट) ((2) तीन सौ अङ्सढ (368)* (2016) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), अराजपत्रित, अननुसचिवीय टिप्पण : वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं0 1/1/2008 —आईसी, तारीख 28 जुलाई, 2009 के अनुसार अतिकुशल पद अवधारित किया जायेगा, जहां अति कुशल कर्मचारियों का काडर 50:50 के अनुपात में बराबर विभाजित है वहाँ अति कुशल कर्मकार श्रेणी II (वेतन बैंड—1+ ग्रेड वेतन 2400	वतन या वतनमान (4) वेतन— बैंड— 1 (5200—20200 रू.) + ग्रेड वेतन 1900 रू.	पद (5) लागू नहीं होता	(6) 18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिपण 1:— आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं। टिप्पण 2:— रोजगार	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य; (ii) शिक्षु अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन ऑफ—सेट मशीन में शिक्षुता सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाणपत्र; (iii) एकल तथा बहुरंगी मुद्रण कार्य करने के लिए ऑफ—सेट मशीन के प्रचालन का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1:— अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन

कः) और अतिकुशल कर्मकार श्रेणी ग्रेड—1 (वेतन बैंड—1+ ग्रेड वेतन 2800 रू.) के रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है।		कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के
--	--	--	---

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 46 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (ii) 54 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्निति द्वारा।	प्रोनिते वेतन बैंड—1 (5200—20200 रू.)+ ग्रेड वेतन 1800 रू. में ऐसे श्रमिक (औद्योगिक परिचर) जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अईता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है। टिप्पणी—1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अईक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अईक या पात्रता सेवा अपेक्षित अईक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अईक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी—2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अईक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए क्रिपी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी। प्रितियुक्ति— केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी — (i) जो वेतन बैंड — 1 (5200—20200रू.) + ग्रेड वेतन 1900 रू. में नियमित आधार पर	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति जिसमें निम्निखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाट्य पुस्तक मुद्रणालय — अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी — सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) — सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्निलिखित होंगे: 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक (प्रशासन) — सदस्य / भारत सरकार पुरुणालय / भारत सरकार पुरुणालय / भारत सरकार पाट्य पुस्तक मुद्रणालय — अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी — सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) — सदस्य 4. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) — सदस्य 5. ज्येष्ठतम उप प्रवंधक (प्रशासन) — सदस्य 1. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) — सदस्य 1. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) — सदस्य 1. ज्येष्ठतम सहायक प्रवंधक (प्रशासन) — सदस्य 1. ज्येष्ठतम सहायक प्रवंधक (प्रशासन) — सदस्य 1. जो समीप के किसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नित सिमित में	लागू नहीं होता ।

		सदृश पदधारण किए हुए हैं ; या	शामिल किया जा सकता है	
		(ii) जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अईता	तथा समीप के मुद्रणालय वह	
		प्राप्त करने के अधीन रहते हुए वेतन बैंड –	हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर	
		1 + ग्रेड वेतन 1800 रू० श्रेणी में तीन वर्ष	रहे मुद्रणालय से सबसे कम	
		नियमित सेवा की है।	दूरी पर स्थित है।	
		टिप्पणी –1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय		
		अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं		
		प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए		
		जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार		
		प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के		
		लिए विचार किए जाने कि पात्र नहीं होंगे।		
		<u>टिप्पणी –2</u> : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके		
		<u>icwv -2</u> : प्रातानयुक्त का अवाव जिसक अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी		
		अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से		
		ठीक पहले धारित किसी अन्य काउर बाह्य		
1		पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं		
		साधारणतया तथा तान वष स आधक नहा होगी।		
		** ***		
		टिप्पणी –3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के		
		लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त		
		करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से		
		अधिक नहीं होगी।		
		<u>टिप्पणी -4:</u> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के		
		आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए		
		किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से		
1		पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय		
		वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित		
		पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया		
		गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा		
		को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से		
		अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण		
		ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में		
		विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम		
		केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित		
		होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान		
		बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन		
		ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों		
		पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन		
		या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।		
	1		ı	

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती के लिए
			वेतन या वेतनमान	अचयन पद	जाने वाले व्यक्तियों	अपेक्षित शैक्षिक
					के लिए आयु सीमा	और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19. सहायक	आट (8)*	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड— 1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
निरीक्षक (नियंत्रण)	(2016)	सेवा, समूह 'ग',	(5200—20200 रू.)			
	* (कार्यभार के आधार	अराजपत्रित,	+ ग्रेड वेतन 2800			
	पर परिवर्तन किया	अननुसचिवीय	₹5.			
	जा सकता है)					
	,					

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्गति द्वारा या प्रतिनयुक्त / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(8) (9) (10)		(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं	शत– प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति :	समूह 'ग' चयन समिति जिसमें	लागू नहीं
-	होता ।	प्रतिनियुक्ति		निम्नलिखित होंगे :	होता ।
		द्वारा।	केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी–	1. महा प्रबंधक या प्रबंधक,	
			(i) जो वेतन बैंड—1 (5200—20200 रू.)+	भारत सरकार मुद्रणालय /	

भारत सरकार पाठ्य पुस्तक ग्रेड वेतन 2800 रू. में सदृश पदधारण किए हुए है; या मुद्रणालय –अध्यक्ष 2. ज्येष्टतम उप प्रबंधक / (ii) जो वेतन बैंड-1 (5200-20200रू0) + ग्रेंड वेतन 2400 रू में सेक्शन होल्डर, सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी -सदस्य रीडर, ऑफसेट मशीन सहायक और 3. ज्येष्टतम सहायक प्रबंधक ऑफसेट प्लेट मेकर के रूप में उस मुद्रणालय में सदृश पदधारण किए हुए हैं (प्रशासन) -सदस्य और जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा टिप्पण- यदि किसी मुद्रणालय की है। का पर्वोक्त पदधारी उपलब्ध टिप्पणी -1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय नहीं हैं, तो उसी पदनाम तथा अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैसियत का ऐसा पदधारी जो हैं प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर उसी हैसियत से कार्य कर के लिए विचार किए जाने कि पात्र नहीं रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना <u>टिप्पणी -2</u>: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है अन्य संगठन या विभाग में इस नियक्ति से तथा समीप के मुद्रणालय वह ठीक पहले धारित किसी अन्य काउँर बाह्य हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है रहे मुद्रणालय से सबसे कम साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। दूरी पर स्थित है। टिप्पणी -3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिपपणी -4: प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेंड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।

पद का नाम	पद सख्या	वर्गीकरण	वेतन बेंड और	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित
			ग्रेड वेतन या	अचयन पद	वाले व्यक्तियों के लिए	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
			वेतनमान		आयु सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. रीज़ोग्राफ	छत्तीस (३६)*	साधारण केन्द्रीय	वेतन— बैंड— 1	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यकः
प्रचालक	(2016)	सेवा, समूह 'ग'	(5200—20200		(केन्द्रीय सरकार द्वारा	
	*(कार्यभार के	(अति कुशल)	रू.) + ग्रेड वेतन		जारी किये गये अनुदेशों	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड
	आधार पर	अराजपत्रित	2400 ক.		या आदेशों के अनुसार	
	परिवर्तन किया	अननुसचिवीय			सरकारी सेवकों के लिए	(ii) लिथो ऑफ—सेट मशीन
	जा सकता है)				शिथिल करके 40 वर्ष	. , माइंडर में औद्योगिक प्रशिक्षण
	,	टिप्पण : वित्त			तक की जा सकती है।)	संस्थान प्रमाण पत्र सहित
		मंत्रालय की				लिथो ऑफ—सेट मशीन
		अधिसूचना सं.			टिप्पण 1 :- आयु सीमा	प्रचालन का तीन वर्ष का
		1/1/2008			अवधारित करने के लिए	अनुभव;
		–आईसी, तारीख			निर्णायक तारीख भारत में	(iii) लिथो ऑफ—सेट मशीन
		28 जुलाई, 2009			अभ्यर्थियों से आवेदन	माइंडर में प्रशिक्षुता सहित
		के अनुसार			प्राप्त करने के लिए	रीज़ोग्राफ / एकल रंग /
		अतिकुशल पद			नियत की गई अंतिम	बहुरंग ऑफ-सेट मशीन के
		अवधारित किया			तारीख होगी (न कि वह	.5

	जायेगा, जहां अति		अंतिम तारीख जो असम,	प्रचालन का दो वर्ष का
	कुशल कर्मचारियों		मेघालय, अरूणाचल	अनुभव।
	का काडर 50:50 के		प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	S
	अनुपात में बराबर		नागालैण्ड, त्रिपुरा,	वांछनीय :
	विभाजित है वहाँ		सिक्किम, जम्मू–कश्मीर	(i) किसी सरकारी संस्था से
	अति कुशल		राज्य के लद्दाख खंड,	मुद्रण प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष
	कर्मकार श्रेणी II		हिमाचल प्रदेश के लाहौल	का डिप्लोमा।
			और स्पीति जिले तथा	· ·
	(वेतन बैंड—1+ ग्रेड		जार स्पात जिल तथा	(ii) ऑफ-सेट मशीन पर
	वेतन 2400 रू.)		चम्बा जिले के पांगी	एकल रंग या बहुरंग के
	और अतिकुशल		उपखण्ड, अण्दमान और	प्रचालन का तीन वर्ष का
	कर्मकार श्रेणी		निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप	अनुभव।
	ग्रेड—1 (वेतन		के अभ्यर्थियों के लिए	
	बैंड—1+ ग्रेड वेतन		विहित की गईं हैं।	टिप्पण 1 :- अर्हताएं, अन्यथा
	2800 रू.) के रूप			सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा
	में पुनः पदाभिहित		टिप्पण 2 : — रोजगार	में उन कारणों के लिए जो
	किया गया है।		कार्यालयों के माध्यम से	लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी
			की जाने वाली भर्ती की	चयन आयोग / सक्षम
			दशा में आयु सीमा	अधिकारी के विवेकानुसार
			अवधारित करने के लिए	शिथिल की जा सकती है।
			निर्णायक तारीख वह	टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी
			अंतिम तारीख होगी जिस	अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों
			तक रोजगार कार्यालयों	के लिए जो लेखबद्ध किए
			से नाम भेजने के लिए	
			कहा गया है।	जायें कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम अधिकारी के
			401 141 01	
				विवेकानुसार अनुसूचित
				जातियों या अनुसूचित
				जनजातियों के अभ्यर्थियों की
				दशा में तब शिथिल की जा
				सकती है जब चयन के
				किसी प्रक्रम पर उन कारणों
				के लिए जो लेखबद्ध किए
				जायें कर्मचारी चयन
				आयोग / सक्षम अधिकारी की
				यह राय है कि उनके लिए
				आरक्षित रिक्तियों को भरने
				के लिए अपेक्षित अनुभव
				रखने वाले उन समुदायों के
				अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
				उपलब्ध होने की सम्भावना
				नहीं है

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	शत—प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्ति (i) वेतन बैंड-1 (5200-20200 रू०)+ ग्रेड वेतन 1900 रू० में ऐसे मशीन परिचर (ऑफसेट) जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अईता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिपणी-1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में, जिन्होंने अपनी अईक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जायेगा। परन्तु	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्निति समिति जिसमें निम्निलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य	लागू नहीं होता ।

यह तब जविक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हा और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले हो पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली है।

टिप्पणी-2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अईक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रिय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायवी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति :-

केन्द्रीय सरकार के ऐसे का अधिकारी :

- (i) जो वेतन बैंड-1 (5200-20200 रू.)+ ग्रेड वेतन 2400 रू. में सदृश पदधारण किए हुए है; या
- (ii) वेतन बैंड-1 (5200-20200 रू.)+ ग्रेड वेतन 1900 रू. में ऐसे मशीन परिचर जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।
- टिप्पणी —1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोनन्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने कि पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी —2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके
- <u>टिष्पणी -2</u>: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रिय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठिक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्नय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणन्या तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पणी -3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की आंतिम तारीख का छपपन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- <u>टिप्पणी -4</u>: प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विकय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :

- महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय-अध्यक्ष
- ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी—सदस्य
 ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)—सदस्य

यदि टिप्पण-किसी मुद्रणालय का पूर्वीक्त पदधारी उपलब्ध नहीं हैं, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित
			ग्रेड वेतन या	अचयन पद	वाले व्यक्तियों के लिए	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
			वेतनमान		आयु सीमा	- ,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21. सिल्क	आठ (8)*	साधारण केन्द्रीय	वेतन— बैंड— 1	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यक :
स्क्रीन	(2016)	सेवा, समूह 'ग'	(5200-20200	होता	(केन्द्रीय सरकार द्वारा	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड
प्रचालक	*(कार्यभार के	(अति कुशल)	रू0) + ग्रेड वेतन		जारी किये गये अनुदेशों	से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या
	आधार पर	अराजपत्रित	2400 र ू 0		या आदेशों के अनुसार	समतुल्य और जिनके पास
	परिवर्तन किया	अननुसचिवीय			सरकारी सेवकों के लिए	एकल तथा बहुरंगी सिल्क
	जा सकता है)	टिप्पणः वित्त			शिथिल करके 40 वर्ष	स्क्रीन मुद्रण कार्य करते हुए
		मंत्रालय की			तक की जा सकती है।)	सिल्क स्कीन मुद्रण प्रकिया
		अधिसूचना सं0				का पांच वर्ष का अनुभव।
		1/1/2008			टिप्पण 1 :- आयु सीमा	(ii) शिक्षु अधिनियम 1961
		–आईसी, तारीख 28 जुलाई, 2009			अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में	(1961 का 52) के अधीन
		वि अनुसार के अनुसार			अभ्यर्थियों से आवेदन	शिक्षुता ्के सफलता पूर्वक
		अतिकुशल पद			प्राप्त करने के लिए	पूरा करने का प्रमाण पत्र और
		अवधारित किया			नियत की गई अंतिम	स्कीन प्रिंटिंग कार्य में दो वर्ष का अनुभव।
		जायेगा, जहां अति			तारीख होगी (न कि वह	का अनुमय। टिप्पण 1 :— अर्हताएं, अन्यथा
		कुशल कर्मचारियों			अंतिम तारीख जो असम,	सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा
		का काडर 50:50 के			मेघालय, अरूणाचल	में उन कारणों के लिए जो
		अनुपात में बराबर			प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी
		विभाजित है वहाँ			नागालैण्ड, त्रिपुरा,	चयन आयोग/सक्षम
		अति कुशल			सिक्किम्, जम्मू–कश्मीर	अधिकारी के विवेकानुसार
		कर्मकार श्रेणी II			राज्य के लद्दांख खंड,	शिथिल की जा सकती हैं।
		(वेतन बैंड—1 +			हिमाचल प्रदेश के लाहौल	टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी
		ग्रेड वेतन 2400			और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी	अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों
		रू.) और अतिकुशल			चम्बा ।जल क पागा उपखण्ड, अण्दमान और	के लिए जो लेखबद्ध किए
		कर्मकार श्रेणी			निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप	जायें कर्मचारी चयन
		ग्रेड—१ (वेतन			के अभ्यर्थियों के लिए	आयोग / सक्षम अधिकारी के
		बैंड-1 + ग्रेड			विहित की गईं हैं।	विवेकानुसार अनुसूचित
		वेतन 2800 रू.) के			1410रा पर्रा गर् छ।	जातियों या अनुसूचित
		रूप में पुनः			टिप्पण 2 :- रोजगार	जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा
		पदाभिहित किया			कार्यालयों के माध्यम से	सकती है जब चयन के
		गया है।			की जाने वाली भर्ती की	किसी प्रक्रम पर उन कारणों
					दशा में आयु सीमा	के लिए जो लेखबद्ध किए
					अवधारित करने के लिए	जायें कर्मचारी चयन
					निर्णायक तारीख वह	आयोग / सक्षम अधिकारी की
					अंतिम तारीख होगी जिस	यह राय है कि उनके लिए
					तक रोजगार कार्यालयों	आरक्षित रिक्तियों को भरने
					से नाम भेजने के लिए	के लिए अपेक्षित अनुभव
					कहा गया है।	रखने वाले उन समुदायों के
						अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
						उपलब्ध होने की सम्भावना
						नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	मर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
()	()	/ \	()	/ \	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(8) लाग् नहीं	सीधे भर्ती	(i) 62 प्रतिशत	<u>प्रोन्नति</u>	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं
(8) लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने	(i) 62 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	<u>प्रोन्नति</u> (i) वेतन बैंड–1 (5200–20200 रू.)+ ग्रेड	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित	
(8) लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	(i) 62 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो	प्रो न्नति (i) वेतन बैंड-1 (5200-20200 रू.)+ ग्रेड वेतन 1900 रू. में ऐसे सहायक स्क्रीन	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :	लागू नहीं
(8) लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो	(i) 62 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति (i) वेतन बैंड–1 (5200–20200 रू.)+ ग्रेड वेतन 1900 रू. में ऐसे सहायक स्क्रीन आपरेटर जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित	लागू नहीं
(8) लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	(i) 62 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो	प्रोन्गि (i) वेतन बैंड–1 (5200–20200 रू.)+ ग्रेड वेतन 1900 रू. में ऐसे सहायक स्क्रीन आपरेटर जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए उस	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :	लागू नहीं
(8) लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो	(i) 62 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा;	प्रोन्नति (i) वेतन बैंड–1 (5200–20200 रू.)+ ग्रेड वेतन 1900 रू. में ऐसे सहायक स्क्रीन आपरेटर जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक	लागू नहीं
(8) लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो	(i) 62 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति	प्रोन्गि (i) वेतन बैंड—1 (5200—20200 रू.)+ ग्रेड वेतन 1900 रू. में ऐसे सहायक स्क्रीन आपरेटर जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पणी—1:	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय/	लागू नहीं

जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबन्ध में भी विचार किया जायेगा। परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले हो पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलता पूर्वक पूरी कर ली है।

टिपणी—2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अईक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रिय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तार तत्स्थायी ग्रंड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति :-

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :

- (i) जो वेतन बैंड—1 (5200—20200 रू.)+ ग्रेड वेतन 2400 रू. में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किये हुए हैं; या
- (ii) वेतन बैंड—1 (5200—20200 रू.)+ ग्रेड वेतन 1900 रू. में ऐसे सहायक स्कीन आपरेटर जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के आठ वर्ष नियमित सेवा की है।
- टिप्पणी —1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कि लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रेतिनियुक्त व्यक्ति प्रोननित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने कि पात्र नहीं होंगे।
- टिप्पणी -2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रिय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्रय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पणी -3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की आंतिम तारीख का छपपन वर्ष से अधिक नहीं होगी।?

टिपपी -4: प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वितनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।

प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य

ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) –सदस्य

समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:

- 1. महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय / भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय —अध्यक्ष
- 2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य

टिप्पण— यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नित समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नित पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित
			ग्रेड वेतन या	अचयन पद	व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
			वेतनमान			·
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		साधारण	वेतन— बैंड— 1		18 से 27 वर्ष के बीच।	आवश्यकः
		केन्द्रीय सेवा,		होता।	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी	
स्क्रीन प्रचालक	आठ (8)* (2016)*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)		वेतन— बैंड— 1 (5200—20200 रू.) + ग्रेड वेतन 1900 रू.	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिपण 1 :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अतिम तारीख होगी (न कि वह अतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गईं हैं। टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और (ii) जिनके पास एकल तथा बहुरंग सिल्क स्कीन प्रिंटिंग कार्य करते हुए सिल्क स्कीन प्रिंटिंग प्रकिया के प्रचालन का तीन वर्ष का अनुभव; या (iii) शिक्षु अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन शिक्षुता के सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र सिहत सिल्क स्कीन प्रिंटिंग का एक वर्ष का अनुभव। टिष्ण 1:— अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अन्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिष्ण 2:— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में अध्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में

सीधे	भर्ती किये	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति,	प्रोन्नति या	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी	किन परिस्थितियों में
जाने	वाले	अवधि, यदि	भर्ती सीधे होगी या	प्रतिनियुक्ति या	संरचना	संघ लोक सेवा
व्यकि	तयों के	कोई है	प्रोन्नति द्वारा या	आमेलन द्वारा भर्ती		आयोग से परामर्श
लिए		,	प्रतिनियुक्ति /	कि दशा में वे		किया जायेगा
आयु			आमेलन द्वारा तथा	श्रेणियाँ जिनसे		
शैक्षि	क अईताएं		विभिन्न पद्धतियों	प्रोन्नति या		
	त व्यक्तियों		द्वारा भरी जाने	प्रतिनियुक्ति या		
की	दशा में		वाली रिक्तियों की	आमेलन किया		
लाग्	होगी या		प्रतिशतता	जाएगा		
नहीं	्होगी या					
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
₹	गगू नहीं होता	सीधे भर्ती किए	शत–प्रतिशत सीधी	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' भर्ती पुष्टि समिति जिनमें निम्नलिखित	लागू नहीं होता।
	होता	जाने वाले	भर्ती द्वारा।		होंगें :	•
		व्यक्तियों के			1. महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार	
		लिए दो वर्ष			मुद्रणालय /भारत सरकार पाठ्य पुस्तक	
					मुद्रणालय –अध्यक्ष	

	 ज्येष्टतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी —सदस्य ज्येष्टतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) —सदस्य टिप्पण— यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नित समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नित पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।
--	--

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक
			ग्रेड वेतन या	अचयन पद	वाले व्यक्तियों के लिए	और अन्य अर्हताएं
()	()	()	वेतनमान	()	आयु सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) 18 से 27 वर्ष के बीच।	(7)
23. श्रमिक (औद्योगिक	पांच सौ बारह (512)*	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन— बैंड— 1 (5200—20200रु.)	लागू नहीं होता।	18 स 27 वर्ष के बाच (केन्द्रीय सरकार द्वारा	<u>आवश्यकः</u>
परिचर)	(2016)	समूह 'ग'	(3200—20200 <i>\(\frac{1}{2}\)</i> + ग्रेड वेतन	GIVIII	जारी किये गये अनुदेशों	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं
,	*(कार्यभार के	(अक् श ल),	1800 र ₀ 0		या आदेशों के अनुसार	कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य;
	आधार पर	अराजपत्रित,	1000 170		सरकारी सेवकों के लिए	
	परिवर्तन	अननुसचिवीय			शिथिल करके 40 वर्ष	(ii) विधिक अस्तित्व वाले किसी
	किया जा				तक की जा सकती है।)	मुद्रणालय में कार्य करने का दो वर्ष
	सकता है)				टिप्पण 1 :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए	का अनुभव तथा भारी लदान और
					अवधारित करन के लिए निर्णायक तारीख भारत में	उतराई एवं अन्य मुद्रणालय से संबंधित कार्य के प्रचालन से परिचित
					अभ्यर्थियों से आवेदन	हो।
					प्राप्त करने के लिए	
					नियत की गई अंतिम	<u>वांछनीय :</u>
					तारीख होगी (न कि वह	(1) 000 00000000000000000000000000000000
					अंतिम तारीख जो असम,	(i) शिक्षु अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन शिक्षुता के सफलता
					मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	पूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र।
					नागालैण्ड, त्रिपुरा,	214 21 41 41 41 41 11 11
					सिक्किम, जम्मू–कश्मीर	(ii) मैकेनिक व्यवसाय में अधिमान्तः
					राज्य के लद्दांख खंड,	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से
					हिमाचल प्रदेश के लाहौल	राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र ।
					और स्पीति जिले तथा	टिप्पण 1 :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित
					चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्दमान और	अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के
					निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप	लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी
					के अभ्यर्थियों के लिए	चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के
					विहित की गईं हैं।	विवेकानुसार शिथिल की जा सकती
					टिप्पण 2 ≔ रोजगार	है।
					कार्यालयों के माध्यम से	टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता
					की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा	(अईताएं) उन कारणों के लिए जो
					दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए	लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन
					निर्णायक तारीख वह	आयोग / सक्षम अधिकारी के
					अंतिम तारीख होगी जिस	विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या
					तक रोजगार कार्यालयों	अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा
					से नाम भेजने के लिए	सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम
					कहा गया है।	पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध
						किए जायें कर्मचारी चयन
						आयोग / सक्षम अधिकारी की यह राय
						है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों
						को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव
						रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में
						अन्यायया क पयाप्त संख्या म उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है
	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Property of the Control of Control

सीधं भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्त्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा ।
(8) लागू नहीं	(9) सीधे भर्ती किए	(10) शत—प्रतिशत	(11) लागू नहीं	(12) समूह 'ग' भर्ती पुष्टि समिति जिनमें निम्नलिखित होंगे :	(13) लागू नहीं होता
होता	जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।	होता ।	 महा प्रबंधक या प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय/ भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय-अध्यक्ष ज्येष्ठतम उप प्रबंधक / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रमारी-सदस्य ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)-सदस्य टिप्पण- यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नित समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नित पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है। 	होता

[फा. सं. 22/5/2011/ए-1]

कैलाश चौधरी, अवर अचिव (पी.एस.पी.-1)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DIRECTORATE OF PRINTING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2016

- G.S.R. 15(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Government of India Presses (Group 'C' and Group 'D' Industrial posts) Recruitment Rules, 2003, insofar as they relate to the posts of Section Holder (Bindery/Time Checker (Bindery), Binder, Assistant Binder, Reader, Copy Holder, Head Mechanic (Printing & Binding), Mechanic (Printing & Binding), Assistant Mechanic (Printing & Binding), Electrician, Wireman, Welder, Carpenter, Truck Driver (Heavy Vehicle), Driver (Light Vehicle), Dark Room Assistant, Offset Plate Maker, Assistant Plate Maker (offset), Offset Machine. Attendant, Assistant Inspector (Control), Electronic Duplicating Machine Operator/Resographer Operator, Silk Screen Operator, Assistant Silk Screen Operator and Labourer(Industrial Attendant), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Non-Ministerial Industrial Posts in the Ministry of Urban Development, Government of India Presses and Branches, Directorate of Printing, namely:-
- **1. Short title and commencement.**—These rules may be called the Ministry of Urban Development, Government of India Presses and Branches, Directorate of Printing, Group 'C' (Industrial) Posts Recruitment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Number of posts, classification pay band and grade pay or pay scale.** The number of said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- **4. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.** .—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
 - Disqualification.—No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;
 - shall be eligible for appointment to the said post:
- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- **6. Power to relax.**—Where the Central Government is 'of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons,
- **7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other category of persons in accordance with the decisions/ orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay ban and grad pay or pa scale	le selection	Age limit for direct recruits	t Educational qualifications requ recruits	and other ired for direct
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Ninety	General	Pay Band-	1, Non-	Between 18 to 27 years.	Essential:	
Section Holder (Binding)	Ninety Six (96)* (2016) *(subject to variation dependent on work load)	Central Service,	Pay Band-1 (Rs.5200- 20200) with Grade pa of Rs. 2800	selection post	(Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial data for determining the agalimit shall be the closing date for receipt or applications from candidates in India (and not the closing data prescribed for those in Assam, Meghalaya Arunachal Pradesh Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmi State, Lahaul and Spit District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himacha Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2:- In the case or recruitment through Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Three year Diplor Technology or equivalent to Desirable: Two year's experient in a press or institute entity including experience in Bind the Press. Note 1: Qualification at the discretion of Commission/Composin the case of candi well qualified. Note 2: The regarding experience the discretion of the Commission/Composin the case of canditate to Scheduled Caste Tribes if at any state the Staff Selection Competent Authon opinion that the su of candidates communities posse experience are not available to fill to reserved for them.	aty or institution. The control of
Whether a					ruitment by promotion or	If a Departmental	Circumstances
and educational	probation if any,	n, recruitment whether b			absorption grades from otion or deputation or	Promotion Committee exists,	in which Union
qualificatio		recruitment		absorption to b		Committee exists, what is its	Public Service
prescribed		promotion	or	1		composition.	Commission
for dire		deputation/					is to be
apply in ca		absorption percentage	and of the				consulted in making
of		vacancies	to be				recruitment.
promotees.		filled by	various				
(8)	(9)	methods (10)		(11)		(12)	(13)
No	Two	Hundred pe	ercent by	Promotion:		Group 'C'	Not applicable
	years fo	or promotion	failing	Binder in Pay	Band-1 (Rs.5200-20200)	Departmental	
	Direct Recruits	which			y of Rs. 2400 having five	Promotion Committee	
	Recruits	deputation both by			r service in the grade, by Assistant Binder in	committee consisting of:-	
		recruitment			(Rs.5200-20200) and	General Manager	
				Grade Pay of	f Rs.1900 with thirteen	or Manager of	
				years regular s	ervice in the grade.	Government of India	

Note 1:

Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2:

For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation:

Officers of the Central Government-

- (i) holding analogous posts in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) plus Grade Pay Rs.2,800 on regular basis.
- (ii) with five years regular service in the grade in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 2,400.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in any other excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been

Press/ Government of India Text Books Presses - Chairman 2. Senior most Deputy Manager/ Senior most Assistant Manager (Technical) Officer-in-Charge -Member 3. Senior most Assistant Manager (Administration)

Group 'C'
Departmental
Confirmation
Committee
consisting of:-

-Member

- 1. General Manager or Manager Government of India Press/ Government of India Text Books Presses - Chairman Senior most Deputy Manager/Senior most Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge - Member Senior most
- 3. Senior most Assistant Manager (Administration) -Member

Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are available, not officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.

extended) shall be deem rendered in the correspo or pay scale extended recommendations of commission except who been merger of more revised scale of pay into a common grade pay or where this benefit will the post(s) for which the pay scale is the norm	nding grade pay I based on the The Pay here there has than one pre- to one grade with r pay scale, and extend only for nat grade pay or
grade without any upgra	±

(1) (2) 2. Four Binder Hund and Eight One (481) (2016) *(sub to	General Central Service, Group 'C' (Highly Skilled), Non-Gazetted,	(4) Pay Band-1 Rs.5200-	(5) Non- Selection	(6) Between 18 to 27	(7) Essential:
Binder Hund and Eight One (481) (2016	red Group 'C' (Highly Skilled), Non-Gazetted,	Band-1		Between 18 to 27	Eccential:
chang as work load.)	Note: The term Highly Skilled shall be determined in accordance with the notification of the Ministry of Finance No.1/1/2008-IC dated the 28 th July, 2009, where the	20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Selection	years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1 :The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to	Three years Diploma in Printing Technology (Offset) or equivalent from a recognised university or institution. Desirable: One year experience of working in Binding section in press or institution having legal entity. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	`	Promotion:	Group 'C' Departmental	Not
applicable	years	(i) 75% by	Assistant Binder in Pay Band-1 (Rs. 5200-	Promotion Committee	applicable
	for	promotion	20200) and Grade Pay Rs. 1900/- with eight	consisting of:-	
	direct	failing which	years service in the grade.		
	recruits.	by deputation;		1. General Manager or	
		(") 256	Note 1:	Manager of Government of	
		(ii) 25% by	Where juniors who have completed their	India Press or Government	
		direct recruitment	qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall	of India Text Books Presses —Chairman	
		failing which	also be considered provided they are not short	—Chairman	
		by promotion.	of the requisite qualifying or eligibility	2. Seniormost Deputy	
		o promotion.	service by more than half of such qualifying	Manager/Seniormost	
		(Preference	or eligibility service or 2 years, whichever is	Assistant Manager	
		will be given	less and have successfully completed their	(Technical) or Officer-in-	
		to the	probation period for promotion to the next	Charge —Member	
		employees	higher grade along with their juniors who		
		declared	have already completed such qualifying or	3. Senior most Assistant	
		surplus in the	eligibility service.	Manager (Administration)	
		similar grade	Note 2.	—Member	
		and required	Note 2:	Group 'C' Denoutmental	
		to be redeployed/	For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service	Group 'C' Departmental Confirmation Committee	
		redesignated)	rendered on a regular basis by an officer prior	consisting of:-	
		- cacaignated)	to 1st January, 2006 or the date from which		
			the revised pay structure based on the 6 th	1.General Manager or	
			Central Pay Commission recommendations	Manager of Government of	
			has been extended, shall be deemed to be	India Press or Government	
			service rendered in the corresponding grade	of India Text Books Presses	
			pay or pay scale extended based on the	—Chairman	
			recommendations of the Pay Commission.		
			Donutation	2.Seniormost Deputy	
			<u>Deputation:</u> Officers of the Central Government-	Manager/SeniormostAssistant Manager (Technical) or	
			Officers of the Central Government-	Officer-in-Charge —Member	
			holding the analogous post in Pay Band-1	officer in charge Weineer	
			(Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 2,400	3. Senior most Assistant	
			on regular basis; or	Manager (Administration) —Member	
			with eight years regular service in the grade in	Weineer	
			Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay	Note: If any of the aforesaid	
			of Rs. 1900	officials of the same Press are	
			Note 1: The departmental officers in the	not available, officials	
			feeder category who are in the direct line of	holding posts of the same	
			promotion shall not be eligible for		
			consideration for appointment on deputation.	regular basis in other nearest	
			Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.	sister Presses shall be included in the composition	
			тот арронинсти оу ртошоноп.	of the aforesaid Committee	
			Note 2: Period of deputation including period	and nearest Press is to be	
			of deputation in any other ex-cadre post held	decided in terms of the	
			immediately preceding this appointment in	distance.	
			the same or some other organization or		
			department of the Central Government shall		
			ordinarily not exceed three years.		
			Note 2. The manifestory is the control of		
			Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not		
			exceeding fifty-six years as on the closing		
			date of receipt of applications.		
			Note 4: For the purpose of appointment on		
			deputation or absorption basis, the service		
			rendered on a regular basis by an officer prior		
			to 1st January, 2006 (the date from which the		
			revised pay structure based on the Sixth Pay		
			Commission's Recommendations been		
<u>I</u>			extended) shall be deemed to be service		

rendered in the corresponding grade pay of pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	
--	--

Five (1085) Non- Grade (2016) Gazetted, Pay of Non- Rs.1900. *(subject to variation dependent on work load.) Five ('C'(Skilled), with Government servants up of years in accordance with the instruction or orders issued to the Centre Government) Note 1 : The cruci date for determining the age limit shall to the closing date for receipt	(i) Matriculation (10 th class) Pass or equivalent from any recognised Board; and (ii) Certificate of successful completion of Apprenticeship under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) in the relevant trade; <i>or</i> (iii) Certificate of successful completion of vocational course at +2 level in Printing Technology in Binding trade. Note 1: Qualifications are relaxable at the hining discretion of Staff Selection
Assistant Binder Thousand and Service, Eighty Group Five 'C'(Skilled), (1085) Non- (2016) Gazetted, Non- *(subject to variation dependent on work load.) **Note 1: The cruci date for determining the age limit shall be the closing date for candidates in Ind (and not the closin date prescribed for those in Assar Meghalaya, Arunachal Prades Mizoram, Maniput in the servents up of the servants	(i) Matriculation (10 th class) Pass or equivalent from any recognised Board; and (ii) Certificate of successful completion of Apprenticeship under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) in the relevant trade; or (iii) Certificate of successful completion of vocational course at +2 level in Printing Technology in Binding trade. Note 1: Qualifications are relaxable at the hining discretion of Staff Selection
Binder and Eighty Five (C'(Skilled), (1085) (2016) *(subject to variation dependent on work load.) Binder Binder And Eighty Group (C'(Skilled), (1085) Non- (Relaxable for Government servants up of Ayears in accordance with the instruction or orders issued by the Centre Government) Note 1: The cruci date for determining the age limit shall be the closing date for candidates in Ind (and not the closin date prescribed for those in Assar Meghalaya, Arunachal Prades Mizoram, Maniput	for equivalent from any recognised Board; and (ii) Certificate of successful completion of Apprenticeship under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) in the relevant trade; or (iii) Certificate of successful completion of vocational course at +2 level in Printing Technology in Binding trade. rucial Note 1: Qualifications are relaxable at the hining discretion of Staff Selection
Sikkim, Ladal Division of Jamn and Kashmir Stat Lahaul and Sp. District and Pan Sub-Division Chamba District Himachal Prades Andaman ar Nicobar Islands Lakshadweep). Note 2:- In the ca of recruitme through Employment Exchange, the candidate of the care of the candidate of the	case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. State, Spiti Pangi of ct of ddesh, and lis or the for

Not applicable. Two years for direct recruits. Not applicable. Two years for direct recruits. Two promotion failing which by direct recruits. Two promotion: Labourer(Industrial Attendant) of:- Two promotion Committee consisting of:- 1. General Manager of Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman Binding Section subject to qualifying in the trade test. Press in Pay Band-1 (Rs. 5200- According to the press in Pay Band-1 (Rs. 5200- According to the Press in Pay Band-1 (Rs. 5200- According to the	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the forms of the distance. In the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance. In the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance. In the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed such along fire promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such along fire promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such along fire promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such alo	Not	Two years for direct	(i) 16% by promotion failing which by direct recruitment. (ii) 5% by promotion from Grade 'C' Non-Industrial employees of the Press in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.1800 subject to qualifying the trade test. (iii) 79% by direct recruitment failing which by	Promotion: Labourer(Industrial Attendant) in Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) with Grade Pay of Rs.1800 with three year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis working in Binding Section subject to qualifying in the trade test. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6 th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman 2. Senior most Deputy Manager/ Senior-most Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member 3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:- 1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman 2. Senior most Deputy Manager/ Seniormost Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member 3. Senior most Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in	\ /

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	One	General Central	Pay	Non-	Between 18 to 27 years.	Essential.
Reader	Hundred	Service, Group	Band-1	selection		(i) Degree from a recognized
	and	'C' (Highly	(Rs.5200-	post	(Relaxable for	University or equivalent;
	Seventy	Skilled), Non-	20200),		Government servants up	(ii) Knowledge of Proof Reading
	Six	Gazetted, Non-	with		to 40 years in	in a Press having legal entity;
	(176)*	Ministerial.	Grade		accordance with the	(iii) Proficiency in English and
	(2016)		Pay of		instructions or orders	Hindi language and one Regional
		Note: The term	Rs. 2400.		issued by the Central	Language which is used in the
	*(subject	Highly Skilled			Government)	Press, and
	to	shall be			Note 1: The crucial date	(iv) having experience of two years
	variation	determined in			for determining the age	working in reading section of an
	dependent	accordance			limit shall be the closing	Offset Press having legal entity.
	on work	with the			date for receipt of	
	load.)	notification of			applications from	Note 1: Qualifications are
		the Ministry of			candidates in India (and	relaxable at the discretion of Staff
		Finance			not the closing date	Selection Commission/Competent
		No.1/1/2008-IC			prescribed for those in	Authority in the case of candidates

1.4.1.4	28 th	A M 1 - 1	-41
		Assam, Meghalaya,	otherwise well qualified.
	009,	Arunachal Pradesh,	
wherein	the	Mizoram, Manipur,	Note 2: The qualification(s)
cadre of Hig	ghly	Nagaland, Tripura,	regarding experience is relaxable
Skilled		Sikkim, Ladakh Division	at the discretion of the Staff
Workers sta	ands	of Jammu and Kashmir	Selection Commission/Competent
equally spli	t in	State, Lahaul and Spiti	Authority in the case of candidates
the ratio	of	District and Pangi Sub-	belonging to Scheduled Castes or
50:50 and	re-	Division of Chamba	Scheduled Tribes if at any stage of
designated	as	District of Himachal	selection, the Staff Selection
Highly Ski	lled	Pradesh, Andaman and	Commission/Competent Authority
Worker Gra	ade-	Nicobar Islands or	is of the opinion that the sufficient
II(Grade Par	y of	Lakshadweep).	number of candidates from these
Rs.2400 in	Pay	Note 2:- In the case of	communities possessing requisite
Band-1)	and	recruitment through	experience are not likely to be
Highly Ski	lled	Employment Exchange,	available to fill up the vacancy
Worker Gra	ade-	the crucial date for	reserved for them.
I(Grade Pay	of	determining the age limit	
Rs.2800 in	Pay	shall be the last date	
Band-1).	-	upto which the	
		Employment Exchange	
		is asked to submit the	
		names.	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two	(i) 67% by	Promotion:	Group 'C' Departmental	Not
	years	direct	(i) Copy Holder in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200)	Promotion Committee	applicable
	for	recruitment	with Grade Pay of Rs. 1900 with eight years service	consisting of:-	
	direct	failing which by	in the grade rendered after appointment thereto on a		
	recruits	promotion;	regular basis subject to qualifying in the trade test;	1. General Manager/	
			(ii) Copy holder having four years regular service in	Manager of Government of	
		(ii) 17% by	the grade, shall be eligible for the Departmental	India Press/ Govt. of India	
		promotion	Competitive Readership Examination.	Text Books Presses—	
		failing which by		Chairman	
		deputation,	Note 1:		
		failing both by	Where juniors who have completed their qualifying	2. Senior most	
		Direct	or eligibility service are being considered for	Deputy Manager/Assistant	
		Recruitment.	promotion, their senior shall also be considered	Manager(Technical)/Officer-	
		(iii) 16% b	provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of	in-Charge—Member	
		(iii) 16% by promotion	such qualifying or eligibility service or 2 years,	3. Senior most	
		through	whichever is less and have successfully completed	Assistant Manager	
		Departmental	their probation period for promotion to the next	(Administration)— Member.	
		Competitive	higher grade along with their juniors who have	(rammstration) Wember.	
		Readership	already completed such qualifying or eligibility	Group 'C' Departmental	
		Examination	service.	Confirmation Committee	
		conducted by		consisting of:-	
		the Directorate	Note 2:		
		of Printing.	For the purpose of computing minimum qualifying	1. General Manager/	
			service for promotion, the service rendered on a	Manager of Government of	
			regular basis by an officer prior to 1st January, 2006	India Press/ Govt. of India	
			or the date from which the revised pay structure	Text Books Presses	
			based on the 6 th Central Pay Commission	—Chairman	
			recommendations has been extended, shall be	2. Senior most	
			deemed to be service rendered in the corresponding	Deputy Manager/Assistant	
			grade pay or pay scale extended based on the	Manager(Technical)/Officer-	
			recommendations of the Pay Commission.	in-Charge—Member	
			Demoted on	3. Senior most	
			Deputation:	Assistant Manager	
			Officers of the Central Government holding the post	(Administration)— Member.	
			of Reader in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2400/- on regular basis.	Note: If any of the aforesaid	
			Graue ray of Rs. 2400/- off regular basis.	officials of the same Press	
			Note 1 : The departmental officers in the feeder	are not available, officials	
			category who are in the direct line of promotion shall	holding posts of the same	
			not be eligible for consideration for appointment on	designation and status on	
			deputation. Similarly deputationists shall not be	regular basis in other nearest	
			eligible for appointment by promotion.	sister Presses shall be	
	l		engine for appointment by promotion.	Sister Fresco Shall be	

included in the composition Note 2: Period of deputation including period of of the aforesaid Committee deputation in any other ex-cadre post held and nearest Press is to be immediately preceding this appointment in the same decided in terms of the or some other organization or department of the distance. Central Government shall ordinarily not exceed three Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Copy Holder	One hundred and Seventy Six (176)* (2016) *(subject to variation dependent on work load.)	(3) General Central Service, Group 'C' (Skilled), Non- Gazetted, Non- Ministerial.	(4) PayBand-1 (Rs.5200- 20200) with Grade Pay of Rs.1900.	Non selection post	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) NOTE 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential. (1) Degree from a recognized University or Equivalent; (2) proficiency in English and Hindi Language and one Regional Language which is used in the Press; (3) one year experience as Proof Reader in a Press having legal entity. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	100%	by Not	Group 'C' Confirmation Committee consisting of:-	Not
applicable	years	direct	applicable.		applicable
	for	recruitme	ent	1. General Manager or Manager of Government of India Press/	
	direct			Government of India Text Books Presses – Chairman.	
	recruits				
				2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical)	
				or Officer-in-Charge – Member.	
				3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member	
				Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not	
				available, officials holding posts of the same designation and	
				status on regular basis in other sister Presses shall be included in	
				the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is	
				to be decided in terms of the distance.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.Head	Thirteen	General Central	(4) Pay Band-	Non-	Between 18 to 27	Essential:
Mechanic	13*	Service,	1 Rs.5200-	selection	vears	(i) Three years diploma in
(Printing	(2016)	Group C'	20200 plus	post	(Relaxable for	mechanical or electrical or
and	(2010)	(Supervisory),	Grade Pay	post	Government	electronics engineering from a
Binding)	*Subject to	Non-gazetted,	Rs. 2800/-		servants upto 40	recognised university or
Dilidilig)	variation	Non-Ministerial.	R3. 2000/		years in accordance	institution;
	dependent	Tron ministerial.			with the instructions	institution,
	on				or orders issued by	(ii) three years experience in
	workload.				the Central	maintenance/repairing of
					Government)	printing and allied equipments
					Note 1 : The crucial	in an institution or press
					date for determining	having legal entity.
					the age limit shall be	
					the closing date for	Desirable:
					receipt of	(i) Knowledge of electric or
					applications from	electronic components used in
					candidates in India	printing and bindery
					(and not the closing	equipments;
					date prescribed for	
					those in Assam,	N. 1 O. P.C.
					Meghalaya,	Note 1: Qualifications are
					Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,	relaxable at the discretion of Staff Selection
					Nagaland, Tripura,	Commission/Competent
					Sikkim, Ladakh	Authority in the case of
					Division of Jammu	candidates otherwise well
					and Kashmir State,	qualified.
					Lahaul and Spiti	quamireu.
					District and Pangi	Note 2: The qualification(s)
					Sub-Division of	regarding experience is
					Chamba District of	relaxable at the discretion of
					Himachal Pradesh,	the Staff Selection
					Andaman and	Commission/Competent
					Nicobar Islands or	Authority in the case of
					Lakshadweep).	candidates belonging to
					Note 2:- In the case	Scheduled Castes or
					of recruitment	Scheduled Tribes if at any
					through	stage of selection, the Staff
					Employment	Selection
					Exchange, the	Commission/Competent
					crucial date for	Authority is of the opinion
					determining the age	that the sufficient number of
					limit shall be the last date upto which the	candidates from these communities possessing
					Employment	requisite experience are not
					Exchange is asked to	likely to be available to fill up
					submit the names.	the vacancy reserved for
					Submit the hames.	them.
		<u> </u>	1	<u> </u>	l	uem.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
(8) Not	Two	(10) By	Promotion: (11)	Group 'C' Departmental	(13) Not
applicable	years	promotion		Promotion Committee	applicable
	for	failing	Mechanic (Printing and Binding) in Pay Band-1	consisting of:-	••
	direct	which by	(Rs.5200-20200/-) with Grade Pay of Rs.2400/-	1. General Manager or	
	recruits.	deputation	with five years regular service in the grade.	Manager of Government	
		failing both	Note 1:	of India Press/	
		by direct recruitment.	Where juniors who have completed their qualifying	Government of India Text Books Presses –	
		recruitment.	or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered	Chairman.	
			provided they are not short of the requisite	2. Senior most Deputy	
			qualifying or eligibility service by more than half of	Manager/ Assistant	
			such qualifying or eligibility service or 2 years,	Manager (Technical) or	
			whichever is less and have successfully completed	Officer-in-Charge –	
			their probation period for promotion to the next	<i>Member</i>.3. Senior most Assistant	
			higher grade along with their juniors who have	Manager Manager	
			already completed such qualifying or eligibility service.	(Administration) –	
			Note 2:	Member	
			For the purpose of computing minimum qualifying		
			service for promotion, the service rendered on a	Group 'C' Departmental	
			regular basis by an officer prior to 1st January, 2006	Confirmation Committee	
			or the date from which the revised pay structure	consisting of:-	
			based on the 6 th Central Pay Commission	1. General Manager/	
			recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding	Manager of Government	
			grade pay or pay scale extended based on the	of India Press/ Govt. of	
			recommendations of the Pay Commission.	India Text Books	
			Deputation:	Presses—Chairman	
			Officers of the Central Government-	2 5	
			(a) holding the post of Head Mechanic (Printing and	2. Senior most Deputy Manager/	
			Binding) in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.2400 on regular basis; or	Deputy Manager/ Assistant Manager	
			(b) Mechanic (Printing and Binding) in Pay Band -1	(Technical)/Officer-in-	
			(Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2400/- with	Charge—Member	
			five years regular service in the grade.		
			Note 1: The departmental officers in the feeder	3. Senior most	
			category who are in the direct line of promotion shall	Assistant Manager (Administration)—	
			not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be	(Administration)— Member.	
			eligible for appointment by promotion.		
			Note 2: Period of deputation including period of	Note: If any of the	
			deputation in any other ex-cadre post held	aforesaid officials of the	
			immediately preceding this appointment in the same	same Press are not	
			or some other organization or department of the	available, officials	
			Central Government shall ordinarily not exceed three	holding posts of the same designation and status on	
			years. Note 3: The maximum age limit for appointment by	regular basis in other	
			deputation shall be not exceeding fifty-six years as	nearest sister Presses	
			on the closing date of receipt of applications.	shall be included in the	
			Note 4: For the purpose of appointment on	composition of the	
			deputation or absorption basis, the service rendered	aforesaid Committee and	
			on a regular basis by an officer prior to 1st January,	nearest Press is to be decided in terms of the	
			2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's	distance.	
			Recommendations been extended) shall be deemed		
			to be service rendered in the corresponding grade		
			pay or pay scale extended based on the		
			recommendations of the Pay commission except		
			where there has been merger of more than one pre-		
			revised scale of pay into one grade with a common		
			grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay		
			or pay scale is the normal replacement grade without		
			any upgradation.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Sixty	General Central	Pay	Non-	Between 18 to 27 years.	Essential:
Mechanic	three	Service, Group	Band-1	selection	-	(i) Three years diploma in
(Printing	(63)*	'C" (Highly	(Rs.	post	(Relaxable for	Mechanical or Electrical or
and	(2016)	Skilled), Non-	5,200-		Government servants upto	Electronic Engineering from a
Binding.)		Gazetted, Non-	20,200)		40 years in accordance	recognized university or
	*(subject	Ministerial.	with		with the instructions or	institution or equivalent;
	to		Grade		orders issued by the	(ii) one year experience
	variation	Note: The term	Pay of		Central Government)	in maintenance or repairing of
	dependent	Highly Skilled	Rs. 2400.		NOTE 1 : The crucial date	Printing and Allied equipments
	on work	shall be			for determining the age	in an Institution or Press having
	load.)	determined in			limit shall be the closing	legal entity.
		accordance with			date for receipt of	
		the notification			applications from	Note 1: Qualifications are
		of the Ministry			candidates in India (and	relaxable at the discretion of
		of Finance			not the closing date	Staff Selection
		No.1/1/2008-IC			prescribed for those in	Commission/Competent
		dated the 28 th			Assam, Meghalaya,	Authority in the case of
		July, 2009,			Arunachal Pradesh,	candidates otherwise well
		wherein the			Mizoram, Manipur,	qualified.
		cadre of Highly			Nagaland, Tripura,	
		Skilled Workers			Sikkim, Ladakh Division	Note 2: The qualification(s)
		stands equally			of Jammu and Kashmir	regarding experience is
		split in the ratio			State, Lahaul and Spiti	relaxable at the discretion of the
		of 50:50 and re-			District and Pangi Sub-	Staff Selection Commission/
		designated as			Division of Chamba	Competent Authority in the
		Highly Skilled			District of Himachal	case of candidates belonging to
		Worker Grade-			Pradesh, Andaman and	Scheduled Castes or Scheduled
		II(Grade Pay of			Nicobar Islands or	Tribes if at any stage of
		Rs.2400 in Pay			Lakshadweep).	selection, the Staff Selection
		Band-1) and			Note 2:- In the case of	Commission/Competent
		Highly Skilled			recruitment through	Authority is of the opinion that
		Worker Grade-			Employment Exchange,	the sufficient number of
		I(Grade Pay of			the crucial date for	candidates from these
		Rs.2800 in Pay			determining the age limit	communities possessing
		Band-1).			shall be the last date upto	requisite experience are not
					which the Employment	likely to be available to fill up
					Exchange is asked to submit the names.	the vacancy reserved for them.
					submit the names.	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not-	Two years		<u>Promotion:</u>	Group 'C' Departmental	Not
Applicable	for Direct	(i) 33% by	Assistant Mechanic (Printing and	Promotion Committee	applicable
	recruitment.	promotion failing	Binding) in Pay Band-1 (Rs. 5200-	consisting of:-	
		which by direct	20200) with Grade Pay of Rs. 1900		
		recruitment failing	with eight years service in that grade	1.General Manager or	
		both by deputation.	subject to qualifying in Trade Test.	Manager of Government	
			<u>Note 1:</u>	of India Press/	
		(ii) 67% by Direct	Where juniors who have completed	Government of India Text	
		Recruitment	their qualifying or eligibility service are	Books Presses – Chairman	
		failing which by	being considered for promotion, their		
		Promotion	senior shall also be considered provided	2. Senior most Deputy	
			they are not short of the requisite	Manager/ Assistant	
			qualifying or eligibility service by more	Manager(Technical) or	
			than half of such qualifying or	Officer-in-Charge –	
			eligibility service or 2 years, whichever	Member	
			is less and have successfully completed		
			their probation period for promotion to	3. Senior most Assistant	
			the next higher grade along with their	Manager (Administration)	
			juniors who have already completed	– Member	
			such qualifying or eligibility service.		
			Note 2:	Group 'C' Departmental	
			For the purpose of computing minimum	Confirmation Committee	
			qualifying service for promotion, the	consisting of:-	
			service rendered on a regular basis by		
			an officer prior to 1st January, 2006 or	1.General Manager or	
			the date from which the revised pay	Manager of Government	

structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation:

Officers of the Central Government(i) holding analogous post in Pay Band1 (Rs. 5200-20200) with Grade Pay of Rs. 2400 on regular basis; or

Rs. 2400 on regular basis; or
(ii) with eight years regular service in
the grade in Pay Band-1 (Rs.520020200) with Grade Pay of Rs. 1900 and

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.

subject to qualifying in the trade test.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in any other excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman

- 2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge – Member
- 3. Senior most AssistantManager (Administration)Member

Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Sixty three	General	PayBand-	Non-	Between 18 to 27 years.	Essential:
Assistant	(63)*	Central	1	selection		National Trade Certificate in
Mechanic	(2016)	Service,	(Rs.5200-	post	(Upper age limit is	Mechanic from an Industrial
(Printing		Group 'C'	20200)		relaxable for	Training Institute with one year
and	*(subject to	(Skilled),	with		Government servants up	experience in the trade of Offset
Binding)	variation	Non-	Grade		to 40 years in	printing in a press having legal
	dependent on	Gazetted,	Pay of		accordance with the	entity.
	work load.)	Non-	Rs.1900		instructions or orders	Desirable:
		Ministerial.			issued by the Central	One years' experience in
					Government)	maintenance or repairing of Printing
					Note 1 : The crucial	and Allied equipments in an
					date for determining the	Institute or Press of having legal
					age limit shall be the	entity.

	Г	1	1 1 1 1 0	137 1 0 116
			closing date for receipt	Note 1: Qualifications are relaxable
			of applications from	at the discretion of Staff Selection
			candidates in India (and	Commission/Competent Authority
			not the closing date	in the case of candidates otherwise
			prescribed for those in	well qualified.
			Assam, Meghalaya,	
			Arunachal Pradesh,	Note 2: The qualification(s)
			Mizoram, Manipur,	regarding experience is relaxable at
			Nagaland, Tripura,	the discretion of the Staff Selection
			Sikkim, Ladakh	Commission/Competent Authority
			Division of Jammu and	in the case of candidates belonging
			Kashmir State, Lahaul	to Scheduled Castes or Scheduled
			and Spiti District and	Tribes if at any stage of selection,
			Pangi Sub-Division of	the Staff Selection
			Chamba District of	Commission/Competent Authority is
			Himachal Pradesh,	of the opinion that the sufficient
			Andaman and Nicobar	number of candidates from these
			Islands or	communities possessing requisite
			Lakshadweep).	experience are not likely to be
				available to fill up the vacancy
			Note 2:- In the case of	reserved for them.
			recruitment through	
			Employment Exchange,	
			the crucial date for	
			determining the age	
			limit shall be the last	
			date upto which the	
			Employment Exchange	
			is asked to submit the	
			names.	
 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- I		ı

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	Hundred	Promotion:	Group 'C' Departmental Confirmation	Not
applicable	years	percent by	Labourer (industrial attendants)	Committee consisting of:-	applicable
	for	direct	in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200)		
	direct	recruitment	with Grade Pay of Rs. 1800	1. General Manager or Manager of	
	recruits	failing	(Group 'C') having three years	Government of India Press/ Government of	
		which by	regular experience in	India Text Books Presses – Chairman.	
		promotion	maintenance of Printing		
			machines holding an Industrial	2. Senior most Deputy Manager/ Assistant	
			Training Institute Certificate in	Manager (Technical) or Officer-in-Charge –	
			Mechanical and working in	Member	
			Government of India Press after		
			completion of six month training	3. Senior most Assistant Manager	
			subject to qualifying in the trade	(Administration) – Member	
			test.		
			NT . 1	Group 'C' Departmental Promotion	
			Note 1:	Committee consisting of:-	
			Where juniors who have	1 Consult Manager Manager	
			completed their qualifying or eligibility service are being	1.General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of	
			considered for promotion, their	India Text Books Presses – Chairman	
			senior shall also be considered	mula Text Books Flesses – Chairman	
			provided they are not short of the	2. Senior most Deputy Manager/ Assistant	
			requisite qualifying or eligibility	Manager(Technical) or Officer-in-Charge –	
			service by more than half of such	Member	
			qualifying or eligibility service or	Wellier	
			2 years, whichever is less and	3. Senior most Assistant Manager	
			have successfully completed their	(Administration) – Member	
			probation period for promotion to	(
			the next higher grade along with	Note: If any of the aforesaid officials of the	
			their juniors who have already	same Press are not available, officials	
			completed such qualifying or	holding posts of the same designation and	
			eligibility service.	status on regular basis in other nearest sister	
				Presses shall be included in the composition	
			Note 2:	of the aforesaid Committee and nearest Press	
			For the purpose of computing	is to be decided in terms of the distance.	

minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6 th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay

Electrician Fi	(2) Twenty	(3) General Central	(4)	(5)	(6)	(7)
Electrician Fi	Γwenty	General Central	Dan	1		
(2 *(to va de oi	Five 25)* 2016) *(subject or variation dependent on work oad.)	Service, Group 'C" (Highly Skilled), Non- Gazetted, Non- Ministerial. Note: The term Highly Skilled shall be determined in accordance with the notification of the Ministry of Finance No.1/1/2008-IC dated the 28 th July, 2009, wherein the cadre of Highly Skilled Workers stands equally split in the ratio of 50:50 and re- designated as Highly Skilled Worker Grade- II(Grade Pay of Rs.2400 in Pay Band-1) and Highly Skilled Worker Grade- I(Grade Pay of Rs.2800 in Pay Band-1).	Pay Band-1 Rs. 5200- 20200 plus Grade Pay Rs.2400	Non-selection post	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto	Essential: Three years diploma in Electrical or Electronics from a recognized institution or university or equivalent having one year experience; or (ii) Industrial Training Institute Certificate Course or Electrical Certificate of competency having five years experience of running or maintenance of different types of both high tension and low tension electrical installations including underground cable system. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fillup the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct Recruits. Not	(1) 33% by promotion failing which by	Promotion: Wireman in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900 with eight years regular service in the grade subject to qualifying in the	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:-	Not applicable
	applicable to promotees.	deputation failing both by direct recruitment.	trade test. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall	1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman.	
		(2) 67% by direct recruitment failing which by promotion	also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next	2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in- Charge – Member.	
			higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2:	3. Senior most Assistant Manager (Administration) - Member	
			For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the	Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-	
			revised pay structure based on the 6 th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	1.General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman	
			Deputation: Officers of the Central Government- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eight years regular service in the grade of Wireman in the Pay Band -I (Rs.5200-	2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge - Member	
			20200) with Grade Pay of Rs.1900 Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.	3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member Note: If any of the aforesaid	
			Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the	officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest	
			same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date	sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	
			of receipt of applications. Note 4: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay		
			Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale		
			of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	Twenty	General	Pay	Non-	Between 18 to 27 years.	Essential:
Wireman	Five	Central	Band-1	Selection		(i) Matriculation (10th
	(25)*	Service,	(Rs.	post	(Relaxable for Government	Class) pass from recognised Board
	(2016)	Group 'C'	5200-		servants up to 40 years in	or equivalent; and certificate of
		(Skilled),	20200)		accordance with the	Industrial Training Institute in
	*(subject	Non-	with		instructions or orders issued	electrical trade with two years
	to	Gazetted,	Grade		by the Central Government)	experience in the relevant field; or
	variation	Non-	Pay of		Note 1: The crucial date for	(ii) Three years diploma in Electrical
	dependent	Ministerial.	Rs.1900		determining the age limit	or Electronic from a recognized
	on work				shall be the closing date for	institution or University with one
	load.)				receipt of applications from	year experience in the relevant field.
					candidates in India (and not	
					the closing date prescribed	Note 1: Qualifications are relaxable
					for those in Assam,	at the discretion of Staff Selection
					Meghalaya, Arunachal	Commission/Competent Authority
					Pradesh, Mizoram, Manipur,	in the case of candidates otherwise
					Nagaland, Tripura, Sikkim,	well qualified.
					Ladakh Division of Jammu	
					and Kashmir State, Lahaul	Note 2: The qualification(s)
					and Spiti District and Pangi	regarding experience is relaxable at
					Sub-Division of Chamba	the discretion of the Staff Selection
					District of Himachal	Commission/Competent Authority
					Pradesh, Andaman and	in the case of candidates belonging
					Nicobar Islands or	to Schedule Caste or Scheduled
					Lakshadweep).	Tribes if at any stage of selection,
					Note 2:- In the case of	the Staff Selection
					recruitment through	Commission/Competent Authority is
					Employment Exchange, the	of the opinion that the sufficient
					crucial date for determining	number of candidates from these
					the age limit shall be the last	communities possessing requisite
					date upto which the	experience are not likely to be
					Employment Exchange is	available to fill-up the vacancy
					asked to submit the names.	reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two years	Hundred percent by direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:- General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member	Not applicable
				Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	Eleven(11)*	General	Pay Band-1	Not-	Between 18 to 27 years.	Essential:
Welder	(2016)	Central	(Rs.5,200-	applicable.	(Relaxable for	
		Service,	20,200)		Government servants	(i) Matriculation
	*(subject to	Group	with Grade		upto 40 years in	(10th Class) pass
	variation	'C'(Skilled),	Pay of		accordance with the	from recognised Board or
	dependent on	Non-	Rs.1900.		instructions or orders	equivalent;
	work load.)	Gazetted,			issued by the Central	
		Non-			Government)	(ii) Industrial Training
		Ministerial.			Note 1: The crucial date	Institute Certificate in welder
					for determining the age	trade from recognised
					limit shall be the closing	Industrial Training Institute;
					date for receipt of	
					applications from	(iii)should have at least three
					candidates in India (and	years experience as welder in
					not the closing date	an industry or work shop
					prescribed for those in	established in accordance

	Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,	with law.
	Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of
	Sikkim, Ladakh	Staff Selection
	Division of Jammu and	Commission/Competent
	Kashmir State, Lahaul	Authority in the case of
	and Spiti District and	candidates otherwise well
	Pangi Sub-Division of	qualified.
	Chamba District of	1
	Himachal Pradesh,	Note 2: The qualification(s)
	Andaman and Nicobar	regarding experience is
	Islands or	relaxable at the discretion of
	Lakshadweep).	the Staff Selection
		Commission/Competent
	Note 2:- In the case of	Authority in the case of
	recruitment through	candidates belonging to
	Employment Exchange, the crucial date for	Schedule Caste or Scheduled
	determining the age	Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection
	limit shall be the last	Commission/Competent
	date upto which the	Authority is of the opinion
	Employment Exchange	that the sufficient number of
	is asked to submit the	candidates from these
	names.	communities possessing
		requisite experience are not
		likely to be available to fill up
		the vacancy reserved for
		them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	Hundred percent	Not	Group 'C' Departmental Confirmation Committee	Not applicable
applicable	Years for	by direct	applicable	consisting for:-	
	direct	recruitment			
	recruits.			1. General Manager or Manager of Government of	
				India Press/ Government of India Text Books	
				Presses – Chairman.	
				2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager	
				(Technical) or Officer-in-Charge – Member	
				3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member	
				Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the	
				same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the	
				composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	Eleven(11)*	General	Pay	Not-	Between 18 to 27 years.	Essential:
Carpenter	(2016)	Central	Band-1	applicable.		(i) Matriculation (10th Class)
		Service,	(Rs.5200-		(Relaxable for Government	pass from recognised Board or
	*(subject to	Group	20200)		servants upto 40 years in	equivalent;
	variation	'C'(Skilled),	with		accordance with the	
	dependent	Non-	Grade		instructions or orders issued	(ii) Industrial Training Institute
	on work	Gazetted,	Pay of		by the Central Government)	Certificate from recognised
	load.)	Non-	Rs.1900.			Industrial Training Institute in
		Ministerial.			Note 1: The crucial date for	carpentering;
					determining the age limit	
					shall be the closing date for	(iii) should have at least three
					receipt of applications from	years experience as carpenter in
					candidates in India (and not	any industry or shop established
					the closing date prescribed	in accordance with law.

	for those in Assam,	N . 1 O I'C .
	Meghalaya, Arunachal	Note 1: Qualifications are
	Pradesh, Mizoram, Manipur,	relaxable at the discretion of
	Nagaland, Tripura, Sikkim,	Staff Selection
	Ladakh Division of Jammu	Commission/Competent
	and Kashmir State, Lahaul	Authority in the case of
	and Spiti District and Pangi	candidates otherwise well
	Sub-Division of Chamba	qualified.
	District of Himachal	
	Pradesh, Andaman and	Note 2: The qualification(s)
	Nicobar Islands or	regarding experience is
	Lakshadweep).	relaxable at the discretion of the
		Staff Selection
	Note 2:- In the case of	Commission/Competent
	recruitment through	Authority in the case of
	Employment Exchange, the	candidates belonging to
	crucial date for determining	Schedule Caste or Scheduled
	the age limit shall be the last	Tribes if at any stage of
	date upto which the	selection, the Staff Selection
	Employment Exchange is	Commission/Competent
	asked to submit the names.	Authority is of the opinion that
		the sufficient number of
		candidates from these
		communities possessing
		requisite experience are not
		likely to be available to fill up
		the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two Years	Hundred	Not	Group 'C' Departmental Confirmation Committee	Not
applicable	for direct	percent by direct	applicable	consisting of:-	applicable
	recruitment.	recruitment		-	
				1. General Manager or Manager of Government of India	
				Press/ Government of India Text Books Presses –	
				Chairman.	
				2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager	
				(Technical) or Officer-in-Charge – Member	
				3. Senior most Assistant Manager (Administration) –	
				Member.	
				Note: If any of the aforesaid officials of the same Press	
				are not available, officials holding posts of the same	
				designation and status on regular basis in other nearest	
				sister Presses shall be included in the composition of the	
				aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in	
				terms of the distance.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	Six(06)*	General	Pay Band-1	Non-	Between 18 to 27 years.	Essential:
Driver	(2016)	Central	(Rs.5200-	selection	-	(i) 12 th Class Pass from any
(Heavy		Service,	20200)			recognized Board or
Vehicle)	*(subject to	Group	with Grade		(Relaxable for Government	University;
	variation	'C'(Skilled)	Pay of		servants upto 40 years in	(ii) experience of driving
	dependent	Non-	Rs.1900.		accordance with the	heavy vehicle for five years;
	on work	Gazetted,			instructions or orders	(iii) should possess requisite
	load)	Non-			issued by the Central	valid driving license for
		Ministerial.			Government)	Heavy Motor Vehicles.
						Desirable:
					NOTE 1 : The crucial date	(i) Knowledge of Auto
					for determining the age	Mobile repairing.
					limit shall be the closing	
					date for receipt of	
					applications from	Note 1: Qualifications are

		candidates in India (and not	relaxable at the discretion of
		the closing date prescribed	Staff Selection
		for those in Assam,	Commission/Competent
		Meghalaya, Arunachal	Authority in the case of
		Pradesh, Mizoram,	candidates otherwise well
		Manipur, Nagaland,	qualified.
		Tripura, Sikkim, Ladakh	1
		Division of Jammu and	Note 2: The qualification(s)
		Kashmir State, Lahaul and	regarding experience is
		Spiti District and Pangi	relaxable at the discretion of
		Sub-Division of Chamba	the Staff Selection
		District of Himachal	Commission/Competent
		Pradesh, Andaman and	Authority in the case of
		Nicobar Islands or	candidates belonging to
		Lakshadweep).	Schedule Caste or Scheduled
			Tribes if at any stage of
		Note 2:- In the case of	selection, the Staff Selection
		recruitment through	Commission/Competent
		Employment Exchange, the	Authority is of the opinion
		crucial date for determining	that the sufficient number of
		the age limit shall be the	candidates from these
		last date upto which the	communities possessing
		Employment Exchange is	requisite experience are not
		asked to submit the names.	likely to be available to fill up
			the vacancy reserved for
			them.

Not applicable. Years (i) 83% by Promotion: Output Driver (Light Vehicle) in Pay Band-	Group 'C' Recruitment	Not
		NOL
	*	applicable
for direct 20200) with Grade Pay of Rs.1900 with		
direct recruitment regular service subject to passing tra		
recruits failing possessing driving licence for heavy veh		
which by	Manager of Government	
promotion; Note 1:	of India Press/	
Where juniors who have completed the		
(ii) 17% by or eligibility service are being con		
promotion promotion, their senior shall also be		
failing provided they are not short of the		
which by qualifying or eligibility service by more		
deputation such qualifying or eligibility service		
failing both whichever is less and have successfully		
by direct their probation period for promotion		
recruitment. higher grade along with their juniors		
already completed such qualifying o		
service.	3. Senior most Assistant	
Note 2.	Manager (Administration) – Member.	
Note 2: For the purpose of computing minimur		
service for promotion, the service rer		
regular basis by an officer prior to 1st Ja		
or the date from which the revised p		
based on the 6 th Central Pay		
recommendations has been extended		
deemed to be service rendered in the co		
grade pay or pay scale extended ba		
recommendations of the Pay Commission		
Deputation:	Text Books Presses -	
Officers of the central government:-	Chairman	
(i) holding the post of Driver(Heavy Vel		
Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Par	7 3	
with regular service; or	Manager/ Assistant	
(ii) Driver(Light Vehicle) in Pay Band	2	
20200) and Grade Pay of Rs.1900 with	n three years Officer-in-Charge	
regular service subject to passing tra	ade test and — Member	
possessing licence for heavy vehicle.		
Note 1 : The departmental officers in	n the feeder 3. Senior most Assistant	

(1)

(2)

(3)

category who are in the direct line of promotion Manager (Administration) shall not be eligible for consideration for – Member appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. Note: If any of the Note 2: Period of deputation including period of aforesaid officials of the deputation in any other ex-cadre post held same Press are not immediately preceding this appointment in the same officials available, or some other organization or department of the holding posts of the same Central Government shall ordinarily not exceed designation and status on three years. regular basis in other Note 3: The maximum age limit for appointment by nearest sister Presses shall deputation shall be not exceeding fifty-six years as be included in the on the closing date of receipt of applications. composition of Note 4: For the purpose of appointment on aforesaid Committee and deputation or absorption basis, the service rendered nearest Press is to be on a regular basis by an officer prior to 1st January, decided in terms of the 2006 (the date from which the revised pay structure distance. based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(6)

(7)

(4)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	Fifteen	General	Pay Band-1	Non	Between 18 to 27 years.	Essential:
Driver	(15)*	Central	(Rs.5200-	selection		(i) 12 th Class Pass or
(Light	(2016)	Service,	20200)	post	(Relaxable for Government	equivalent, from any
Vehicle)		Group	with Grade		servants upto 40 years in	recognized Board or
	*(subject to	'C'(Skilled),	Pay of Rs.		accordance with the	University;
	variation	Non-	1900		instructions or orders	(ii) experience of driving
	dependent	Gazetted,			issued by the Central	motor vehicle for five years;
	on work	Non-			Government)	(iii)should possess requisite
	load.)	Ministerial.			NOTE 1: The crucial date	valid driving license for Light
					for determining the age	Motor Vehicles.
					limit shall be the closing	
					date for receipt of	<u>Desirable:</u>
					applications from	(i) Knowledge of Auto
					candidates in India (and not	Mobile repairing.
					the closing date prescribed	(ii) knowledge of traffic rules.
					for those in Assam,	
					Meghalaya, Arunachal	Note 1: Qualifications are
					Pradesh, Mizoram,	relaxable at the discretion of
					Manipur, Nagaland,	Staff Selection
					Tripura, Sikkim, Ladakh	Commission/Competent
					Division of Jammu and	Authority in the case of
					Kashmir State, Lahaul and	candidates otherwise well
					Spiti District and Pangi	qualified.
					Sub-Division of Chamba	
					District of Himachal	Note 2: The qualification(s)
					Pradesh, Andaman and	regarding experience is
					Nicobar Islands or	relaxable at the discretion of
					Lakshadweep).	the Staff Selection
					Note 2:- In the case of	Commission/Competent
					recruitment through	Authority in the case of
					Employment Exchange, the	candidates belonging to
					crucial date for determining	Schedule Caste or Scheduled
					the age limit shall be the	Tribes if at any stage of
					last date upto which the	selection, the Staff Selection
					Employment Exchange is	Commission/Competent
					asked to submit the names.	Authority is of the opinion
						that the sufficient number of
						candidates from these

[भाग II—खण्ड 3(i)]		भारत का राजपत्र : उ	असाधारण		63
				communities requisite experie likely to be avail the vacancy in them.	able to fill up
(8) (9)	(10)	(11)	(12)		(13)
Not applicable. Two Y for d recruitm	irect direct	Cleaner Driver in Pa 5200-20200) with Gr 1800 with three years in the grade subject to test and possessing License for Light or Vehicle. Note 1: Where juniors who their qualifying or elare being considered their senior shall also provided they are not requisite qualifying service by more that qualifying or eligibility years, whichever is successfully completed period for promotion higher grade along who have already of qualifying or eligibility. Note 2: For the purpose minimum qualifying promotion, the service regular basis by an off January, 2006 or the other evised pay struct of the Central Pay recommendations has shall be deemed rendered in the correspay or pay scale extithe recommendations: Officers of the Central Holding the analogous Band-1 (Rs.5200-202 Pay of Rs.1900 on subject to passing possessing licence for Motor vehicle. Note 1: The department of the feeder category of direct line of promotic eligible for consuppointment on deput deputationists shall not appointment on deput deputationists shall not appointment on deput deputation is cadre post held preceding this apposame or some other department of	ay Band-1 (Rs. ade Pay of Rs. aregular service of passing a trade valid Driving at Heavy Motor have completed ligibility service for promotion, obe considered of short of the or eligibility in half of such ity service or 2 less and have ditheir probation in to the next ith their juniors completed such y service. of computing g service for erendered on a ficer prior to 1st date from which ure based on the Commission been extended, to be service seponding grade ended based on so of the Pay I governmentus post in Pay 00) with Grade in regular basis trade test and ar light or heavy mental officers in who are in the ion shall not be sideration for tation. Similarly other leigible for oftion. I governmentus post in Pay 00) with Grade in regular basis trade test and ar light or heavy mental officers in who are in the ion shall not be sideration for tation. Similarly intent in the consisting of the passing trade test and are not available in any other eximmediately intment in the consisting of the passing trade test and are not available in any other eximmediately intment in the consisting of the passing trade test and are not available in any other eximmediately intment in the consisting of the passing trade test and are not available to the passing trade test and are not available to the passing trade test and are not available to the passing trade test and are not available to the passing trade test and are not available to the passing trade test and are not available to the passing trade test and are not available to the passing trade test and are not available to the passing trade test and are not available to the passing trade test and are not available to the passing trade test and are not available to the passing trade test and are not available to the passing trade test and are not available to the passing trade test and are not available to the passing trade test and are not available to the passing trade test and are not available to the passing trade test and are not available to the passing trade test a	most Deputy Assistant echnical) or Government of Books Presses – most Deputy Assistant echnical) or Charge – most Assistant dministration) – Departmental Committee of:- Manager or Government of Government of Books Presses – most Deputy Assistant echnical) or Charge – most Assistant echnical) or Charge – of the aforesaid the same Press ailable, officials sts of the same and status on asis in other er Presses shall ded in the	Not applicable

Note 3: The maximum age limit for	
appointment by deputation shall be	
not exceeding fifty-six years as on the	
closing date of receipt of applications.	
Note 4: For the purpose of	
appointment on deputation or	
absorption basis, the service rendered	
on a regular basis by an officer prior	
to 1st January, 2006 (the date from	
which the revised pay structure based	
on the Sixth Pay Commission's	
Recommendations been extended)	
shall be deemed to be service	
rendered in the corresponding grade	
pay or pay scale extended based on	
the recommendations of the Pay	
commission except where there has	
been merger of more than one pre-	
revised scale of pay into one grade	
with a common grade pay or pay	
scale, and where this benefit will	
extend only for the post(s) for which	
that grade pay or pay scale is the	
normal replacement grade without any	
upgradation.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. Dark	Thirty One	General Central	Pay Band-1	Not	Between 18 to 27	Essential.
Room	(31)*	Service, Group	(Rs.5200-	applicable.	years.	(i)Three years diploma in
Assistant	(2016)	'C" (Highly	20200)			Printing Technology or
	*(subject to	Skilled), Non-	with Grade		(Relaxable for	equivalent from a recognized
	variation	Gazetted, Non-	Pay of Rs.		Government	institution and one years'
	dependent	Ministerial.	2400		servants upto 40	experience in operation of
	on work				years in accordance	Process Camera; or
	load.)	Note: The term			with the	(ii)pass in 12 th class or
		Highly Skilled			instructions or	equivalent from recognised
		shall be			orders issued by the	Board or equivalent and
		determined in			Central	certificate of successful
		accordance with			Government)	completion of apprenticeship
		the notification				in Process Camera under the
		of the Ministry			Note 1 : The crucial	Apprentices Act, 1961 (52 of
		of Finance			date for	1961) with three years of
		No.1/1/2008-IC			determining the age	practical experience in
		dated the 28 th			limit shall be the	operation of Process Camera.
		July, 2009,			closing date for	Note: Preference will be
		wherein the			receipt of	given to candidates who have
		cadre of Highly			applications from	passed 12 th Class with
		Skilled Workers			candidates in India	Chemistry.
		stands equally			(and not the closing	Note 1: Qualifications are
		split in the ratio			date prescribed for	relaxable at the discretion of
		of 50:50 and re-			those in Assam,	Staff Selection
		designated as			Meghalaya,	Commission/Competent
		Highly Skilled			Arunachal Pradesh,	Authority in the case of
		Worker Grade-II			Mizoram, Manipur,	candidates otherwise well
		(Grade Pay of Rs.2400 in Pay			Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh	qualified.
		Band-1) and			Division of Jammu	Note 2: The qualification(s) regarding experience is
		Highly Skilled			and Kashmir State,	relaxable at the discretion of
		Worker Grade-				
		I(Grade Pay of			Lahaul and Spiti District and Pangi	the Staff Selection Commission/Competent
		Rs. 2800 in Pay			Sub-Division of	Authority in the case of
		Band-1).			Chamba District of	
		Dailu-1).			Himachal Pradesh,	candidates belonging to Schedule Caste or Scheduled
					Andaman and	Tribes if at any stage of
					Nicobar Islands or	selection, the Staff Selection
					Lakshadweep).	Commission/Competent
					Laksiiauweep).	Commission/Competent

	of recruitment through Employ-	Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing
		requisite experience are not likely to be available to fill-up
	limit shall be the last date upto which	the vacancy reserved for them.
	the Employment Exchange is asked	
	to submit the names.	

Two years	Hundred	Not		
for	percent by	applicable	Group 'C' Recruitment Confirmation Committee consisting of:-	Not applicable
direct recruits.	recruitment		1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman.	
			2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge – Member.	
			3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member	
			Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest	
d	irect	irect recruitment	irect recruitment	recruits. 1. General Manager or Manager of Government of India Press/ Government of India Text Books Presses – Chairman. 2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge – Member. 3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. Plate	Sixty	General Central	Pay	Non-	Between 18 to 27	Essential.
Maker	nine(69)*	Service, Group	Band-1	selection	years.	(i)Three years diploma in
(Off -set)		'C" (Highly	(Rs.5200-	post		Printing Technology with two
	(2016)	Skilled),	20200) with		(Upper age limit	years experience or Industrial
		,	Grade Pay		relaxable for	Training Institute Certificate in
	*(subject to	Non-Ministerial	of Rs.2400		Government	Plate Maker (Offset) or
	variation				servants upto 40	equivalent with five years
	dependent	Note: The term			years in accordance	experience in the trade; or
	on work	Highly Skilled			with the	
	load)	shall be			instructions or	(ii) 12 th Class pass or equivalent
		determined in			orders issued by the	from recognized Board or
		accordance with			Central	equivalent, and
		the notification			Government)	
		of the Ministry				(iii) certificate of successful
		of Finance			Note 1 : The crucial	completion of apprenticeship in
		No.1/1/2008-IC			date for	Plate Making under the
		dated the 28 th			determining the age	Apprentices Act, 1961 (52 of
		July, 2009,			limit shall be the	1961) with three years of
		wherein the			closing date for	practical experience in Plate
		cadre of Highly			receipt of	Making in a press of repute.
		Skilled Workers			applications from	
		stands equally			candidates in India	Note: Preference will be given
		split in the ratio			(and not the closing	to candidates who have passed
		of 50:50 and re-			date prescribed for	12 th class with Chemistry as one
		designated as			those in Assam,	of the subject
		Highly Skilled			Meghalaya,	N 1 0 1'6' 1'
		Worker Grade-II			Arunachal Pradesh,	Note 1: Qualifications are
		(Grade Pay of			Mizoram, Manipur,	relaxable at the discretion of
		Rs.2400 in Pay			Nagaland, Tripura,	Staff Selection Commission/
		Band-1) and			Sikkim, Ladakh	Competent Authority in the case
		Highly Skilled			Division of Jammu	of candidates otherwise well

Worker Grade-I (Grade Pay of Rs.2800 in Pay Band-1).	and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2:- In the case of recruitment through Employment Ex- change, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	---	--

Not applicable Two direct recruits. Not applicable Two direct recruits. (i) 15% by deputation failing which by direct recruitment; (ii) 85% by direct recruitment failing which by direct recruitment failing which by promotion. (ii) 85% by direct recruitment failing which by promotion. (iii) 85% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iii) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40% by direct fare apointion, their senior shall also be considered provided their probation period for promotion. (iv) 40% by direct fare apointion, their senior shall also be considered provided their probation period for promotion. (iv) 40% b	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable Promotion Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. \$200-20200) with Grade Pay of Rs. 1900 Promotion Committee Consisting of:-					Group 'C' Departmental	
applicable direct recruits. failing which by direct recruitment; (ii) 85% by direct recruitment failing which by direct recruitment; (iii) 85% by direct recruitment failing which by promotion. Solve 1: (ii) 85% by direct recruitment failing which by promotion. Solve 1: (ii) 85% by direct recruitment failing which by promotion. Solve 1: (iii) 85% by direct recruitment failing which by promotion. Solve 1: (iv) 85% by direct recruitment failing which by promotion. Solve 1: (iv) 85% by direct recruitment failing which by promotion. Solve 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior endigibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Pay Commission of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. \$200-20200) and Grade Pay of Rs. 2400; or (iii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. \$200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying and pade and pade and pade (Administration) and pade (Not	years for		Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs.		applicable
recruits. deputation failing both by direct recruitment; (ii) 85% by direct recruitment failing which by promotion. (iii) 85% by direct recruitment failing which by promotion. (iii) 85% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 40		-				11
failing both by direct recruitment; (ii) 85% by direct recruitment failing which by promotion. (iii) 85% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion for the requisite qualifying or eligibility service are being considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation or digibility service. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion to the next higher grade along with their juniors who have all a promotion. (iv) 45% by direct recruitment failing which by promotion to the next higher grade along with their juniors who have all a promotion. (iv) 45% by	"FF	recruits.				
direct recruitment; (ii) 85% by direct (anilog which by promotion. (iii) 85% by direct (anilog which by promotion. (iv) 85%					1. General Manager or	
recruitment; (ii) 85% by direct recruitment failing which by promotion. where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their probation. Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:- Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:- Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:- Group 'C' Departmental Confirmation Officer-in-Charge of India Press/ Government						
Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being recruitment failing which by promotion. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being on short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6 th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation of Officer-in-Charge - Chairman. Senior most Assistant Manager of Government of: 1. General Manager or Government of: 1. General Manager or Government of: 2. Senior most Deputy Manager of: 3. Senior most Deputy Manager of: 3. Senior most Assistant Manager of Government of India Press/			recruitment;			
direct recruitment failing which by promotion. a shall also be considered for promotion, their senior shall also be considered for provided they ashall also be considered for promotion or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-2020) and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii)Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular as evice in the grade subject to qualifying				Note 1:	Government of India Text	
direct recruitment failing which by promotion. a shall also be considered for promotion, their senior shall also be considered for provided they ashall also be considered for promotion or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-2020) and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii)Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular as evice in the grade subject to qualifying			(ii) 85% by	Where juniors who have completed their	Books Presses	
recruitment failing which by promotion. shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or religibility service by more than half of such qualifying or religibility service by more than half of such qualifying or religibility completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying			direct		 Chairman. 	
promotion. not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying			recruitment			
promotion. not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying			failing which by	shall also be considered provided they are	2. Senior most Deputy	
eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying			promotion.	not short of the requisite qualifying or	Manager/ Assistant	
years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying			,	eligibility service by more than half of	Manager(Technical) or	
successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii)Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying				such qualifying or eligibility service or 2	Officer-in-Charge	
period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii)Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying				years, whichever is less and have	– Member.	
grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii)Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying Manager (Administration) - Member Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:- 1.General Manager of Government of India Press/ Government of India Press/ Government of India Press/ Books Presses - Chairman 2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge - Member						
already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying						
eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying					C ,	
Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying					– Member	
For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6 th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying				•		
qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying						
service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6 th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii)Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying						
officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6 th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii)Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying						
date from which the revised pay structure based on the 6 th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying					of:-	
based on the 6 th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying Manager of Government of India Text Books Presses – Chairman 2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge – Member 3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member					10 1 1	
recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying				date from which the revised pay structure		
shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying Government of India Text Books Presses – Chairman 2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge – Member 3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member						
the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying Books Presses – Chairman 2. Senior most Deputy Manager/ Technical) or Officer-in-Charge – Member 3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member						
extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying 2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge - Member 3. Senior most Assistant Manager (Administration) - Member						
of the Pay Commission. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying 2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge - Member 3. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Administration) - Member]				Books Fiesses – Chall Illali	
Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying Manager/ Assistant Manager(Technical) or Officer-in-Charge - Member 3. Senior most Assistant Manager (Administration) - Member]				2 Senior most Deputy	
Officers of the Central Government - (i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying Manager(Technical) or Officer-in-Charge - Member 3. Senior most Assistant Manager (Administration) - Member]					
(i) holding analogous post in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii) Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying Officer-in-Charge - Member 3. Senior most Assistant Manager (Administration) - Member]					
(Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 2400; or (ii)Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying - Member 3. Senior most Assistant Manager (Administration) - Member]					
Rs. 2400; or (ii)Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying 3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member]					
(ii)Assistant Plate Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying				, ,		
(Rs. 5200-20200) and Grade Pay of Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying Manager (Administration) – Member]			*	3. Senior most Assistant	
Rs. 1900 with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying]					
service in the grade subject to qualifying]				C ,	
]			, ,		
trade test. Note: If any of the]				Note: If any of the	
Note 1: The departmental officers in the aforesaid officials of the			ļ	Note 1: The departmental officers in the		

	feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in any other excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade.	same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	
	and where this benefit will extend only		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(17)	Thirty Two	General	Pay	Not	Between 18 to 27 years.	Essential:-
Assistant	(32)*	Central	Band-1	applicable	(Relaxable for	(i) Matriculation (10th class)
Plate	(2016)	Service,	(Rs.		Government servants	or equivalent from recognized
Maker	*(subject to	Group	5200-		upto 40 years in	Board; and
	variation	'C'(Skilled),	20200)		accordance with the	
	dependent	Non-	with		instructions or orders	(ii) Certificate of successful
	on work	Gazetted,	Grade		issued by the Central	completion of apprenticeship
	load.)	Non-	Pay of		Government)	in Plate Making under the
		Ministerial.	Rs.1900		Note 1: The crucial date	Apprentices Act, 1961 (52 of
					for determining the age	1961) with three years
					limit shall be the closing	practical experience in Plate
					date for receipt of	Making; or
					applications from	(iii) certificate from Industrial
					candidates in India (and	Training Institute in Plate
					not the closing date	making trade and five years
					prescribed for those in	experience in preparation of
					Assam, Meghalaya,	different kind of plate in the
					Arunachal Pradesh,	Plate making section.
					Mizoram, Manipur,	Desirable:-
					Nagaland, Tripura,	Diploma in Printing
					Sikkim, Ladakh Division	Technology (Offset).
					of Jammu and Kashmir	
					State, Lahaul and Spiti	Note 1: Qualifications are
					District and Pangi Sub-	relaxable at the discretion of
					Division of Chamba	Staff Selection
					District of Himachal	Commission/Competent
					Pradesh, Andaman and	Authority in the case of
					Nicobar Islands or	candidates otherwise well
					Lakshadweep).	qualified.

Note 2:- In the case of	Note 2: The qualification(s)
recruitment through	regarding experience is
Employment Exchange,	relaxable at the discretion of
the crucial date for	the Staff Selection
determining the age limit	Commission/Competent
shall be the last date upto	Authority in the case of
Exchange is asked to	Schedule Caste or Scheduled
submit the names.	Tribes if at any stage of
	selection, the Staff Selection
	Commission/Competent
	Authority is of the opinion
	that the sufficient number of
	candidates from these
	communities possessing
	requisite experience are not
	likely to be available to fill up
	the vacancy reserved for
	them.
	recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to

				them.	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	(i) 16% by	Promotion:	Group 'C'	Not
				Departmental	
applicable	years	direct	Attendant (Offset) in Pay Band-1 (Rs.5200-		applicable
	for direct	recruitment	20200) with Grade Pay of Rs. 1900 and three	Promotion Committee	
	recruits	failing which	years of practical experience in Plate Making	consisting of:-	
		by promotion;	subject to qualifying the trade test.		
				1. General Manager or	
		(ii) 84% by	Note 1:	Manager of	
		promotion	Where juniors who have completed their	Government of India	
		failing which	qualifying or eligibility service are being	Press/ Government of	
		by direct	considered for promotion, their senior shall	India Text Books	
		recruitment	also be considered provided they are not short	Presses – Chairman.	
		failing both	of the requisite qualifying or eligibility service	Tresses – Chamman.	
		0		2 Saniar most Danuty	
		by deputation	by more than half of such qualifying or	2. Senior most Deputy	
			eligibility service or 2 years, whichever is less	Manager/ Assistant	
			and have successfully completed their	Manager (Technical) or	
			probation period for promotion to the next	Officer-in-Charge	
			higher grade along with their juniors who have	– Member.	
			already completed such qualifying or eligibility		
			service.	3. Senior most	
				Assistant Manager	
			Note 2:	(Administration)	
			For the purpose of computing minimum	–Member	
			qualifying service for promotion, the service		
			rendered on a regular basis by an officer prior	Group 'C' Depart-	
			to 1st January, 2006 or the date from which the	mental Confirmation	
			revised pay structure based on the 6 th Central	Committee consisting	
				U	
			Pay Commission recommendations has been	of:-	
			extended, shall be deemed to be service		
			rendered in the corresponding grade pay or pay	1.General Manager or	
			scale extended based on the recommendations	Manager of	
			of the Pay Commission.	Government of India	
				Press/ Government of	
			Deputation:	India Text Books	
			Officers of the Central Government -	Presses – Chairman	
			(i) holding analogous post in Pay Band-1	2. Senior most Deputy	
			(Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs. 1900;	Manager/ Assistant	
			or	Manager(Technical) or	
			(ii)attendant (Offset) in Pay Band-1 (Rs.5200-	Officer-in-Charge	
			20200) with Grade Pay of Rs.1900 with three	– Member	
			•	- Mellibei	
			years of practical experience in Plate Making	2 9	
			subject to qualifying the trade test.	3. Senior most	
			$\underline{\text{Note } 1}$: The departmental officers in the	Assistant Manager	
			feeder category who are in the direct line of	(Administration)	
			promotion shall not be eligible for	- Member	
			consideration for appointment on deputation.	Note: If any of the	
1			Similarly deputationists shall not be eligible for	aforesaid officials of	
		1	, 1	1	

		Note 2 of dep immed same of the exceed of the exceed of received the same of the exceed of received to 1st revised Commenter to 1st revised Commenter of the been not pay pay of extending pay of extending pay of the same of the pay	utation in a liately preceder some other Central Goal three years 3: The attement by ling fifty-size of application or a lead on a regular pay structure of the contraction of the cont	f deputation incl any other ex-cae eding this appoi er organization overnment shall of s. maximum ago deputation shay years as on the	dre post held nument in the or department ordinarily not be limit for nall be not e closing date become the service officer prior om which the he Sixth Pay tons been be service de pay or pay mmendations here there has revised scale ommon grade is benefit will ich that grade	availab holding same status in othe Presses include compo- aforesa and ne	g posts of the designation and on regular basis er nearest sister s shall be ed in the sition of the hid Committee harest Press is to ided in terms of	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	
18. Machine	Three	General Central	Pay	Not	Between 18	to 27	Essential:	
Attendant (Offset)	hundred and sixty eight (368)* (2016) *(subject to variation dependent on work load.)	Service, Group 'C' (Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial Note: The term Highly Skilled shall be determined in accordance with the notification of the Ministry of Finance No.1/1/2008-IC dated the 28th July, 2009, wherein the cadre of Highly Skilled Workers stands equally split in the ratio of 50:50 and re-designated as Highly Skilled Worker Grade-II (Grade Pay of Rs.2400 in Pay Band-1) and Highly Skilled Worker Grade-I (Grade Pay of Rs.2800 in Pay Band-1).	Band-1 (Rs. 5200- 20200) with Grade Pay of Rs. 1900	applicable.	NOTE 1 crucial date determining to limit shall closing date receipt applications candidates in (and not the date prescrib those in Meghalaya, Arunachal P. Mizoram, M. Nagaland, T.	critance uctions ued by Central : The e for the age be the e for of from a India closing ped for Assam, anipur, ripura, Ladakh Jammu State, Spiti Pangi of trict of	equivalent; (ii) certificate completion of a in Offset Mach Apprentices Act 1961); (iii) one year operation of Of doing single and printing work. Note 1: Quali relaxable at the Staff Commission/Cor Authority in candidates oth qualified. Note 2: The q regarding ex relaxable at the the Staff Commission/Cor Authority in candidates before the commission/Cor Authority in candidates before the commission/Cor Authority in candidates before	of successful apprenticeship ine under the to 1961 (52 of experience in affset Machine di multi colour discretion of Selection appetent the case of element of selection appetent the selection appetent of selection appetent the selection appetent of selection appetent

		Nicobar Islands or	these communi	ties posses	ssing
		Lakshadweep).	requisite expe	rience are	not
			likely to be ava	ilable to fi	ll up
		Note 2:- In the case	the vacancy	reserved	for
		of recruitment	them.		
		through			
		Employment			
		Exchange, the			
		crucial date for			
		determining the age			
		limit shall be the			
		last date upto which			
		the Employment			
		Exchange is asked			
		to submit the			
		names.			

			names.		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not -	Two	(i) 46% by	Promotion:	Group 'C' Departmental	Not
applicable.	years for	promotion	Labourer(Industrial Attendant) in Pay	Promotion Committee	applicable
	direct	failing which	Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade	consisting of:-	
	recruits.	by deputation	Pay of Rs.1800 with three year's service		
		failing both	in the grade rendered after appointment	1. General Manager or	
		by direct	thereto on a regular basis subject to	Manager of Government of	
		recruitment	qualifying in the trade test.	India Press/ Government of	
				India Text Books Presses	
		(ii) 54% by	Note 1:	– Chairman.	
		direct	Where juniors who have completed their	2 6	
		recruitment	qualifying or eligibility service are being	2. Senior most Deputy	
		failing which	considered for promotion, their senior	Manager/ Assistant	
		by promotion.	shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying	Manager (Technical) or	
			or eligibility service by more than half of	Officer-in-Charge – Member.	
			such qualifying or eligibility service or 2	- Mcmoer.	
			years, whichever is less and have	3. Senior most Assistant	
			successfully completed their probation	Manager (Administration)	
			period for promotion to the next higher	—Member .	
			grade along with their juniors who have	Tribinio di T	
			already completed such qualifying or	Group 'C' Departmental	
			eligibility service.	Confirmation Committee	
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	consisting of:-	
			Note 2:	5	
			For the purpose of computing minimum	1.General Manager or	
			qualifying service for promotion, the	Manager of Government of	
			service rendered on a regular basis by an	India Press/ Government of	
			officer prior to 1st January, 2006 or the	India Text Books Presses	
			date from which the revised pay	– Chairman	
			structure based on the 6 th Central Pay		
			Commission recommendations has been	2. Senior most Deputy	
			extended, shall be deemed to be service	Manager/ Assistant	
			rendered in the corresponding grade pay	Manager(Technical) or	
			or pay scale extended based on the recommendations of the Pay	Officer-in-Charge – Member	
			Commission.	- MEHIOCI	
			Commission.	3. Senior most Assistant	
			Deputation:	Manager (Administration)	
			Officers of the Central Government -	– Member	
			(i)holding the analogous post in Pay	Note: If any of the aforesaid	
			Band-1 (Rs. 5200-20200) with Grade	officials of the same Press	
			Pay of Rs.1900 on regular service; or	are not available, officials	
			(ii) with three years regular service in the	holding posts of the same	
			grade in Pay Band-1 with Grade Pay of	designation and status on	
			Rs.1800 subject to qualifying trade test.	regular basis in other	
				nearest sister Presses shall	
			Note 1 : The departmental officers in the	be included in the	
			feeder category who are in the direct line	composition of the	
			of promotion shall not be eligible for	aforesaid Committee and	

consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in any other excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	
---	--

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	Eight (08)*		General Central	Pay Band-1	Not-applicable.	Not applicable	Not applicable
Assistant	(2016)		Service, Group	(Rs.5200-			
Inspector			'C" Non-	20200) with			
(Control)	(subject	to	Gazetted, Non-	Grade Pay of			
	variation		Ministerial.	Rs. 2800			
	dependent	on					
	work load.)						

(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
Not-	Not	100%	by	Deputation:	Group 'C' Selection	Not
Applicable.	applicable	deputation.		Officers of the Central Government-	Committee consisting	applicable
					of:-	
				(i) holding analogous post in Pay		
				Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade	1. General Manager or	
				Pay of Rs.2800; or	Manager of Government	
				(ii) holding a post in the Press as	of India Press/	
				Section Holder, Reader, Offset	Government of India	
				Machine Assistant and Offset Plate	Text Books Presses	
				Maker in Pay Band-1 (Rs. 5200-	 Chairman. 	
				20200) with Grade Pay of Rs. 2400/-	2. Senior most Deputy	
				with five years regular service in the	Manager/ Assistant	
				grade.	Manager (Technical) or	
					Officer-in-Charge	
				Note 1: The departmental officers in	– Member.	
				the feeder category who are in the	3. Senior most Assistant	
				direct line of promotion shall not be	Manager	

appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in any other excadre post held immediately preceding same Press are not
--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	Thirty six	General Central	Pay	Non-	Between 18 to 27	Essential:
Risograph	(36)*	Service, Group	Band-1	selection	years.	(i) 12 th Pass from recognized
Operator		'C" (Highly	(Rs.	post		Board;
	(2016)	Skilled), Non-	5200-	_	(Relaxable for	
		Gazetted, Non-	20200)		Government servants	(ii) Industrial Training
	*(subject to	Ministerial.	with		up to 40 years in	Institute Certificate in Litho
	variation		Grade		accordance with the	offset machine minder with
	dependent	Note: The term	Pay of		instructions or orders	three years experience in
	on work	Highly Skilled	Rs.2400		issued by the Central	litho offset machine
	load.)	shall be			Government)	operation;
		determined in				
		accordance with			Note 1: The crucial	(iii) Apprenticeship in Litho
		the notification			date for determining	offset machine minder with
		of the Ministry			the age limit shall be	two years experience of
		of Finance			the closing date for	operating Risograph/single
		No.1/1/2008-IC			receipt of applications	colour/multi colour offset
		dated the			from candidates in	machine.
		28th July, 2009,			India (and not the	
		where the cadre			closing date prescribed	Desirable:
		of Highly Skilled			for those in Assam,	(i) Three years diploma in
		Workers stands			Meghalaya, Arunachal	Printing Technology from a
		equally split in			Pradesh, Mizoram,	Government institution.
		the ratio of 50:50			Manipur, Nagaland,	
		and re-			Tripura, Sikkim,	(ii) three years experience in
		designated as			Ladakh Division of	operation of single colour or
		Highly Skilled			Jammu and Kashmir	multi colour work on offset
		Worker Grade-			State, Lahaul and Spiti	machine.

II(Grade Pay of Rs.2400 in Pay Band-1) and Highly Skilled Worker Grade-I(Grade Pay of Rs.2800 in Pay Band-1).	District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent
	the last date upto	Authority in the case of
	which the Employment Exchange is asked to	candidates belonging to Schedule Caste or Scheduled
	submit the names.	Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection
		Commission/Competent
		Authority is of the opinion that the sufficient number of
		candidates from these
		communities possessing requisite experience are not
		likely to be available to fill up
		the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	100% by	Promotion:	Group 'C' Departmental	Not
applicable	years	promotion	Machine Attendant (Offset) in Pay Band-1 (Rs.5200-	Promotion Committee	applicable
	for	failing	20200) with Grade Pay of Rs.1900 with eight years	consisting of;	
	direct	which by	regular service in the grade subject to qualifying in		
	recruits.	direct	the trade test.	1. General Manager or	
		recruitment		Manager of Government	
		failing	<u>Note 1:</u>	of India Press/	
		both by	Where juniors who have completed their qualifying	Government of India Text	
		deputation.	or eligibility service are being considered for	Books Presses	
			promotion, their senior shall also be considered	– Chairman.	
			provided they are not short of the requisite qualifying		
			or eligibility service by more than half of such	2. Senior most Deputy	
			qualifying or eligibility service or 2 years, whichever	Manager/ Assistant	
			is less and have successfully completed their	Manager (Technical) or	
			probation period for promotion to the next higher	Officer-in-Charge	
			grade along with their juniors who have already	– Member	
			completed such qualifying or eligibility service.		
			N . 2	3. Senior most Assistant	
			Note 2:	Manager (Administration)	
			For the purpose of computing minimum qualifying	- Member	
			service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006	Group 'C' Departmental	
			or the date from which the revised pay structure	Confirmation Committee	
			based on the 6 th Central Pay Commission	consisting of:-	
			recommendations has been extended, shall be	Consisting of	
			deemed to be service rendered in the corresponding	1.General Manager or	
			grade pay or pay scale extended based on the	Manager of Government	
			recommendations of the Pay Commission.	of India Press/	
			recommendations of the ray commission.	Government of India	
			Deputation: Officers of the Central Government-	Text Books Presses	
			(i) holding analogous post Pay Band-1 (Rs. 5200-	– Chairman	
			20200) with Grade Pay of Rs.2400; or		
			(ii) Machine Attendant(Offset) in Pay Band-1 (Rs.	2. Senior most Deputy	
			5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900 with eight	Manager/ Assistant	
			years regular service in the grade subject to	Manager(Technical) or	
			qualifying in the trade test.	Officer-in-Charge	
				– Member	
			Note 1: The departmental officers in the feeder		
			category who are in the direct line of promotion shall		

C 11	3. Senior most Assistant	•
itation. Similarly deputationists shall not be	Manager (Administration)	•
ble for appointment by promotion.	– Member	•
e 2: Period of deputation including period of	Note: If any of the	•
ntation in any other ex-cadre post held	aforesaid officials of the	•
ediately preceding this appointment in the same	same Press are not	•
some other organization or department of the	available, officials	•
tral Government shall ordinarily not exceed three	holding posts of the same	
s.	designation and status on	•
e 3: The maximum age limit for appointment by	regular basis in other	•
ntation shall be not exceeding fifty-six years as	nearest sister Presses shall	•
ne closing date of receipt of applications.	be included in the	•
e 4: For the purpose of appointment on	composition of the	
itation or absorption basis, the service rendered	aforesaid Committee and	
regular basis by an officer prior to 1st January,	nearest Press is to be	•
6 (the date from which the revised pay structure	decided in terms of the	•
ed on the Sixth Pay Commission's	distance.	•
ommendations been extended) shall be deemed to		•
ervice rendered in the corresponding grade pay or		•
scale extended based on the recommendations of		•
Pay commission except where there has been		•
		•
grade with a common grade pay or pay scale, and		•
re this benefit will extend only for the post(s) for		•
		•
	be eligible for consideration for appointment on tatation. Similarly deputationists shall not be ble for appointment by promotion. 2: Period of deputation including period of tatation in any other ex-cadre post held rediately preceding this appointment in the same some other organization or department of the tral Government shall ordinarily not exceed three is. 3: The maximum age limit for appointment by tatation shall be not exceeding fifty-six years as the closing date of receipt of applications. 4: For the purpose of appointment on tatation or absorption basis, the service rendered a regular basis by an officer prior to 1st January, of the date from which the revised pay structure and on the Sixth Pay Commission's commendations been extended) shall be deemed to revice rendered in the corresponding grade pay or scale extended based on the recommendations of Pay commission except where there has been ger of more than one pre-revised scale of pay into grade with a common grade pay or pay scale, and re this benefit will extend only for the post(s) for the that grade pay or pay scale is the normal accement grade without any upgradation.	Manager (Administration) ble for appointment by promotion. 2. Period of deputation including period of attation in any other ex-cadre post held aforesaid officials of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance. 6 (the date from which the revised pay structure and on the Sixth Pay Commission's commendations been extended) shall be deemed to be evice rendered in the corresponding grade pay or scale extended based on the recommendations of Pay commission except where there has been ger of more than one pre-revised scale of pay into grade with a common grade pay or pay scale, and re this benefit will extend only for the post(s) for the that grade pay or pay scale is the normal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21. Silk	Eight	General Central	Pay	Not	Between 18 to 27 years.	Essential.
Screen	(08)*	Service, Group	Band-1	applicable.	(Relaxable for	(i) 12 th pass or equivalent
Operator	(2016)	'C" (Highly	(Rs.	11	Government servants	from a recognized Board or
1	, ,	Skilled),	5200-		upto 40 years in	equivalent and having five
	*(subject to	Non-Gazetted,	20200)		accordance with the	years experience in Silk
	variation	Non-Ministerial.	with		instructions or orders	Screen Printing Process doing
	dependent		Grade		issued by the Central	single and multi colour Silk
	on work	Note: The term	Pay of		Government)	Screen printing work; or
	load.)	Highly Skilled	Rs.		Note 1: The crucial date	(ii) a certificate of successful
		shall be	2400		for determining the age	completion of apprenticeship
		determined in			limit shall be the closing	under Apprenticeship Act
		accordance with			date for receipt of	1961 (52 of 1961) and two
		the notification			applications from	years experience in the screen
		of the Ministry			candidates in India (and	printing work.
		of Finance			not the closing date	Note 1: Qualifications are
		No.1/1/2008-IC			prescribed for those in	relaxable at the discretion of
		dated the 28th			Assam, Meghalaya,	Staff Selection
		July, 2009,			Arunachal Pradesh,	Commission/Competent
		where the cadre			Mizoram, Manipur,	Authority in the case of
		of Highly			Nagaland, Tripura,	candidates otherwise well
		Skilled Workers			Sikkim, Ladakh	qualified.
		stands equally			Division of Jammu and	Note 2: The qualification(s)
		split in the ratio			Kashmir State, Lahaul	regarding experience is
		of 50:50 and re-			and Spiti District and	relaxable at the discretion of
		designated as			Pangi Sub-Division of	the Staff Selection
		Highly Skilled			Chamba District of	Commission/Competent
		Worker Grade-			Himachal Pradesh,	Authority in the case of
		II(Grade Pay of			Andaman and Nicobar	candidates belonging to
		Rs.2400 in Pay			Islands or	Scheduled Castes or
		Band-1) and			Lakshadweep).	Scheduled Tribes if at any
		Highly Skilled			Note 2:- In the case of	stage of selection, the Staff
		Worker Grade-			recruitment through	Selection Commission/
		I(Grade Pay of			Employment Exchange,	Competent Authority is of the
		Rs.2800 in Pay			the crucial date for	opinion that the sufficient
		Band-1).			determining the age	number of candidates from
					limit shall be the last	these communities possessing
					date upto which the	requisite experience are not
					Employment Exchange	likely to be available to fill up
					is asked to submit the	the vacancy reserved for
					names.	them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	(i) 62% by	Promotion:	Group 'C' Recruitment	Not
applicable.	years	direct	Assistant Screen Operator in Pay Band-1 (Rs. 5200-	Confirmation Committee	applicable
	for	recruitment	20200) with Grade Pay of Rs.1900 with eight years	consisting of:-	
	Direct Recruits.	failing which by	regular service in the grade subject to qualifying in the trade test.	General Manager or	
	Rectuits.	promotion;	the trade test.	Manager of Government	
		1	Note 1:	of India Press/	
		(ii) 38%	Where juniors who have completed their qualifying	Government of India Text	
		by	or eligibility service are being considered for	Books Presses -	
		promotion failing	promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite	Chairman.	
		which by	qualifying or eligibility service by more than half of	2. Senior most Deputy	
		direct	such qualifying or eligibility service or 2 years,	Manager/ Assistant	
		recruitment	whichever is less and have successfully completed	Manager (Technical) or	
		failing	their probation period for promotion to the next	Officer-in-Charge –	
		both by deputation.	higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility	Member.	
		deputation.	service.	3. Senior most Assistant	
				Manager	
			Note 2:	(Administration) –	
			For the purpose of computing minimum qualifying	Member	
			service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006	Group 'C' Departmental	
			or the date from which the revised pay structure	Promotion Committee	
			based on the 6 th Central Pay Commission	consisting of:-	
			recommendations has been extended, shall be		
			deemed to be service rendered in the corresponding	1.General Manager or	
			grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	Manager of Government of India Press/	
			recommendations of the ray commission.	Government of India	
			Deputation:	Text Books Presses -	
			Officers of the Central Government-	Chairman	
			(i) holding analogous post in Day Band I (Be 5200	2 Canian most Danuty	
			(i)holding analogous post in Pay Band-I (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.2400 on regular basis;	2. Senior most Deputy Manager/ Assistant	
			or	Manager (Technical) or	
				Officer-in-Charge -	
			(ii) Assistant Screen Operator in Pay Band-I	Member	
			(Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900 with eight years regular service in the grade subject to	3. Senior most Assistant	
			qualifying in the trade test.	Manager	
				(Administration) –	
			Note 1: The departmental officers in the feeder	Member	
			category who are in the direct line of promotion		
			shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists	Note: If any of the	
			shall not be eligible for appointment by promotion.	aforesaid officials of the	
				same Press are not	
			Note 2: Period of deputation including period of	available, officials	
			deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same	holding posts of the same designation and status on	
			or some other organization or department of the	regular basis in other	
			Central Government shall ordinarily not exceed	nearest sister Presses	
			three years.	shall be included in the	
			Note 2. The maning and limit 6	composition of the	
			Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as	aforesaid Committee and nearest Press is to be	
			on the closing date of receipt of applications.	decided in terms of the	
				distance.	
			Note 4: For the purpose of appointment on		
			deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,		
			2006 (the date from which the revised pay structure		
			based on the Sixth Pay Commission's		
			Recommendations been extended) shall be deemed		
			to be service rendered in the corresponding grade		
			pay or pay scale extended based on the		
	j	1	recommendations of the Pay commission except		

	where there has been merger of more than one pre- revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	---	--	--

Screen (Operator	(2)	(2)	(4)	(5)	(6)	(T)
Screen (Operator	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Operator (Eight	General	Pay	Not	Between 18 to 27	Essential.
N	(08)*	Central	Band-1	applicable.	years.	(i) 10 th class pass or
	(2016)	Service,	(Rs.		(D-111- f	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	*(aub:aat ta	Group 'C'	5200-		(Relaxable for	equivalent from a recognized
	*(subject to variation	(Skilled), Non-	20200) with		Government servants	Board or equivalent; and
(dependent	Gazetted,	Grade		upto 40 years in accordance with the	(ii) having three years
	on work	Non-	Pay of		instructions or orders	experience in operation of
	load.)	Ministerial.	Rs.		issued by the Central	Silk Screen Printing Process
	ioau.)	willisterial.	1900		Government)	doing single and multi colour
			1900		Government)	Silk Screen printing work; or
					Note 1 : The crucial	Slik Screen printing work, or
					date for determining	(iii) a certificate of successful
					the age limit shall be	completion of apprenticeship
					the closing date for	under the Apprentices Act,
					receipt of applications	1961(52 of 1961) and one
					from candidates in	year experience of silk screen
					India (and not the	printing.
					closing date prescribed	Note 1: Qualifications are
					for those in Assam,	relaxable at the discretion of
					Meghalaya, Arunachal	Staff Selection
					Pradesh, Mizoram,	Commission/Competent
					Manipur, Nagaland,	Authority in the case of
					Tripura, Sikkim,	candidates otherwise well
					Ladakh Division of	qualified.
					Jammu and Kashmir	Note 2: The qualification(s)
					State, Lahaul and Spiti	regarding experience is
					District and Pangi	relaxable at the discretion of
					Sub-Division of	the Staff Selection
					Chamba District of	Commission/Competent
					Himachal Pradesh,	Authority in the case of
					Andaman and Nicobar	candidates belonging to
					Islands or	Scheduled Castes or
					Lakshadweep).	Scheduled Tribes if at any
					Note 2:- In the case of recruitment through	stage of selection, the Staff Selection
					recruitment through Employment	Commission/Competent
					Exchange, the crucial	Authority is of the opinion
					date for determining	that the sufficient number of
						1 0
					Exchange is asked to	the vacancy reserved for
					submit the names.	them.
					the age limit shall be the last date upto which the Employment	candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for	Hundred percent (100%) by	Not applicable	Group 'C' Recruitment Confirmation Committee consisting of: 1. General Manager or Manager of Government of India	Not applicable
	direct recruits.	direct recruitment		Press/ Government of India Text Books Presses - Chairman.	
				2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge – Member.	
				Senior most Assistant Manager (Administration) Member	
				Note: If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same	

	designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23. Labourer	Five Hundred	General		Not	Between 18 to 27	Essential.
(Industrial	and twelve	Central	Pay	applicable.	years.	
Attendant)	(512)*	Service,	Band-1		(D. 1. 1.1	(t) 10 th
	(2016)	Group 'C"	(Rs.		(Relaxable for	(i) 10 th pass or equivalent
	*(subject to	(Un- Skilled)	5200-		Government servants	from recognized Board;
	variation	Non-	20200)		upto 40 years in	(ii) having the same
	dependent on	Gazetted,	with		accordance with the	(ii) having two years
	work load.)	Non- Ministerial.	Grade Pay of		instructions or orders issued by the Central	experience in working in a printing Press having legal
		Willisterial.	Rs.1800		Government)	entity and familiar with
			1000		Government)	operation of Heavy Loading
					Note 1 : The crucial	and unloading and other press
					date for determining	related work.
					the age limit shall be	
					the closing date for	Desirable:
					receipt of	(i)A Certificate of successful
					applications from	completion of Apprenticeship
					candidates in India	under the Apprentice Act,
					(and not the closing	1961 (52 of 1961); or
					date prescribed for	(ii) National Trade Certificate
					those in Assam,	from Industrial Training
					Meghalaya,	Institute preferably in mechanic trade
					Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,	mechanic trade
					Nagaland, Tripura,	Note 1: Qualifications are
					Sikkim, Ladakh	relaxable at the discretion of
					Division of Jammu	Staff Selection
					and Kashmir State,	Commission/Competent
					Lahaul and Spiti	Authority in the case of
					District and Pangi	candidates otherwise well
					Sub-Division of	qualified.
					Chamba District of	
					Himachal Pradesh,	Note 2: The qualification(s)
					Andaman and	regarding experience is
					Nicobar Islands or	relaxable at the discretion of
					Lakshadweep).	the Staff Selection
					Note 2. In the	Commission/Competent
					Note 2:- In the case of recruitment	Authority in the case of candidates belonging to
					through Employment	candidates belonging to Scheduled Castes or
					Exchange, the crucial	Scheduled Tribes if at any
					date for determining	stage of selection, the Staff
					the age limit shall be	Selection Selection, the Starr
					the last date upto	
					which the	Authority is of the opinion
					Employment	that the sufficient number of
					Exchange is asked to	candidates from these
					submit the names.	communities possessing
						requisite experience are not
						likely to be available to fill up
						the vacancy reserved for
						them.

Not applicable. Two years for direct recruits. Two applicable applicable of Committee consisting of: Two direct recruits. Two applicable. Two direct recruits. Two applicable. Two direct recruitment. The direct recruitment confirmation of: Two direct recruitment. The direct recruitment. Two applicable. Two applicable of Committee and Satistant Manager of Government of India Press/Government of India Press/Fournment of India
aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.

[F.No.22/5/2011-A.I]

KAILASH CHOUDHARY, Under Secy. (PSP-I)